राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ७] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का ३६ वां दिवस [संख्या २८

सोमवार,

दिनांक, अप्रैल १३, १९७०

विधान सभा की बैठक म.पू. ११-०५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री निरन्जननाथ प्राचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वन, सिचाई, चिकित्सा, शिक्षा, राजस्व, वित्त, अकाल सहायता विभाग]

प्रश्न संख्या ६६२

श्री अध्यक्ष — श्री राम नारायण चौधरी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सुवालाल चौधरी—

पहाड़ों की लकड़ी को देख रेख

६६३. श्री सुवालाल चौधरी(दूदू)-क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम बिचून, तहसील दूदू में कोई नं० मु० पहाड़ है ? अगर हां, तो उनका क्या नम्बर है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त पहाड़ों पर काफी इमारती पेड़ थे ? क्या इन पहाड़ोंकी देख-रेख भूतपूर्व ठिकाना बिचन के द्वारा जंगलात के उपयोग हेतु की जाती थी ?

(३) क्या वन विभाग ने उक्त पहाड़ों का निरीक्षण किया है ? अगर हां तो किस कर्मचारी ने और कब ?

(४) क्या पहाड़ों की देख-रेख वन विभाग की ओर से की जाती है ? अगर हां, तो कब से ?

(५)क्या उक्त पहाड़ों पर खड़े पेड़ों को बरबाद होने से बचाने के संबंध में वन विभाग की ओर से कोई व्यवस्था की गई है? अगर नहीं, तो क्यों और अब सरकार उक्त पहाड़ों के जंगल को बरबाद होने से रोकने की कोई योजना रखती है ? अगर है, तो इसका पालन कब तक किया जावेगा ?

वनमंत्री (श्री नारायण सिह मसूदा)— अध्यक्ष महोदय, यह राजस्व से संबंधित है इस लिए इसको सम्बन्धित विभाग को भेजा जाय इस सम्बन्ध में राजस्व को परिवर्तित करने के लिए कहा गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)—श्री गणेश ही ऐसा किया।

श्री अध्यक्ष—परिवर्तित किया गया । श्री केदारनाथ।

राजस्थान नहर

६६४. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर)— क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर का निर्माण सम्पूर्ण न होने पर पौंग बान्ध के बन जाने पर भी राजस्थान को पानी नहीं मिल सकेगा ?

(श्री केदारनाथ)

(२) यदि हां तो राजस्थान नहर के निर्माण की क्या स्थिति है ? अब तक निर्माण में कितना रुपया खर्च हुआ और भविष्य में कितना खर्च होगा ?

(३) राजस्थान नहर का सम्पूर्ण निर्माण कब तक पूरा होगा ?

(४) जैसलमेर जिले में रामगढ़ तक पानी कब तक पहुंच जायेगा ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूल सिंह)-

(१) जी हां । जब तक राजस्थान नहर पूरी बन कर तैयार नहीं हो जाती, तब तक पोंग बांध बन जाने पर भी पूरे हिस्से के पानी को उपयोग करने में काफी कठिनाइयां आयेगीं ।

(२) राजस्थान मुख्य नहर जिसकी कुल लम्बाई २९२ मील है जिसमें से १३४.२ मील फीडर तथा ६० मील तक मुख्य नहर बन चुकी है । ६ मील से १२१.८ मील के बीच मुख्य नहर का कार्य प्रगति पर है । करीब ६९.५ मील लाइनिंग का कार्य हो चुका है ।

नोरंगदेसर, रावतसर, जोरावरपुरा, सेंतावाली खोदान, टेटार, कनोर, डिस्ट्रीब्यूट्रीज पूरी हो चुकी है ? सूरतगढ़ ब्रान्च सिस्टम का कार्य पूरा हो चुका है और अनूपगढ़ ब्रांच सिस्टम (मुख्य शाखा) का कार्य करीब करीब पूरा हो गया है तथा इसकी अन्य माइनर डिस्ट्रीब्यूट्रीज पर कार्य प्रगति में है । सरदारपुरा, चूनी तथा जैसाभाटी, सोमासर व भोजे वाली डिस्ट्रीब्यूट्रीज का कार्य प्रगति में है । घग्घर डाईवर्शन चेनल तथा अनूपगढ़ शाखा के बीच लिंक चेनल का कार्य पूरा हो चुका है । लिफ्ट चेनल का कार्य भी काफी प्रगति पर है ।

अब तक राजस्थान नहर के निर्माण पर करीब ६५ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। भविष्य में राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए लगभग १३० करोड़ रुपये की और आवश्यकता होगी ।

(३) राजस्थान नहर का सम्पूर्ण निर्माण वर्ष १९७८-७९ तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था । परन्तु यह तभी संभव हो सकेगा जब कि इस योजना के लिये पर्याप्त धनराशि अगले वर्षों में भी उपलब्ध की जावे ।

(४) नहर के पूर्ण होने पर जैसलमेर जिले में रामगढ़ तक पानी पहुंच सकेगा ।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर)—अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि रामगढ़ से आगे भी इस योजना में प्रोवीजन है, नहर बनाने का ?

श्री मनफूल सिंह—रामगढ़ से आगे का इस में प्रोवीजन नहीं है ।

श्री बालसिंह सोढा—क्या यह सही है कि जो यह प्लान है उसमें लालेजा करके एक शाखा कार्य तक ले जाने की भी योजना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा)-यह योजना है ।

श्री अध्यक्ष श्री मनोहरसिंह मेहता ।

भीलवाड़ा अस्पताल

६६५. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़)-क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भीलवाड़ा जिला हास्पिटल अब किस श्रेणी में है और इसमें कितने बेड्स हैं ?

(२) क्या आजादी के बाद महात्मा गांधी जिला हास्पिटल अपग्रेड हुआ है । यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल के लिए वर्ष भर में कितनी दवा निर्धारित है ?

Page No 3

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

(४) क्या कई बार बीमारों को बिना खाट ही जमीन पर पड़े रहना पड़ता है ?

(५) क्या वहां वार्ड पर्याप्त हैं ? यदि नहीं तो सरकार वार्ड बनाने के बारे में क्या सोच रही है?

चिकित्सामंत्री, (श्री बृजसुन्दर शर्मा)—(१) श्रेणी ३ में आता है। ७० रोगी शैयाएं हैं।

(२) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(३) दवाइयों के मद में रु० २२,००० स्वीकृत हैं।

(४) जी हां। अधिक रोगी आने पर कभी कभी जमीन पर बिस्तर लगा कर भी रोगियों का उपचार किया जाता है।

(५) चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में भीलवाड़ा जिला अस्पताल के उच्चीकरण एवं का वार्ड आदि बनाने के लिए अतिरिक्त भवन-व्यवस्था के लिए प्रावधान कर दिया गया है।

श्री मनोहर सिंह मेहता—अध्यक्ष महोदय, वहां पर ९ लाख की आबादी है और केवल २२,००० रुपयों की दवाई आती है तो काम कैसे चलेगा ? कृपा करके वहां की आबादी का खयाल करके दवाइयां बढ़ायें ताकि गरीबों को दवाएं मिल सकें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा:—भीलवाड़े की जनसंख्या सन् ६१ की जनसंख्या के मुताबिक ४३,४९९ है।

श्री मनोहर सिंह मेहता—मैं डिस्ट्रिक्ट का निवेदन कर रहा हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा:—डिस्ट्रिक्ट में और डिस्पेन्सरीज भी हैं। यह बैड्स के अनुसार होता है। भीलवाड़े में बैड्स बढ़ेंगे तो दवाइयों का खर्चा भी बढ़ेगा।

श्री मनोहर सिंह मेहता—आपने चोथी पंच वर्षीय योजना का कहा है तो चोथी पंच वर्षीय योजना शुरू हो गई है तो कब तक वहां काम शुरु हो जायगा ? कृपा करके जल्दी करेंगे तो महरबानी होगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—७०-७१ में १०० शैयाएं कर दी जायगीं। उसके बाद में १५० शैयाओं की घोषणा की जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या ६६६।
श्री महेन्द्र कुमार।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६६७।

श्री चुन्नी लाल जैलिया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)
श्री जुझार सिंह

श्री हरिवल्लभ शर्मा :—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष—बाद में ले लेंगे।

श्री जुझार सिंह

जंगलों की सुरक्षा

६६८. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी)—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झालावाड़ व कोटा जिलों में किन किन स्थानों पर कितने कितने रकबेमें वन विभाग द्वारा जंगलों की सुरक्षा हेतु फेंसिग व एन्क्लोजर बनाये गये हैं व उन पर कितना कितना खर्चा आया है?

(२) उपरोक्त (एनक्लोजर्स व फेंसिग एरियाज) से कितना २ घास व लकड़ी उपलब्ध होने लगी है या हुई है ?

(श्री जुझार सिंह)

(३) इन प्लान्टेशन की मौजूदा स्थिति क्या है और उनमें अलग अलग कितनी कितनी फोरेस्ट ग्रोथ हुई है ? यह प्रोग्रेस विभाग की दृष्टि से सन्तोष जनक है या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

वनमंत्री (श्रीनारायण सिंह मसूदा)-(१) सूची संलग्न है।

(२) सूची संलग्न है।

श्री अध्यक्ष—रेंज वाइज।

श्री नारायणसिंह-(३) प्लान्टेशन क्षेत्रों की चराई से बन्द रखने के कारण घास की पैदावार में सुधार व वृद्धि हुई है। संरक्षण मिलने के कारण वृक्षों की हालत में भी सुधार हुआ है व नई फूट भी हुई है। कुछ स्थानों पर भूमि में ऊपर चट्टानें निकलने के कारण प्लान्टेशन में लगाये गऐ वृक्ष नहीं पनप पाये हैं किन्तु प्लान्टेशन का मुख्य उद्देश्य भू संरक्षण के साथ साथ रिक्त भूमि से घास तथा ईंधन उत्पादन करना था इस दृष्टि से सामान्यत: इनकी प्रगति सन्तोषप्रद है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जुझारसिंह—आपके प्लान्टेशन को नोरमली कितने साल के बाद फेन्सिग व एन्क्लोजर हटा कर ग्रेजिग अलाऊ कर देते हैं ?

श्री नारायण सिंह मसूदा-नोरमली १० साल बाद।

श्री जुझारसिंह-इनमें से कितने फोरेस्ट हैं जिनको १० साल हो गये हैं और ग्रेजिग के लिये अलाऊ कर दिया है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा—यह सूची में निरीक्षण कर लें।

श्री जुझारसिंह—इस सूची में साल नहीं दिये हुए हैं कि कौन सा प्लान्टेशन कौन से साल में लगाया गया है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा-साल भी दिया है।

श्री जुझारसिंह-क्या यह सही है कि कोटा और झालावाड़ जिलों के ५० प्रतिशत से ज्यादा प्लान्टेशन फेल हुए हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा-यह सही नहीं है।

श्री जुझारसिंह-इस सूची में तो नहीं पर मेरे पास इन्फारमेशन है कि ७५ प्लान्टेशन ऐसे हैं जिनमें आपके विभाग ने १००परसेंट फेल्योर एक्सेप्ट किया है ?

श्री अध्यक्ष-जानकारी में नहीं है।

श्री नारायणसिंह मसूदा-सूची में मैंने जो जवाब दिया है, उसमें ५० प्रतिशत से ज्यादा फेल हुए हों ऐसा नहीं है।

श्री जुझारसिंह-अगर मैं आपको आपके डिपार्टमेंट की सूची पेश कर दूं तब तो तसल्ली हो जायगी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा-उसकी मैं जांच करा लूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर)--सबसे पहला प्लान्टेशन कौनसे साल में लगाया गया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा--सूची में सारी सूचना मौजूद है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न संख्या ६६६

श्री मदनसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी।

टी. बी. अस्पताल, जोधपुर

९७०. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर)-क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) जोधपुर में क्षय रोग के लिये टी. बी. अस्पताल बन कर पूरा कब हुआ ?

(२) क्या इसमें डाक्टर, नर्सेज व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर्स बनवाये गये हैं ? अगर नहीं बनवाये गये, तो कब तक बनवाये जायेंगे ?

(३) क्या इसमें बीमारों के खाना पकाने के लिये रसोई घर बनवाया है ?

(४) क्या यह सही है कि मेडीकल कालेज के छात्र सितम्बर, १९६८ तक इस भवन में पढ़ते थे?

(५) क्या यह सही है कि यह भवन अभी तक खाली पड़ा है और इसके लिये १९६९-७० के बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

(६) क्या यह भी सही है कि महात्मा गांधी अस्पताल में बीमारों की शैया शहर की आबादी को देखते हुए बहुत कम है ?

(७) क्या सरकार अब इस भवन को पूरा कराके व अतिरिक्त बजट रख कर जल्दी इस अस्पताल को शुरू करायेगी ?

चिकित्सामंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा)-(१) सन् १९६७ में।

(२) जी नहीं। योजना सीमा में आवश्यक प्रावधान उपलब्ध होने पर ही इनको बनाया जाना संभव होगा।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) मेडिकल कालेज के नवीन भवन के निर्माण के पूर्व मेडिकल कालेज के लिये स्थानाभाव होने के कारण पिछले वर्ष तक मेडिकल कालेज के विभाग इसमें चलते रहे हैं। पिछले वर्ष ही यह भवन पूर्णतया खाली हुआ है। अब इस भवन में मेडिकल कालेज हास्पिटल की ६० टी. बी. शैयाऐं शीघ्र स्थानान्तरित करवाने व ४० शैयाएँ और बढ़ा कर १०० बैड किये जाने की कार्यवाही होनी है। इसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान भी कराना होगा जो विचाराधीन है।

(६) अभी ६० शैयाएँ तो हैं, १०० शैयाएँ टी. बी. की हो जाने पर कम नहीं होंगी।

(७) जी हां।

श्री ओमदत्त भाटी-इसमें बजट की कितनी राशि रखी है, इस साल ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा-यह तो अलग पूछ लेते तो ठीक रहता, हर एक आइटम के सवाल का उत्तर इस समय नहीं दिया जा सकता।

श्री ओमदत्त भाटी-अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष--सूचना नहीं है।

श्री ओमदत्त भाटी-तो फिर सवाल का जवाब कैसे हुआ ?

श्री अध्यक्ष-नहीं हुआ। आगे स्थगित कर दें क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा- कौन से प्रश्न में पूछा है यह आपने ?

श्री अध्यक्ष-अलग से प्रश्न।

श्री ओमदत्त भाटी-बीकानेर, उदयपुर में कितने टी. बी. के अस्पताल में बैडस हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बीकानेर, जयपुर में हैं.........

श्री ओमदत्त भाटी—उदयपुर में........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर)—उदयपुर के टी. बी. के बीमार यहां आ गये जो हमें परेशान कर रहे हैं।

श्री ओमदत्त भाटी—फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि जोधपुर को बहुत तरक्की दी है क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जोधपुर से आये हैं। मैं तो कहता हूं कि जोधपुर के साथ उपेक्षा की गई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जोधपुर में मेडिकल कालेज नहीं हो सकता था, जो किया।

श्री ओमदत्त भाटी—कैसे जोधपुर में नहीं हो सकता था। जोधपुर में तो सेकिन्ड नम्बर में होना चाहिये था पर वहां नहीं कर के बीकानेर में किया, आप दुनियां को गुमराह मत करिये।

श्री अध्यक्ष—अब प्रश्न पूछिये, यह तो प्रस्तावना हुई।

श्री ओमदत्त भाटी—क्या यह सही है कि जोधपुर में ज्यादा बीमार होते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जोधपुर में टी. बी. की बीमारी ज्यादा नहीं फैली हुई है ?

श्री ओमदत्त भाटी—क्या यह सही है कि जोधपुर स्टेट में टी. बी. होस्पिटल के लिये ३ लाख रुपया मर्जर के समय दिया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उस समय टी. बी. वहां ज्यादा थी :

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या ६७१।

श्री देवीलाल बुरासिया

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६७२।

श्री दौलतराम सारण !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरलाल मीणा !

ग्राम पंचायत मधुरातालाब को विभिन्न कार्यों के लिये अनुदान

६७३. **श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ सु.)** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला चित्तौड़गढ़, पंचायत समिति प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत मधुरा तालाब को समिति द्वारा शुरु से आज तक कितना अनुदान किस किस कार्य के लिये दिया गया ? जिस कार्य के लिये जो अनुदान दिया गया था क्या वह कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो अब उनकी क्या कन्डीशन है ? अलग अलग बताने की कृपा करें ?

(२) क्या यह सही है कि इसी पंचायत क्षेत्र के ग्राम सरी पीपली में लिफ्ट इरिगेशन लगाया गया है ? यदि हां, तो पंचायत समिति द्वारा इस पर कितना अनुदान दिया गया ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि आदिवासियों के नाम पर लिफ्ट ईरिगेशन लगाकर इसी ग्राम पंचायत का सचिव अपनी भूमि पर ईरिगेशन करता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और कितनी भूमि पर सिंचाई हो रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा)-

(१) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, २६५६) रु० दिये गये हैं।

(३) आदिवासियों की भूमि के साथ साथ पंचायत के सचिव की ६ बीघा भूमि भी सिंचित

Page No 7

(श्री परसराममदेरणा)
होती है क्योंकि लिफ्ट सिंचाई में पाइप लाइन नदी से इनके खेत में से हो कर जाती है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री हरलाल मीणा :—यह सूची दी है, इसे दो आंखों वाला तो क्या चार आंखों वाला भी नहीं पढ़ सकता।

श्री अध्यक्ष :—क्या यह सही है कि जो सूची दी गई है, उसको चार आंखों वाला भी नहीं पढ़ सकता ?

श्री हरलाल मीणा :—जो पंप लगा रखा है आदिवासियों के नाम पर उससे वह सचिव अपनी जमीन की सिंचाई करता है।

श्री परसराम मदेरणा :—पंप तो पंचायत ने लगाया है इससे ५७ बीघा की सिंचाई होती है, उसमें से ४७ बीघा रकबा तो १२ आदिवासियों की जमीन है और ९ बीघा पंचायत के सचिव की जमीन है क्योंकि यह लिफ्ट सिंचाई की योजना उनके खेत में हो कर आती है।

श्री हरलाल मीणा :—यह उत्तर बिल्कुल गलत दिया है, वह सचिव आदिवासियों की जमीन अपने कब्जे में कर के सिंचाई करता है और हिस्सा वह लेता है।

श्री अध्यक्ष :—क्या यह ठीक है ?

श्री परसराम मदेरणा :—मैं तो ठीक नहीं मानता। जो सूचना मेरे पास है उसके अनुसार १२ आदिवासियों की अलग अलग ४७ बीघा रकबा भूमि है, जिसको इस लिफ्ट इरिगेशन की योजना से सिंचाई होती है इसके अलावा ९ बीघा भूमि सचिव की इसमें आती है, इसलिये उसको इससे पानी दिया जाता है। एक योजना आ रही है और बीच में किसी का खेत आता है और उससे यदि पानी देकर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो इसमें क्या एतराज है ?

श्री हरलाल मीणा :—इस समय इस सचिव के पास दो पंप हैं, जिस समय यह सचिव बना था, उस समय इसकी आर्थिक स्थिति क्या थी...

श्री अध्यक्ष :—प्रश्न पूछिये।

श्री हरलाल मीणा :—और सेक्रेटरी बनने के बाद आज उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी जानकारी कर ली जाय। जो रकम आदिवासियों के काम पेटे दी गई है उसकी जांच करवाली जाय कि उसे किस जगह खर्च किया गया है....

श्री अध्यक्ष :—नैक्स्ट।

श्री हरलाल मीणा :—एक पैसा आदिवासियों के काम के लिए नहीं लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष :—आर्डर, प्रश्न संख्या ९७४। सिंचाई मंत्री।

वाटर लोगिंग से प्रभावित भूमि

९७४. **श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा):**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चम्बल की दाहिनी व बांई मुख्य नहर पर कितनी भूमि डैस्ट्रोयड व प्रोटेक्टेड क्षेत्र वाटर लोगिंग से प्रभावित है ?

(२) इसके लिए सरकार की क्या योजना है?

उप मंत्री सिंचाई (श्री जसराज) :—(१) जून सन् १९६९ के सर्वेक्षण के अनुसार चम्बल क्षेत्र में डेमेज्ड व प्रोटेक्टेड क्षेत्रफल इस प्रकार है—डेमेज्ड क्षेत्रफल दांई नहर पर २९,००० एकड़। बांई नहर पर २५,५०० एकड़। कुल ५४,५०० एकड़।

प्रोटेक्टेड क्षेत्रफल दांई नहर पर १,५८,००० एकड़ और बांई नहर पर १,८०,००० एकड़ और कुल ३,३८,००० एकड़

(श्री जसराज)

(२) उपरोक्त भूमि के सुधार के लिये दस योजनाएं ३१ लाख रुपये लागत की कार्यान्वित की जा चुकी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) :—समझ में नहीं आ रहा है क्या रामायण पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष :—फिर से पढ़ दी दीजिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल :—प्रश्न के खण्ड (२) का उत्तर फिर से पढ़ दीजिये।

श्री जसराज :—(२) उपरोक्त भूमि के सुधार के लिए दस योजनाएं ३१ लाख रुपये की लागत की कार्यान्वित की जा चुकी हैं तथा अब एक बृहत् जलोत्सारण योजना ६६४ लाख रुपये व बना ली गई है जो योजना आयोग की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है?

श्रीकृष्ण कुमार गोयल :—इस वर्ष के लिये वाटर लोगिंग की समस्या के लिये कितनी राशि रखी गई है?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा):—२० लाख रुपया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल :—राइट और लेफ्ट पर कितना एरिया कवर कर लेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा :—अब करेंगे—

श्री कृष्ण कुमार गोयल :—मैंने यह पूछा है कि कितना एरिया कवर कर लेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा :—सारा तो कवर नहीं होगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल :—कितना होगा २० लाख रुपये में?

श्री रामप्रसाद लड्ढा :—कुछ स्कीम्स जो चालू हैं वे कवर होंगी। तथा कुछ नई स्कीम्स जो इस काम्प्रीहेन्सिव स्कीम का पार्ट हैं। इनका क्लीअरेंस आयोग से मिलने पर उनको प्रारंभ किया जायगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल :—क्या यह सही है कि वाटरलोगिंग की समस्या का निवारण न करने के कारण शनैः शनैः वाटर लोगिंग का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अगर इसको किसी निश्चित काल के अन्दर पूरा नहीं किया गया तो सम्भावना है कि सारा एरिया चम्बल कमांड चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट वाटर लोगिंग से प्रभावित हो सकता है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा :—सम्भावना तो चिंताजनक है ही लेकिन इसकी सारी काम्प्रेहेन्सिव स्कीम २:६४ करोड़ की है। अब धन की उपलब्धि किस सीमा तक हो सकेगी, तभी यह सारी काम्प्रेहेन्सिव स्कीम हम थोड़े से समय में पूरा कर सकते हैं अन्यथा धन की उपलब्धि के साथ ही इसके कम्पलीशन का कार्यक्रम चल सकेगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल :—यह जो २.६४ करोड़ की स्कीम है वह आपने कब केन्द्र को भेजी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा :—डेढ साल हो गया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल :--इस समय क्या स्टेज है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा :--स्क्रूटिनी बाई दी सेंट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन।

श्री देवीदत्त गाड़िया--क्या यह सही है कि इस वाटर लोगिंग की समस्या के कारण जिन किसानों की खेती खराब हो गई उनको मुआवजा राज्य सरकार देगी?

श्री अध्यक्ष:--अलग से प्रश्न है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर)- मेरे ख्याल से जल बहुमूल्य पदार्थ है राजस्थान में। अगर कैनाल खोदते हैं तो साथ साथ वाटर लोगिंग के सम्बन्ध में कोई प्रावधान क्यों नहीं करते जिसके द्वारा वाटर लोगिंग न हो ? वाटरलोगिंग से जमीन बिगड़ती है, पानी बिगड़ता है, योजनाओं से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है तो आप कैनाल के साथ साथ वाटरलोगिंग की भी उचित व्यवस्था क्यों नहीं करते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा :—सुझाव तो अच्छा है लेकिन कोटा में खास तौर से यह जो हिली स्ट्रैटा है, उस कारण से कोटा जिले में या चम्बल कमांड में यह समस्या विशेष तौर से है और इसमें काफी रुपया लगाना पड़ेगा। सरकार इसके प्रति जागरूक है।

श्री देवीदत्त गाड़िया :—क्या यह सही है कि वाटर लोगिंग के कारण से कई गांव ऐसे हैं जिनके चारों तरफ पानी पानी हो गया है जिसके कारण यातायात रुक गया, किसान खेत में नहीं जा सकता, चला जाय तो वापस नहीं आ सकता। इसको ठीक करने का काम योजना में लिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा :—सारी चीजें, जो २:६४ करोड़ की योजना है, इसके साथ ही साथ चम्बल स्टेज बनाकर कुछ कार्य अधूरे हैं पुलियाओं के, कल्वर्टस और दूसरे कुल २:४० करोड़ के हैं, वह अलग योजना है, उसका यह पार्ट है, वह भी योजना आयोग के सामने है।

श्री अध्यक्ष :—श्री विद्या सागर।

श्री देवीदत्त गाड़िया :—सारी ट्रकें, बसें और सारा यातायात अवरुद्ध हो जाता है, और किसान खेत से पानी नहीं निकल सकता ?

श्री अध्यक्ष :—शिक्षा मंत्री।

श्री देवीदत्त गाड़िया :—यह महत्वपूर्ण सवाल है, किसानों से सम्बन्धित है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय ऋषभदेव में अध्यापकों की कमी

६७५. **श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा सु)**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय ऋषभदेव जिला उदयपुर में हिंदी, अंग्रेजी हिस्ट्री के अध्यापकों की दो वर्ष से कमी रही है ? क्या यह सही है कि गत वर्ष अध्यापकों की कमी के कारण इस माध्यमिक विद्यालय का परीक्षाफल असंतोषजनक रहा ? यदि हां, तो इसका जिम्मेदार कौन है ? यदि नहीं, तो परीक्षाफल कितने प्रतिशत रहा ?

(२) क्या यह सही है कि गत वर्ष से व इस वर्ष से लगातार अध्यापकों की मांग स्थानीय हैडमास्टर व वहां के नागरिकों की ओर से की जा रही है ? यदि हां तो अध्यापक आज तक नहीं भेजने के क्या कारण हैं ?

उपशिक्षा मंत्री (श्री धीर सिंह) :—(१) यह सही नहीं है। दोनो वर्षों में हिंदी व अंग्रेजी के अध्यापक काम करते रहे हैं। इतिहास का अध्यापक गत वर्ष अक्टूबर में नियुक्त किया गया क्योंकि स्थायी अध्यापक ट्रेनिंग में जाने के कारण स्थान रिक्त हुआ और इतिहास का ट्रेन्ड अध्यापक उपलब्ध न होने के कारण समय पर नियुक्त नहीं किया जा सका। गत वर्ष परीक्षाफल असंतोषजनक रहने का मुख्य कारण वहां के अध्यापकों द्वारा टीचर्स डायरियां नियमित समय में नहीं भरना, प्रधानाध्यापक का पर्याप्त सुपरविजन का अभाव तथा विद्यार्थियों का प्रवेश के समय नीचे स्तर का होना है। गत वर्ष बोर्ड का परीक्षाफल १६ प्रतिशत रहा।

(श्री धीर सिंह)

(२) गत वर्ष व इस वर्ष सभी पद भरे हुए हैं । इस वर्ष ११ कक्षा खंडों के लिए १८ अध्यापक की व्यवस्था है जो पर्याप्त है । इसमें से १७ स्थायी हैं तथा एक दूसरे स्कूल से प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

श्री विद्यासागर :—गत साल अध्यापकों की कमी रही उस स्कूल में और इस साल भी कमी है, इसलिए गत साल रिजल्ट नीचे गया था और इस साल भी अध्यापकों की कमी से रिजल्ट नीचे जायगा और बार-बार प्रार्थना करने पर भी अध्यापक नहीं दे सके ।

श्री अध्यक्ष :— क्या यह सही है ?

श्री धीरसिंह-अध्यापकों की कमी के कारण से रिजल्ट नीचे नहीं गया लेकिन जो कारण इन्सपैक्टर और हैडमास्टर ने दिये हैं वह हैं डायरी न भरना और डायरीज को चैक न करना । इस बात के लिये ज्यादा सतर्क न रहकर पाबंदी की जायगी कि वे डायरीज को चैक करें और सुपरवीजन करें ।

श्री विद्यासागर:--अध्यापकों द्वारा डायरियां न भरने पर उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री धीरसिंह :--इसकी जांच करवाई जायगी ।

श्री देवेन्द्र कुमार :—किसके द्वारा जांच करवायेंगे ?

श्री धीरसिंह :—डाइरेक्टर को आदेश कर देंगे कि जांच करें और कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष :—नैक्सट ।

६७६. **राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर)** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) जयपुर से बीकानेर के लिए कितनी बसें प्रति दिन वाया सुजानगढ़ चलती हैं और वे बीकानेर पहुंचने में कितने घन्टे लेती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि जयपुर से बीकानेर वाया रतनगढ़ जाने के लिए कोई प्राईवेट या रोड़वेज की बसें नहीं हैं ?

(३) क्या सरकार जयपुर से बीकानेर तक के लिए वाया रतनगढ़ रोड़वेज की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? क्या सरकार जयपुर से बीकानेर पहुंचने के लिए बसों का समय बजाय ११ घन्टों के ८ घन्टों का निर्धारित करने का विचार रखती है ?

यातायात उपमंत्री (श्री समर्थराज)—(१) इस रूट पर प्रतिदिन पांच बसें चलती हैं और बीकानेर पहुंचने में ११ घन्टे लेती हैं ।

(२) जी हां ।

(३) निगम का फिलहाल जयपुर बीकानेर मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार नहीं है । एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का समय दोनों स्थानों की दूरी अधिकतम गति सीमा एवं रास्ते के स्टापेज की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है । समय को अत्यधिक कम करने से दुर्घटना आदि बढ़ने की आशंका रहती है ।

रजवी श्री रूपसिंह—मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो बसें जयपुर से बीकानेर वाया रतनगढ़ जाती हैं और जो बीकानेर से जयपुर वाया सुजानगढ़ जाती हैं दोनों के डिस्टेन्स में कितना फर्क है ?

श्री समर्थराज—जयपुर से बीकानेर २३७ मील है ।

राजवी श्री रूपसिंह—वाया रतनगढ़ कितना डिस्टेन्स है और वाया सुजानगढ़ कितना डिस्टेन्स है ?

श्री समर्थराज--जयपुर से जो बसें बीकानेर जाती हैं वाया सुजानगढ़ वह डिस्टेन्स २३३ मील है ।

Page No 11

राजवी श्री रूपसिंह—आपने फरमाया कि जयपुर से बीकानेर वाया रतनगढ़ बसें चलने का विचार नहीं है, क्यों ? क्या यह सही है कि जयपुर से बीकानेर वायी रतनगढ़ रोड़ १०० टाइम्स बेटर है और सुजानगढ़ वाली रोड़ खराब है और इस रोड़ पर कम से कम ७० बसें चलती हैं और रतनगढ़ की तरफ सिर्फ १० बसें चलती हैं ? तो क्या इस फर्क को देखकर आपका विचार उस तरफ बसें चलाने का है ?

श्री समर्थराज—उस सड़क के बारे में मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल)—क्या सरकार की यह नीति है कि जिधर से लम्बा रूट है वहां से बसें चलें और जहां से कम समय लगता हो वहां से बसें न चालू की जायं ?

श्री अध्यक्ष--अगला प्रश्न । भैरोंसिंह शेखावत ।

फार्माकालोजी की पढ़ाई

६७७. **श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर)**-क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य के किस किस मेडिकल कालेज में फार्माकालोजी विषय का अध्ययन कराया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि किसी कालेज में नया विषय निर्धारित संख्या में छात्र होने पर ही खोला जाता है ? यदि हां, तो मेडिकल कालेजों में विभिन्न विषयों में निर्धारित संख्या की तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(३) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजों में फार्माकालोजी में सन् १९६७ से ही विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या रही है ? यदि हां तो किस कालेज में किस किस वर्ष में फार्माकालोजी में कितने-कितने विद्यार्थी रहे हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(४) फार्माकालोजी में कहां-कहां कितने २ रीडर के पद हैं तथा कब कब से ?

(५) क्या यह सही है कि रीडर का पद किसी निर्धारित छात्र संख्या के आधार पर ही बनाया जाता है ? यदि हां, तो वह छात्र संख्या क्या है ?

(६) निर्धारित छात्र संख्या होने पर रीडर का पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करने में कितना समय लगता है तथा निर्धारित छात्र संख्या होने तथा कालेजों के प्रिन्सिपलों द्वारा मांग करने पर भी यह पद स्वीकृत न करने का क्या कारण है अब कब तक वह व्यवस्था कर दी जावेगी ?

(७) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के पास अब भी कई कालेजों के फार्माकालोजी के रीडर के पद को स्वीकृति के लिए कागज विचारार्थ पड़े हैं ? यदि हां तो कहां कहां के कब कब से तथा उनको अभी तक स्वीकृति नहीं देने का क्या कारण है ।

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा)-(१) राज्य के सभी पाचों मेडिकल कालेजों में फार्माकालोजी के विषय का अध्ययन कराया जाता है ?

(२) जी नहीं

(३) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि फार्माकालोजी एम. बी. बी. एस. डिग्री कोर्स का एक विषय है जो फर्स्ट एम. बी. बी. एस. परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पढ़ाया जाता है । अतः किसी विषय विशेष में छात्रों की संख्या पर्याप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) फार्माकोलोजी में रीडर का एक पद बीकानेर मेडिकल कालेज में सन् १९६१ से तथा

Page No 12

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
एक पद उदयपुर मेडिकल कालेज में सन् १९६३ से स्वीकृत है।

(५) यह सही नहीं है पदों का सृजन भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वीकृत मापदंड के अनुसार किया जाता है।

(६) पदों के सृजन हेतु निर्धारित छात्र संख्या ही पर्याप्त नहीं होती। कालेज के प्रिन्सिपलों प्रस्ताव का मूल्यांकन भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वीकृत मापदण्ड, स्टाफिंग पैटर्न तथा वित्तीय प्रावधान के अनुसार किया जाता है पद के सृजन की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना संबन्धित प्रिन्सिपल को कर दी जाती है।

(७) जी हां फार्माकोलोजी में रीडर के पद के सृजन हेतु प्रिन्सिपल अजमेर और जोधपुर मेडिकल कालेज से गत वर्ष प्रस्ताव आए थे। जिन पर स्टाफिंग पैटर्न तथा वित्तीय प्रावधान के अभाव में वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं मिली अतः उक्त पद सृजित नहीं हो सके।

श्री अध्यक्ष—श्री रामानंद अग्रवाल।

अध्यापकों के फिक्सेशन के मामले

६७८. श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर)-क्या शिक्षा मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) शिक्षणालय अलवर के कितने ऐसे अध्यापक है जिनका अभी तक भी यू. पी. एस. १९५० आर. पी. एस. १९५६ व आर. पी. एस. १९६१ में फिक्सेशन नहीं किया गया है?

(२) उन अध्यापकों का उक्त ग्रेडों में फिक्सेशन करने की अब तक क्या कार्यवाही की है?

(३) उक्त ग्रेड्स में फिक्सेशन करने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा व कब तक अध्यापकों को उनका देय दे दिया जायेगा?

उपमंत्री शिक्षा श्री (धीरसिंह)-(१) यू. पी. एस. १९५० व आर. पी. एस. १९५६ का कोई केस बाकी नहीं है। आर. पी. एस. १९६१ में केवल ५ अध्यापकों के फिक्सेशन होने शेष हैं।

(२) २ मामलों में आक्षेप लगे उन्हें पूरा कराने हेतु संबंधित शालाओं को पूर्ति हेतु भेजे गए हैं। एक मामले में अध्यापक अभी निलंबित है। २ मामले में पूर्ण विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं।

(३) आशा है कि माह अप्रेल के अन्त तक मामलों निपटाए जाकर भुगतान किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष—श्री रामप्रसाद बोहरा।

बाढ़ से क्षति

६७९. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन)-क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि रायपुर ग्राम जिला झालावाड़ पंचायत समिति पिड़ावा में ज्यादा बाढ़ आने के कारण कई मकान बैठ गये? यदि हां तो क्या इनके मालिकों को अनुदान दिया गया?

(२) यदि हां तो किन किन व्यक्तियों के मकान बैठ गये और इनको कितना कितना नुक्सान हुआ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) इन मकान मालिकों को किन किन को कितना कितना रुपया अनुदान का दिया गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप मंत्री सिंचाई (श्री जसराज)—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राजस्व विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी)-

१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(३) सम्बन्धित सूचना उपरोक्त सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा—अध्यक्ष महोदय, मिश्रीलाल रतनलाल को पांच हजार, मकान ढह जाने से क्षति हुई। उसको रुपया मिला नहीं और न ही उसका नाम दर्ज है। परगना अधिकारी ने सूची में कहा कि रुपया दे दिया गया।

श्री गंगाराम चौधरी—जिन लोगों को सहायता दी उन सब के नाम सूची में दर्ज हैं। जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, उसकी जानकारी नहीं है कि सहायता मिली या नहीं।

श्री रामप्रसाद बोहरा—कितने ही गलत आदमियों को पेमेन्ट हुआ है और सही आदमियों को पेमेन्ट मिला नहीं। मिश्रीलाल रतनलाल भी उनमें से एक हैं। पांच हजार का नुक्सान हुआ। इसमें लिखा है कि रुपया दिया जा चुका है। उन का सूची में नाम नहीं आया। इसकी जांच करायी जाय।

श्री अध्यक्ष—इसकी जांच करायें।

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरना)-क्षतिग्रस्त मकानों को बनाने के लिये सहायता दी तो सूची में नाम होना चाहिये।

श्री रामप्रसाद बोहरा—परगना अधिकारी के अनुसार सहायता दे दी।

श्री अध्यक्ष—सूची में नाम है क्या ?

श्री रामप्रसाद बोहरा—सूची में नाम नहीं है जब कि परगना अधिकारी कहता है कि रुपया दे दिया गया।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री हीराभाई।

प्रश्न संख्या ६८०

श्री हीराभाई

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल—फरजी नाम दिये हुए हैं। परगना अधिकार ने यह महसूस किया है कि जिसका नाम यह ले रहे हैं उसको पैसा दे दिया गया है और सूची में उसका नाम दर्ज नहीं है। उनको पैसा नहीं मिला है।

श्री परसराम मदेरणा—जो सूची आयी है वह माननीय सदस्य को दे दी है। मिश्रीलाल रतनलाल को पैसा दिया गया और परगना अधिकारी ने सूचित किया लेकिन उसका नाम सूची में नहीं है, आया पैसा दिया गया और मिश्रीलाल रतनलाल को कितना नुकसान हुआ और सूची भेजी उसको इन्कम्पलीट भेजी है इसकी जांच कराने के बाद ही उत्तर दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या ६८१

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६८२

श्री लादूराम सुलानियां

(अनुपस्थित, आगे देखिये)

श्री गंगा सहाय।

मनोरंजन कर की वसूली

६८३. **श्री गंगासहाय (कठूमर सु०)**—क्या वित्तमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जालौर जिले के जालौर एवं भीनमाल म्युनिसिपल क्षेत्र में पुलिस

(श्री गंगासहाय)
विभाग द्वारा राणा दी ग्रेट का खेल जनता को सन् १९६९ में दिखाया गया तथा वहां पुलिस विभाग ने उसके टिकिट बेचे ?

(२) क्या यह सत्य है कि म्युनिसिपल क्षेत्र में मनोरंजन कर लागू हैं ? यदि हां, तो क्या पुलिस विभाग ने इस खेल का टैक्स दिया ? यदि दिया तो कितना पैसा जमा कराया गया ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार मनोरंजन कर उनसे वसूल करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उपमंत्री कर वाणिज्य श्री (बृजप्रकाश गोयल)—(१) जी हां।

(२) जी हां। पुलिस विभाग द्वारा इस खेल का टैक्स नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने मनोरंजन कर से मुक्ति के लिये वाणिज्य कर अधिकारी, सिरोही को निवेदन किया है। कर मुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री गंगासहाय—पहले एप्लीकेशन दी।

श्री बृजप्रकाश गोयल-कमिश्नर टेक्सेशन को एप्लीकेशन दी। वह रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद गवर्नमेन्ट को एप्लाई किया। कर मुक्ति दे सकते हैं तो दी जायेगी अन्यथा रिजेक्ट कर दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या ६८४

श्री नन्दलाल बैरवा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बाल सिंह सोढ़ा

जिला जैसलमेर में चिकित्सा सुविधा

६८५.श्री बालसिंह सोढ़ा(जैसलमेर)-क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में (१) सम (२) जैसलमेर (३) मोहनगढ़ में चल चिकित्सा केन्द्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हैं ? अगर हां, तो मोहनगढ़ में आज तक केन्द्र क्यों नहीं खोला गया ?

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त केन्द्रों पर आज तक डाक्टर व स्टाफ की नियुक्ति व इक्विपमेन्ट प्रदान नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि जैसलमेर जवाहर अस्पताल में पलंग की क्षमता अधिक होते हुये भी उसको डिस्पेन्सरी ही रखा है ? अगर हां तो जिला मुख्यालय पर अस्पताल की क्षमता नहीं बढ़ाने व सी. एम.ओ.की नियुक्ति नहीं करने के क्या कारण है और भविष्य में राज्य सरकार कब तक डिस्पेन्सरी को उच्च श्रेणी में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा)-(१) जी हां। मोहनगढ़ में चल चिकित्सा केन्द्र गाड़ी के अभाव में नहीं खोला गया पर जैसलमेर में भयंकर अकाल होने के कारण आठ चल चिकित्सा टोलियां कार्य कर रही हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(१) जी नहीं। पूर्णतया सत्य नहीं है।

(२) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है पर उक्त अस्पताल को उच्चीकरण करने के लिये सन् १९७०-७१ में रु. ७५ लाख का प्रावधान रखा गया है,जब वार्ड बनकर तैयार हो जावेंगे, सन्१९७१ ७२ में किया जाना सम्भव होगा प्रशासनिक दृष्टि से जैसलमेर जिले के लिये अलग से सी. एम: ओ. के पद की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

Page No 15

श्री बालसिंह सोढ़ा-अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जैसलमेर अस्पताल में भवन निर्माण हो चुका है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा-जैसलमेर अस्पताल में तो मेटरनिटी सेन्टर का निर्माण हुआ है। उसमें तो कमी है।

श्री बालसिंह सोढ़ा-क्या व्हूल एसोशिएशन ने कोई वार्ड का निर्माण कराया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा-ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। मैं अभी जैसलमेर होकर आया हूं।

श्री बालसिंह सोढ़ा-वहां एडजोईनिंग में वूल एसोशियेशन द्वारा वार्ड का निर्माण कराया गया था और अधिक बेड्स की क्षमता है व एडीशन एल्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है और आजकी स्थिति देखते हुए अधिक बेड्स खोलने की आवश्यकता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा-अगर भवन है तो कुछ शैयायें बढ़ा दी जावेंगी।

श्री बालसिंह सोढ़ा- चल चिकित्सालय मोहनगढ़ में कब तक खोल देंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा-अकाल मत रहने दें जब ही खोल देंगे।

श्री अध्यक्ष-नेक्सट।

स्थगित प्रश्न।

श्री जुझारसिंह।

स्थगित प्रश्न

(३१-३-७०)

ग्राम सालोतिया में राहत कार्य

४१३. **श्री जुझार सिंह (रामगंज मंडी)**-क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(१) क्या यह सही है कि यथा सम्भव ५ मील से कम फासले पर अकाल सहायता का दूसरा काम नहीं खोला जाना चाहिये ?

(२) ग्राम सालोतिया तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ में क्या सड़क व बांध का काम एक ही स्थान पर ही खोला गया था व दोनों कामों के लिए स्थानीय मजदूर उपलब्ध नहीं हो सकने के कारण दूसरे अकालग्रस्त क्षेत्रों से ट्रकों द्वारा लाए गए थे ? सालोतिया सुनल सड़क व वान्या खेड़ी का बांध पर कितने कितने मजदूर कितने दिन तक किस किस गांवों के बुलाये गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) वान्या खेड़ी बांध बनाने का क्या औचित्य था और इसको बनाने की सिफारिश किन अधिकारियों द्वारा की गई थी ? इस बांध के बनने के बाद कितने क्षेत्र में सिंचाई की गई है ?

उप मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी)—(१) जी हां।

(२) जी नहीं दोनों कार्य एक ही स्थान पर नहीं खोले गये थे व दोनों कार्यों के लिये आसपास के अभावग्रस्त गांवों के मजदूर उपलब्ध थे। ट्रकों द्वारा दूसरे अकालग्रस्त क्षेत्रों से श्रमिकों को नहीं लाया गया। इन पर वान्या खेड़ी बांध पर वान्या खेड़ी गांव के ही श्रमिकों ने कार्य किया है। सड़क पर सालोतिया अरनिया खेड़ी व आस पास के गावों के श्रमिकों ने कार्य किया है। इन कार्यों पर माहवारी श्रमिकों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(३) वान्या खेड़ी बांध से २०० एकड़ से ज्यादा भूमि लिफ्ट से सिंचित होने का अनुमान है और इसलिये इस कार्य को जिलाधीश की सिफारिश पर स्वीकृत किया गया। वह बांध इसी वर्ष बनाया गया है अतः सिंचित क्षमता के संबन्ध में जानकारी आगे उपलब्ध हो सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री जुझार सिंह--मंत्री महोदय ने पहले प्रश्न में कहा जी हां। पांच मील के फासले पर दो काम नहीं खोलते हैं इसको आप मंजूर करते हैं वान्या खेड़ी और सालोदिया का डिस्टेन्स कितना है ?

श्री गंगाराम चौधरी--कम भी हो सकता है। उत्पादन कार्य का सवाल है उसमें कुछ दूरी को कम भी किया जा सकता है।

श्री जुझार सिंह-आप ने फरमाया कि पांच मील के फासले पर जहां तक सम्भव हो, दो काम नहीं खोले जावेंगे। वान्या खेड़ी और सालोदिया में एक मील का भी डिस्टेन्स नहीं है फिर भी दो काम खोले गये हैं। यह भी आपने कहा कि वान्या खेड़ी के बांध पर वान्या खेड़ी के ही आदमियों को काम पर लगाया है। आपने ३२८० आदमियों को काम पर लगाना बताया वान्या खेड़ी का कुल कितना पापुलेशन है ?

श्री गंगाराम चौधरी--वान्य खेड़ी की पापुलेशन क्या है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। कार्य नजदीक खोलने का तो मैंने पहले ही निवेदन किया कि उत्पादन कार्य का सवाल है। कम भी दूरी हो तो प्राथमिकता दी जाती है इसलिए प्राथमिकता इस बांध को दी गयी।

श्री जुझार सिंह- वान्य खेड़ी के मजदूरों को इस काम में लगाया गया। वहां की टोटल पापुलेशन दो सौ से अधिक नहीं है। फिर साढ़े तीन हजार आदमी कहां से आगये ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरना)—३।। हजार नहीं। महीने भर में काम किया दो सौ आदमी भी होते तो मिडेज तीन हजार आदमियों का हो जावेगा। तीन हजार काम नहीं कर रहे थे। मेन डेज हैं।

श्री जुझार सिंह—यह बांध और यह सड़क एक व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिये बनाये जा रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (धारा)—यह व्यक्ति कौन है ?

श्री अध्यक्ष—आर्डर प्लीज।

श्री जुझार सिंह—दो सौ एकड़ सिंचाई होने की संभावना है तो अब कितनी सिंचाई हो रही है और उसमें कितना पानी है।

श्री परसराम मदेरणा—किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का प्रश्न नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर)—निश्चित ही एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यह कार्य वहां पर चालू किया गया है।

श्री जुझारसिंह—इस बात को ....

श्री देवीदत गाड़िया—आपने वास्तविकता इस सदन से कभी छुपाया नहीं है, मंत्री महोदय...

श्री अध्यक्ष—प्रश्नकर्ता-श्री जुझारसिंह।

श्री परसराम मदेरना-अध्यक्ष महोदय, मैने यहां पर किसी को भी शिल्ड नहीं किया है...

देवीदत्त गाड़िया—यह तो मानते हैं।

श्री परसराम मदेरणा—जो दोषी है उस को सजा मिलनी चाहिये और उसके खिलाफ एक्शन

(श्री परसराम मदेरणा)
लिया है और हमेशा से ही हमारी यह कोशिश रही कि दोषी व्यक्ति को सजा मिले।

श्री देवीदत्त गाड़िया—यह हम भी मानते हैं।

श्री परसराम मदेरणा-यह जो सड़क है वह झालरापाटन सुनेल सड़क है। झालरापटन सुनेल सड़क के बीच में सालोदिया ग्राम बीच में पड़ता है उसको एक तरफ नहीं हटाया जा सकता। यह एक लम्बी सड़क है दूसरा जो है वह बनियाखेड़ी है उसका एक बंधा है। जो काम होता है इर्रीगेशन के अन्दर, उसके ऊपर थोड़े से ही व्यक्ति लगाये जा सकते हैं। पूरा का पूरा एरिया इफेक्टेड था। एक सड़क और एक इर्रिगेशन का काम हाथ में लिया गया क्योंकि इर्रिगेशन के काम में सीमित आदमी ही रख सकते हैं। एक दिन में सौ से ज्यादा नहीं लगा सकते। दूसरा झालरापाटन और सुनेल सड़क का जो काम है....

श्री जुझारसिंह—मंत्री महोदय डिफेन्ड करने की कोशिश नहीं करें। मैंने इसके लिये एक पिटीशन भी पेश की थी और पिटीशन कमेटी इस बांध का मुआयना करके आई है। हमने इस बांध को देखा है। इसके पास में पटेल कन्हैयालाल जी का कुआ है जिसमें पानी नहीं ठहरता है। इसके लिये ही इस बांध को बनाया गया है। इस बांध से १० बीघा में भी पीवत नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि आप स्वयं जाकर के इसको देखें या आप इसकी जांच करवाये।

दूसरा आपने सुनेल-झालरापाटन की सड़क का बताया है। यह सड़क झालरापाटन से तातरिया-वास तक बन चुकी है। आगे तातरियावास से यह सड़क शुरु होनी चाहिये थी। वहां से इसका कार्य शुरु किया जाना चाहिये था किन्तु वहां से कार्य शुरु न किया जाकर इस सड़क काम मिड वे पाइंट याने सालोदिला ग्राम से शुरु किया गया है। यह सिर्फ एक आदमी को फायदा देने के लिये किया गया है। मेरा निवेदन है कि आप इसकी जांच करावें और उनके खिलाफए क्शन लेवें।

श्री परसराम मदेरणा-अध्यक्ष महोदय,पिटीशन कमेटी ने मौके पर जाकर इसको देखा है, और उसने कोई रिपोर्ट दी है। इस सदन के माननीय सदस्य उसमें हैं। अगर कमेटी की रिपोर्ट पेश हो गई है तो राज्य सरकार उस पर गौर करके जांच करवायेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया-क्या यह श्री कन्हैयलाल पटेल राज्य सरकार के उप मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष—यह बिलकुल सही है आप क्या कहते हैं।

श्री जुझारसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वहां पर अकाल नहीं था। उस गांव को झालावाड़ जिले के कलेक्टर पर और दूसरे अधिकारियों पर प्रेशर डालकर अकाल ग्रस्त घोषित करवाया गया है और तीन लाख रुपये सालोदिया ग्राम के अन्दर गलत ढंग से खर्च करवाये गये हैं। मैंने स्वयं ने मौके को देखा है और बांध को देखा है। बांध में एक भी बूंद पानी नहीं है और उसके आस पास दूसरे किसी आदमी की जमीन नहीं है। इस प्रकार इस बांध पर ४६ हजार रुपये का राजकीय धन दुरुपयोग किया गया है। स्वयं इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट महसूस करता है कि अनावश्यक रूप से राजनैतिक प्रेशर के कारण यहां पर पैसा लगाया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया—अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष—प्रश्न कर्ता।

श्री जुझारसिंह—अध्यक्ष महोदय,इतना ही ह यह जो गांव है सलोदिया इसमें अफीम का रकबा

(श्री जुझार सिंह)

दिया हुआ है और अफीम में १० वार्टरिंग की जरूरत रहती है। और जब १० वार्टरिंग की कैपीसिटी कुए में उपलब्ध रहती है तो वहां पर अकाल की परिस्थिति कैसे हो सकती है। श्री पटेल ने नार्मल रकबे से ज्यादा रकबा अफीम का लिया है और यह सारे गांव से ज्यादा है। अगर वहां पर अकाल की परिस्थिति होती तो गांव के लोग अफीम रकबा नहीं लेते। यह अपने आप में साफ है कि वहां पर अकाल की परिस्थिति नहीं थी। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक मिडिल स्कूल बनाया जा रहा है और लोगों ने इसके लिये चन्दा दिया है। अगर वहां पर अकाल की परिस्थिति होती तो लोग चंदा नहीं देते। ये सब ऐसे मामले हैं जिनकी अकाल राहत मंत्रीजी क्या जांच करावेंगे ? यहां पर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा—अध्यक्ष महोदय, सालोदिया ग्राम में अफीम की खेती के लिये कितना रकबा लास्ट इयर या और कितना इस साल दिया गया है इसके लिये १० वार्टरिंग की जरूरत होती या नहीं, इसका तकनीकी ज्ञान मुझ को नहीं है। मैं ऐसे इलाके का रहने वाला हूँ जो एक फसली इलाका है और जहां पर अफीम की फसल नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अफीम की फसल मैंने नहीं देखी है। इसलिये तकनीकी ज्ञान के बिना मैं यह नहींकह सकता कि अफीम की खेती को१० वार्टरिंग की आवश्यकता होती है या नहीं। हमारा इलाका एक फसली है। जहां पर खरीफ की फसल को डेमेज हुआ है और जब फसल को डेमेज हुआ है तो निश्चित रूप से वहां पर हानि हुई है इसमें हो सकता है कुछ रकबे ऐसे हों जहां पर रबी की फसल हुई हो। हमने जो कुछ भी गांव डिक्लेयर किये हैं वे कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर किये हैं। कलेक्टर अपनी रिकमण्डेशन पटवारी, जिसवार गिरदावरी की रिपोर्ट को आधार मान कर करता है और इसके आधार पर ही गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है। यही आधार इस सदन के माननीय सदस्यों ने तय किया है और उसी का राज्य सरकार ने अनुसरण किया है।

श्री जुझारसिंह—अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खुद ने स्वीकार किया है कि आपको अफीम के बारे में अनुभव नहीं है। मैं आपको यह निवेदन कर दूं कि जब पानी की कमी होती है, बरसात कम होती है तो कुओं में पानी कम हो जाता है उनमें १० वार्टरिंग जितना पानी उपलब्ध नहीं रहता और दूसरे जो गांव अकाल ग्रस्त किये हैं उन गांव वालों ने अफीम का रकबा नहीं लिया है। इसलिये रबी की फसल का अन्दाज नहीं लगाते, यह गलत है। यह जान बूझकर किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा—अध्यक्ष महोदय, ऐसा देखा गया है और अनुभव के आधर पर भी कि एक साल किसी क्षेत्र में अकाल पड़ता है तो वहां का पानी नीचे चला जाता है। परन्तु ऐसी स्थिति नहीं है। जोधपुर डिवीजन में चार साल से अकाल की स्थिति चल रही है। वहां के कुओं का पानी सूखा नहीं है यह जरूर हुआ है कि पानी गहराई में चला गया है और अब भी उन कुओं से रबी की फसल की जा रही है। इसलिये इसका कोई असर नहीं पड़ता है। एवरेजली इसका असर ज्यादा नहीं पड़ता है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर)-क्या यह सही है कि जिला रिलीफ कमेटी ने इन गांवों के लिये और बांध के लिये कोई सिफारिश नहीं की है। और न इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आया है।

श्री परसराम मदेरणा-क्या यह जानकारी भी मुझे नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया-आप को सब है। (शोरगुल)।

श्री अध्यक्ष—नेता महोदय, विरोधी दल ।

श्री परसराम मदेरणा-जो इन्फारमेशन मेरे पास में आई है, वह कलेक्टर की शिफारिश के ऊपर बांध की स्वीकृति दी गई है । [शोरगुल]

श्री अध्यक्ष—आर्डर आर्डर माननीय सदस्य। विरोधी दल के नेता महोदय । आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर)-अध्यक्ष महोदय, एक सम्माननीय सदस्य नहीं, दो सम्माननीय सदस्य नहीं, तीन तीन सम्माननीय सदस्यों द्वारा गंभीर आरोप लगाये गये हैं। यह जो सरकार के द्वारा काम किये गये हैं वे एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए किये हैं । मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे मैं अनुभव करता हूं कि उनको इसकी व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं है । मैं मंत्री महोदय, को अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि यदि वे स्वयं जाकर के मौका मुलाहिजा करेंगे तो उनको स्थिति पूर्णतया अवगत होगी । तो क्या वे ऐसा विचार रखते हैं ? खास करके जब तीन तीन सम्माननीय सदस्यों ने इस विधान सभा के अन्दर ऐसे गम्भीर आरोप लगाये हैं ।

श्री परसराम मदेरणा—जो सूचना मुझे जिलाधीश ने भेजी है उसमें जिला सलाहकार समिति की सलाह ली गई थी, खास कर के इस बंध की सेंक्शन ली गई थी । किसी व्यक्ति विशेष के लिए, उसके लाभ के लिए यह नहीं किया गया है । इसी तरह से झालरापाटन-सुनेल सड़क भी किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं बनाई गई है . . . .

श्री जुझार सिंह—आप मौके का मुलाहिजा कर लीजिये । जितनी भी पापुलेशन है, इनस्ट विलेजेज हैं उनको सड़क बनाने से सुविधा होती है । हर गांव में सड़क नहीं लेजाई जा सकती है । और व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से अकाल राहत का कार्य नहीं होता है अवसर यह देखा गया है कि जो सड़क बनाई जाती है उसमें कोई न कोई गांव आता ही है और उस गांव को राज्य सरकार जोड़ दे, ऐसा नहीं किया जाता है । इसमें राज्य सरकार की कोई नियत खराब नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया—जिसने सरपंच की हैसियत से फर्जी भत्ता बनाया . . . फर्जी कार्यवाही बताई, उस उप मंत्री से और कैसी उम्मेद की जा सकती है । यह सारा काम, सारी कार्यवाही अकेले उस व्यक्ति को लाभ देने की दृष्टि से की गई है ।

श्री अध्यक्ष—आर्डर आर्डर माननीय सदस्य । प्रश्नकर्त्ता ।

श्री देवीदत्त गाड़िया—इसमें क्या है . . .

श्री अध्यक्ष—आर्डर माननीय सदस्य ।

श्री देवीदत्त गाड़िया—फर्जी भत्ता . . .

श्री अध्यक्ष—आर्डर माननीय सदस्य ।

श्री देवीदत्त गाड़िया—यह बात आपसे छिपी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—श्री गाड़िया, अब कोई प्रश्न नहीं ।

श्री जुझार सिंह—अध्यक्ष महोदय (शोरगुल-अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया—जो महान भ्रष्ट, बेइमान . . . .

श्री अध्यक्ष—आर्डर माननीय सदस्य ।

श्री चुन्नी लाल जैलिया ।

श्री लाभचन्द—अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी देना चाहता हूं . . . .

श्री अध्यक्ष—श्री जेलिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया—जेलिया कौन है अध्यक्ष महोदय, कोई नहीं है।

प्रश्न संख्या ६६७

श्री अध्यक्ष—श्री चुन्नीलाल।....

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री लाभचन्द वैद —माननीय अध्यक्ष महोदय जहां तक....

आर्डर आर्डर, आप किस प्रश्न पर फरमा रहे हैं। वह प्रश्न तो समाप्त हो गया।

पुनरावृत्ति। श्री महेन्द्र कुमार।

डूंगरपुर जिले के जंगल

६६६. श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा सु.) क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) डूंगरपुर जिले के कौन-कौन से जंगल हैं? उनकी मिल्कियत किस-किस की है तथा वर्तमान में उनके ठेके किस-किस को कब-कब से दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) पाली सोड़ा जंगल के कोयले का ठेका किसको तथा किसके द्वारा दिया गया है?

(३) क्या सरकार को विदित है कि पाली सोडा जंगल के आस पास दूसरे सरकारी घने जंगल हैं? पाली सोडा जंगल में कोयले के बनाने के लिए लकड़ी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और आस पास के सरकारी जंगलों से लकड़ी काटकर ठेकेदार अपने लाभ के लिए अनुचित कार्य कर सकता है? यदि हां, तो सरकार ने जंगलों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की है?

(४) क्या सरकार जनहित में यह उचित नहीं समझती कि पाली सोडा जंगल सरकारी निगरानी में रहे? यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार की क्या योजना है? यदि नहीं तो क्यों?

वन मंत्री (श्री नारायण सिंह मसूदा)- अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या ६६७

श्री चुन्नीलाल जेलिया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६६९

श्री मदन सिंह

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६७१

श्री देवीलाल बुरासिया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६७२

श्री दौलतराम सारण

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६८०

श्री हीराभाई

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मतीलक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

Page No 21

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों में राजस्थान की संस्कृति आदि के बारे में वर्णन

६८१. श्री मती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत(भीम) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों में राजस्थान की संस्कृति इतिहास तथा लोकनायकों के बारे में बहुत कम पाठ दिये जाते हैं ?

(२) क्या यह सही भी है कि राजस्थान के साहित्यकारों की रचनाओं को भी उनमें कम स्थान दिया जाता है ?

(३) यदि हां, तो इस वर्ष के पाठ्यक्रम में राजस्थान के प्राचीन कलाकार साहित्यकार तथा लोकनेता अथवा स्थानीय महत्व के स्थापत्य अथवा साहित्य के कितने पाठ है और अन्यथा कितने ?

उप मंत्री शिक्षा (श्री धीर सिंह)—(१) राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों में राजस्थान की संस्कृति एवं इतिहास पर समुचित पाठ दिये गये हैं ।

(२) यह सही नहीं है । वर्तमान पाठ्यपुस्तक लिखने के लिए जो लेखकों की नामावली बनाई गई थी उनमें अधिकांश लेखक राजस्थानी हैं ।

(३) सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत—राजस्थान की संस्कृति और इतिहास के बारे में क्या समुचित स्थान दिया जाता है इसके लिए मैं निवेदन करूंगी कि जो लिस्ट दी है उसके अनुसार एक एक पुस्तक में दो पाठ से ज्यादा नहीं हैं किसी में तीन हैं । क्या इतनी अल्प सामग्री से हमारे राजस्थान की संस्कृति और इतिहास की जानकारी हो सकती है क्या यह यथोचित्त है ?

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री)—इसका अनुपात लगाना तो मुश्किल है कि राजस्थान की जानकारी के लिए कितने पाठ होने चाहिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत—क्या सिद्धान्त रूप में आप इसको स्वीकार करते हैं कि संस्कृति और इतिहास की जानकारी होनी चाहिये और उसके लिए कितनी सामग्री होना पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक समझते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर—इसके बारे में कोई अनुपात स्थिर करना मुश्किल है । राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की जानकारी देने की भरपूर कोशिश करते हैं ।

श्री मती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत--दूसरी तरह की जानकारी तो दी जाती है उसमें खुद के राज्य की उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं ? यहां के लोकनायकों, प्राचीन कलाकारों, विशेष व्यक्तियों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है जब कि दूसरी जगह वहां के कलाकारों और साहित्यकारों को स्थान देते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर—कितना कहां लिखा जाता है उसकी तुलना यहां पर करना मुश्किल है क्योंकि हरेक जगह के आंकड़े भी हमारे पास नहीं हैं । लेकिन बात निश्चित है कि राजस्थान की उपेक्षा नहीं की जा सकती । यह कल्पना भी नहीं हो सकती । लोकनायकों एवं कलाकारों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पाठ्यपुस्तकें तैयार करते हैं वे विद्वान् लोग हैं, राजस्थान के निवासी हैं,हमारे विश्वविद्यालय के ही लोग होते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावतः—राजस्थान का शिक्षा विभाग राजस्थान के इतिहास और कला की शिक्षा के बारे में हमेशा उपेक्षा करता रहा है । यहां की संस्कृति और इतिहास को विशेष रूप से केरीकुलम में स्थान देने की आवश्यकता है ?

श्री शिवचरण माथुर—विशेष रूप से राजस्थान की संस्कृति और इतिहास का हमारी पाठ्यपुस्तकों में अभाव बताया इससे मैं इत्तफाक नहीं रखता हूं। यह गलत है। उपेक्षा की शिकायत हो सकती है लेकिन वह भी गलत है।

श्री मती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत—सुभाव कहां है अभाव ही अभाव है ?

श्री अध्यक्ष—महिलाओं के लिए लिखें ?

श्री मती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत—पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए होना चाहिए।

श्री रामकिशन (बैर)-राजस्थान के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास से कैसे अलग करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत— आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा मुगल इतिहास, राजपूत इतिहास यह नाम अलग-अलग आते हैं। कई लड़के अपने मां बाप के पूर्वजों के बारेमें परिचित नहीं होते हैं क्या आप इसको आवश्यक नहीं समझते कि वे अपने पिता के पूर्वजों के बारे में परिचित हों ?

श्री रामकिशन-यह किसने कहा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर)-ऐसा अवसर हो ही जाता है।

श्री अध्यक्ष- ९९७। श्री चुन्नीलाल जेलिया।

ओला वृष्ठि से क्षति

९९७.**श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार सु.)** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) सवाई माधोपुर जिले की तहसील खण्डार व सवाईमाधोपुर में १८।२।७० व २५।२।७० को अतिवृष्टि से कितने गांवों की फसल को कितनी कितनी क्षति हुई ? तहसील तथा ग्रामवार सूची देने की कृपा करें।

(२) राज्य सरकार जिन गांवों में अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है, क्या यहां के लोगों को इस वर्ष का लगान मुक्त करने का तथा मवेशियों के चारे का इन्तजाम करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उपमंत्री अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी)-(१) सवाई माधोपुर जिले की तहसील सवाई माधोपुर एवं खण्डार में दिनांक १८-२-७० तथा दि० २५।२।७०को अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से जिन गांवों की कृषि-को जो नुकसान हुआ है, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) जिन गांवों में ओलावृष्टि से ५० प्रतिशत से अधिक की हानि हुई है, उनकी भू राजस्व वसूली राज्य सरकार के आदेशानुसार स्थगित की जा चुकी है। पशुओं के चारे के लिये जिलाधीश द्वारा कोई मांग नहीं होना बतलाया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)-सवाई माधोपुर में जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने और किसानों को साथ लेकर प्रदर्शन किया था और कई मागें की थी जिसमें से एक चारे के अभाव की मांग भी थी किसानों ने इस बारे में जिलाधीश को ज्ञापन भी दिया था।

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा)-यह अलग प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया-आपने यह कैसे कहा कि चारे के सम्बन्ध में मांग नहीं की ?

श्री परसराम मदेरणा-जो शिष्टमण्डल कलेक्टर से मिला उस संबन्ध में क्वेश्चन पूछा नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया चारे के बारे में कलेक्टर से मांग की गई है ?

श्री श्रवण लाल (हिण्डोन)-सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि चारे के सम्बन्ध में किसी प्रकार की मांग नहीं हुई मैं कहना चाहता हूँ जिला हैडक्वार्टर पर इस संबन्ध में एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिला था और उन्होंने मांग पत्र भी पेश किया था। क्या उसमें चारे का उल्लेख नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा—जैसा कि मैंने निवेदन किया शिष्ट मंडल मिला इस बात की जानकारी तो नहीं हैं। जो जिलाधीश ने मुझे इत्तला दी है उसके अनुसार मैं कहता हूँ कि चारे की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। चारा उपलब्ध है।

श्री गंगासहाय (कठुमर मु.)—क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर)-में जिलाधीश से स्वयं मिला हूँ मैंने अनेक आवेदन पत्र दिये हैं और दिलवायें हैं। बीस आवेदन पत्र मैंने अपने सामने जिलाधीश महोदय को प्रस्तुत किये हैं। चारे की वहां जबरदस्त मांग है। सारा चारा वहां का बरबाद हो गया है मवेशियों के लिए चारा कहां से आयेगा। इसलिए वहां की जनता की मांग है कि जिस प्रकार से जैसलमेर बाड़मेर से आये पशुओं को आप जंगलों में चरने दे रहे हैं। उसी प्रकार से वहां के पशुओं को भी इजाजत दी जाय रिजर्व फोरेस्ट में चरने की मैं खुद जिलाधीश महोदय से इस बारे में पांच चार बार मिला हूँ। जनसंघ का किसान सम्मेलन हुआ उसमें भी यह मांग की है। जिलाधीश महोदय ने आश्वासन भी दिया था। यह कहना कि चारे की मांग नहीं की गई गलत है। गलत फहमी पर आधारित है। मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूँ कि आप वहां के पशुओं के लिए शीघ्र चारे की व्यवस्था करायेंगे या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा--चारे की कमी के संबन्ध में जिलाधीश महोदय से जानकारी करूंगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा--अब तक आपने जो घोषणा १३ तारीख को यहां की थी तकाबी देने की उसका भी एक पैसा नहीं दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष--अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर)--पोईण्ट आफ आर्डर सर,

श्री श्रवण लाल--अध्यक्ष महोदय, जहां ओलावृष्टि हुई है……

श्री अध्यक्ष--पोइण्ट ऑफ आर्डर मेरे पास आगया। आर्डर आर्डर।

(१२ मध्यान्ह)

स्थगन प्रश्नों के उत्तर देने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न

श्री भैरोंसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार आपसे सदन में निवेदन कर चुका हूं कि हमारे स्थगित प्रश्नों का उत्तर समय के उपर सदन में नहीं दिया जाता है। बिजिनेस एडवाईजर कमेटी के प्रतिवेदन के अनुसार कल सदन की कार्यवाही स्थगित होगी वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, आपने भी कई बार सरकार को ताड़ना दी है। उसके दो ही अर्थ निकलते हैं कि या तो उस ताड़ना से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा या आप स्वयं उसको प्रभावहीन बनाना चाहते हैं। कौन सा सही है यह मैं नहीं कह सकता। आप तो ऐसी व्यवस्था कर दें कि प्रश्न पूछे ही नहीं जायें। प्रश्न स्थगित भी कर देंगे तो भी उनका उत्तर नहीं मिलेगा। यदि अनस्टार्ड क्वेश्चन्स के बारे में जानकारी करना चाहें तो १० पर्सेन्ट क्वेश्चन्स के जवाब नहीं आते हैं। मंत्री महोदय यह समझते हैं कि अगर विधान सभा में प्रश्न स्थगित हुआ है तो

(श्रीभैरोंसिंह)

इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । आपसे इस सम्बन्ध में अच्छी व्यवस्था चाहते हैं। जो अभी तक सारे प्रश्न स्टार्ड और अन स्टार्ड स्थगित हुए हैं उनके उत्तर कोई मिलेगें या नहीं या अगले सेशन में फिर उन क्वेश्चन्स को रिपीट करना पड़ेगा ताकि सदन के अन्दर उनका उत्तर प्राप्त हो जाय ।

अभी तक जो भी व्यवस्था है मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस व्यस्था की सरकार ने कोई पालना नहीं की । आपने उसकी अनुपालना कराने के लिए सरकार को सिवाय ताड़ना देने के अतिरिक्त और इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जिससे हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जायं । इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष-जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह जी ने उठाया है कि शासन की ओर से उत्तर देने के लिए सरकार को बाध्य किया जाए ।

श्री भैरोंसिंह—रूल्स हैं बने हुए ।

श्री अध्यक्ष—जहां तक ताड़ना का प्रश्न है माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझकर ही मैं राज्य सरकार को संकेत देता रहा हूँ । जहां तक बाध्य करने का प्रश्न है मैं तत्सम्बन्धी नियमों का अध्ययन करूंगा कि आया यह शासन बाध्य कर सकता है और कर सकता है तो किस रूप में ।

श्री भैरोंसिंह—अभी तक रूल्स देखे नहीं हैं आपने ऐसा लगता है ।

श्री अध्यक्ष—अध्ययन के बिना इस व्यवस्था के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं दे सकूंगा

श्री रामचन्द्र आर्य—६ महिने . . .

श्री अध्यक्ष-आर्डर, आर्डर ।

जहां तक अनस्टार्ड क्वेश्चन्स हैं वे कितनी पर्सेन्टेज में आ सकते हैं अब तक उसका भी अध्ययन करूंगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया—गलत उत्तर देते हैं उसका ?

श्री अध्यक्ष—गलत उत्तर का प्रश्न अलग है । उसके लिए अपने हाउस की एक कमेटी है वह देखा करती है कि कौन गलत है और कौन सही है ।

अब प्रश्न यह . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)—सारी किताब का अध्ययन करलें अच्छी तरह से तो अच्छा रहेगा ।

श्री अध्यक्ष—मेरे ख्याल से १५-१६ को कर लूंगा ।

जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है वह कोई स्पेसिफिक प्रश्न है या जनरेलाइज्ड प्रश्न है . . .

श्री भैरोंसिंह—मेरे प्रश्नों के तो उत्तर नहीं आये हैं । आपने स्वायत्त शासन मंत्री जी के कहने पर मेरे क्वेश्चन को तीन बार यहां पर स्थगित कर दिया । जिस समय भी प्रश्न आता है तो एक ही उत्तर मिलता है कि नेक्स्ट टाइम पर लिया जाय । या तो क्वेश्चन के जवाब को रिजेक्ट किया जाय और यहां कहदें कि जवाब नहीं दे सकते हैं । तो फिर हमको भी प्रश्न देने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि कोई भी जानकारी चाहते हैं वह मिलती नहीं है और अध्यक्ष महोदय इतनी ताकत नहीं रखते हैं कि गवर्नमेंन्ट से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिलवा सकें । कम से कम इस बात का तो सन्तोष होगा । दोनों बातें नहीं चल सकती हैं कि अध्यक्ष महोदय सख्ती करते रहें और हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं आयें और इस सदन

Page No 25

(श्री भैरोंसिंह)

की उपेक्षा होती रहे। तो ये दोनों बातें नहीं चल सकती हैं। मुझे माफ करें इन शब्दों के लिए जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं दोनों स्थितियों में समन्वय करने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकूं। मैं आपकी उग्रता को समझता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य—शक्ति को जागरूक कर रहे हैं आपकी।

श्री अध्यक्ष—मैं तो जागरूक हूं। आप अधिक जागरूक न हों जायें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर)-अध्यक्ष, महोदय स्थगित . . .

श्री मनोहरसिंह मेहता(मांडलगढ़)-पाईंट आफ आर्डर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर)-अध्यक्ष महोदय,

श्री भीखाभाई—अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री महोदय को कहने दीजिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह—यह मैं मानता हूं....

श्री अध्यक्ष—माननीय विरोधी दल के नेता मंत्री महोदय कुछ स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। संभव है कि उसके बाद कोई प्रश्न पैदा न हो।

श्री भीखाभाई—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो जयपुर से आने वाले हैं उन्होंने फर्माया कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रश्नों के उत्तर को बराबर स्थगित कराने के लिए प्रयत्न किया जाता है। मेरा ख्याल है कि उनका संकेत केवल एक प्रश्न जयपुर इम्प्रूमेंट ट्रस्ट और अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में होगा। उसके बारे में मैं आप के चेम्बर में दो तीन दफा उपस्थित हुआ हूं और माननीय सदस्य से मैंने निवेदन भी किया और जितनी भी इन्फार्मेशन इसके पहले ही यानि जब प्रश्न नहीं था उसके पहले भी अनोपचारिक रूप से जब भी मांगी गई थी तब भी उनको दी गई। लगातार दो तीन दिनों से इस बात का प्रयास करते हुए उप मंत्रीजी उनसे सूचनाएं संकलित कर रहे थे। उन से मैने निवेदन किया था और उन्होंने कुछ सूचनाएँ माननीय सदस्य के पास भेज भी दी थीं

श्री भैरोंसिंह—कोई सूचना नहीं भेजी है।

श्री भीखाभाई—सारी सूचनाएं हमारे पास आ चुकी हैं। मुझको कहा था कि उनको दे दूंगा। आपके घर सारी सूचनाएँ आ जायेंगीं।

श्री मुल्कराज थिद (उप मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल सारे दिन सारे अधिकारियों को बैठाये रखा। आपका क्वेश्चन इतना लम्बा था कि इसमें तीन हजार फाइलों को देखना पड़ा और करीब डेढ़ बजे रातको वे कम्पलीट कर पाये हैं। ६ बजे तक उनको टाइप करके माननीय सदस्य के पास पहुंचा दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—देटइज राइट।

श्री भैरोंसिंह—इस सदन में प्लाट्स के एलाटमेंट के सम्बन्ध में और कई स्कीम्स के संबंध में कई प्रश्न माननीय सदस्य श्री हरजीराम बुरड़क आदि ने पुट अप किये लेकिन एक क्वेश्चन का भी उत्तर नहीं आया है तो क्या सभी क्वेश्चन्स में सारी फाइलें देखी जाती हैं। न तो स्टार्ड क्वेश्चन्स का जवाब मिलता है और न अनस्टार्ड का जवाब मिलता है। यह सारी व्यवस्था चल रही है।

Page No 26

श्री भीखाभाई-मैं निवेदन करूं कि यह माननीय सदस्य का क्वेश्चन्स इतना लम्बा था और इतनी इन्फर्मेशन मांगी गई थी कि सूचनाएं एकत्रित करने के लिए सारी फाइलें देखनी पड़ीं।

श्री भैरोंसिंह—देखना पड़ेगा। विधान सभा में व्यवस्था है।

श्री भीखाभाई—अध्यक्ष महोदय हमारी नीयत कतई यह नहीं है कि कोई बात छिपाना चाहते हों जो सूचनाएं इकट्ठी हो जाती हैं उसके अनुसार अलग अलग प्रश्नों के अलग २ उत्तर अलग अलग ढंग से दिये जाते हैं। उसमें काफी समय लग सकता है। सरकार के बारे में यह आरोप है कि सरकार जानबूझ कर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देती है. यह बिल्कुल गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बजार जयपुर)- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों में एक भी उत्तर इस सारे सेशन में आया हो तो बता दें। मेरे पचासों सवाल पूछे हुए हैं लेकिन एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आया है।

श्री भीखाभाई-इनका सारा जवाब आयेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल- क्वेश्चन्स का जवाब नहीं आये तो क्या करेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली)—इतना लम्बा क्वेश्चन हो तो इट शुड नाट बी एडमीटेड यह तो प्रावधान है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल—अध्यक्ष महोदय के देखने का है उसको एक्सेप्ट करे या नहीं।

श्री मूलचन्द डागा-नियमों में है कि इतना क्वेश्चन लम्बा न हो कि उत्तर में लम्बा समय लगे।

श्री श्रवणलाल—जितने लम्बे भीखाभाई मिनिस्टर हैं उतना लम्बा क्वेश्चन होना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा—आप एडमिट करते समय अध्यक्ष महोदय, देखें कि क्वेश्चन इतना लम्बा न हो कि उसका उत्तर देने में काफी समय लगे। यह रूल्स में हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल-मुझे खेद है इस बात का कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय, को इस बात की सलाह दी कि कौन सा क्वेश्चन एडमिट हो और कौन सा क्वेश्चन एडमिट न हो, यह बिल्कुल उनकी सलाह अनकाल्ड फार और अनवारेन्टेड है। अपोजिशन की बात में अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रश्न को एडमिट करें या रिजेक्ट करें यह अध्यक्ष महोदय का अधिकार है नियमानुसार। इसके आगे कार्यवाही होती है और जो प्रश्न यहां पर खड़ा होता है वह यह होता है कि जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने भेजे हैं और जो रूल्स के अनुसार क्वेश्चन्स की लिस्ट में लग जाते हैं उनका जवाब नहीं दिया जाता है, जो क्वेश्चन्स स्थगित हो जाते हैं उनका सरकार जवाब न भेजे, जो अनस्टार्ड क्वेश्चन्स होते हैं उनका जवाब न भेजे और शार्ट नोटिस क्वेश्चन्स का तो जवाब देने का सवाल नहीं खड़ा होता है। नियमों में सरकार को कोई अधिकार है तो अपोजीशन के भी नियमों में अपने अधिकार हैं। अध्यक्ष महोदय, एक्स्ट्रा आर्डिनरी क्वेश्चन पर वाकआउट करके चले जायं इससे ज्यादा रिजेन्टमेंट इस सरकार के रवैये के खिलाफ और क्या हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह आपकी व्यवस्था का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में मैं फिर से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन्स देते हैं तो नियमों में तो यहां तक प्रावधान है कि एक क्वेश्चन के बारे में डेट तक स्पेसिफाई कर सकता है कि अमुक तारीख को इसका जवाब चाहिए। यह नियमों में व्यवस्था की गई है। उस पर्टिक्यूलर तारीख को छोड़ दें. लेकिन अब भी, अध्यक्ष महोदय, लिस्ट में क्वेश्चन को लाते हैं उसका जवाब हाउस में न मिले और क्वेश्चन लिस्ट में होता है फिर भी नहीं मिले और सैकड़ों क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन ब्रान्च में पड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार की

Page No 27

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ओर से जवाब नहीं आते हैं। मैं समझता हूँ कि नियमों में प्रश्नों को जो रखा है यह लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है और जो माननीय सदस्य सदन के हैं चाहे इधर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों, उनको एक बड़ा अधिकार दिया गया है कि सरकार से प्रश्नों के जरिये जानकारी प्राप्त करें। सदन को बुलाते नहीं और बुलाते हैं तो थोड़े समय के लिए बुलाते हैं और उसमें भी सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह डेमोक्रेसी की मोकरी राजस्थान सरकार कर रही है और लोकतन्त्र में उसका कोई विश्वास नहीं है। सदन को बुलाते नहीं हैं तो इसकी कोई न कोई व्यवस्था करनी होगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर)—अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया वह एक खास प्रश्न के सम्बन्ध में था मेरे दल और विपक्षी दल की यह आम तौर से शिकायत है कि प्रश्नों के उत्तर समुचित रूप में सरकार द्वारा नहीं मिलते हैं। यह तो इधर के बीच और सरकार के बीच में कनवेन्शन के रूप में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कोई समझौता, अन्डरस्टेन्डिंग होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, के द्वारा अमुक अमुक प्रश्न लिये जाते हैं उसके बाद प्रश्न स्थगित किये जाते हैं और स्थगित करने का अर्थ है कि प्रश्न कर्ता को यह आशा रहे कि उसका उत्तर मिलेगा और उसके साथ साथ सरकार को भी और हमें भी कनवेन्शन कायम करना चाहिये कि स्थगित प्रश्न का उत्तर सरकार देने का इरादा रखती है। अध्यक्ष महोदय सरकार को प्रश्न का उत्तर देने के लिये बाध्य तो नहीं किया जा सकता है, यह मैं मानता हूँ। सरकार चुप होकर बैठ सकती है लेकिन यह कनवेन्शन, अन्डरस्टेंडिंग का प्रश्न है। अमुक प्रश्न एक दफा स्थगित किया जाता है, दूसरी दफा स्थगित किया जाता है, तीसरी दफा किया जाता है उस समय कम से कम सरकार की ओर से यह सूचना मिलनी चाहिये कि आया सरकार उत्तर देने के लिये तैयार है या नहीं। तीन तीन दफा जब छोटे छोटे प्रश्न ऐडमिट हो जाते हैं, ऐडमिट नहीं हों तो सवाल ही नहीं है और प्रश्न का उत्तर नहीं दें तो आपत्ति नहीं लेकिन जब ऐडमिट होता है, एक दफा स्थगित होता है, दूसरी दफा स्थगित होता है, तीसरी दफा स्थगित होता है और सरकार अगर उत्तर नहीं देती है तो मेरे ख्याल से यह सैतखाली है। सरकार में कमी है और यह व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। यह जनतन्त्र की अवहेलना करने वाली व्यवस्था है इस लिये यह कनवेन्शन मेरे ख्याल में होना चाहिये अगर कोई प्रश्न स्थगित किया जाय एक दफा, दो दफा, और तीसरी दफा भी स्थगित किया जाय तो अध्यक्ष महोदय के द्वारा सरकार को कम से कम यह बाध्य किया जाय कि अमुक समय उत्तर दे दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय मैं माननीय, सदस्यों के ऐतराज और उग्रता को समझ सकता हूँ। इसके सम्बन्ध में कि समय पर उत्तर मिल जाय यह, किसी विशेष परिस्थिति में स्थगित करना पड़ता है तो मैं समझता हूँ एक हफ्ते में स्थगित प्रश्न का जवाब दिया जा सके या जो प्रश्न पूछे जाने वाले समय पर ही मंत्री महोदय की तरफ से जिसमें ज्यादा समय लगेगा, काफी सूचनायें प्राप्त करनी होती है, हमारे नियमों के अन्तर्गत पहले से अप्रोव किया जा सकता है जिससे उस सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। लेना है नहीं लेना है उसमें भी कमी रहती है, उस दृष्टि से मैं चाहूंगा, अगर इस बार तीन तीन दफा स्थगित होने की स्थिति आई है तो उसको वाजिब नहीं कहा जा सकता है लेकिन इसको व्यवस्थित करने के लिए हम भी कदम उठायेंगे, माननीय अध्यक्ष जी से इसके सम्बन्ध में और क्या व्यवस्था हो सकती है वह भी चर्चा करके इसको व्यवस्थित करने का हमारी तरफ से प्रयत्न करेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता—ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष— जब आसन पैरों पर हो तो पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता है।

श्री रामकिशन—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था और चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी को मंत्रियों की संख्या कम लगे तो मेरा निवेदन है पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और रख लीजिये।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नों के उत्तर

मंडावा-झूंझनू तथा नूआ स्टेशन से नूआ गांव की सड़कों पर कार्य

६६२. श्री रामनारायण चौधरी(मंडावा) क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या गत वर्ष अकाल सहायता कार्यों में मंडावा से झुन्झनूं तथा नूआ स्टेशन से नूआ गांव तक की सड़कों का काम करवाया गया था ? यदि हां, तो इन सड़कों में कितने कितने रुपयों का काम मिट्टी का हुआ तथा कितने रुपयों का पत्थर का सामान सड़कों के निर्माण हेतु मौके पर डलवाया गया ? यदि हां, तो उस सामान का क्या हुआ ?

(२) क्या इन सड़कों का निर्माण कार्य इस वर्ष भी अकाल सहायता के कार्यों में लिया जाकर इनको पूर्ण कराया जावेगा ? क्या यह गांव इस वर्ष भी अकाल ग्रस्त गांवों की सूची में है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में सहायता कार्य कब तक चालू किए जावेंगे ?

उत्तर

(१) जी हां। झुन्झुनू-मंडावा तथा नूआ स्टेशन से नूआ गांव तक की सड़क का काम गत वर्ष अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत कराया गया था, इन पर निम्न खर्चा हुआ—

नाम सड़क	मिट्टी पर खर्चा	पत्थर ढुलाई खर्चा
झुन्झुनू-मंडावा	७२४०००)	८५०००)रु०
नूआ स्टेशन से गांव तक।	२५०००)	६०००)रु०

यह सामान मौके पर पड़ा हुआ है।

(२) झुन्झुनू-मंडावा सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति दी जा चुकी है। नूआ स्टेशन से नूआ गांव तक की सड़क राज्य सरकार के विचाराधीन है। झुन्झुनू जिले के सहायता कार्यों के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

शिवगंज कस्बे में बस स्टेन्ड

६६९. श्री मदनसिंह (सिरोही) —क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला सिरोही के शिवगंज कस्बे में कितने बस स्टेण्ड बने हुए हैं ?

(२) वे किसके द्वारा और कब कब बनाये गये ?

(३) आज की तारीख में बसें कहां रुकती हैं ?

उत्तर

(१) ३ (तीन)

(२) दो बस स्टेण्ड १९६७ में नगरपालिका के द्वारा बनाये गए तथा तीसरा बस स्टेण्ड राजस्थान र पथ परिवहन निगम द्वारा १९६९ में बनाया गया है।

(यातायात मन्त्री)

(३) वर्तमान समय में सब बसें नगरपालिका कार्यालय के पास वाले बस स्टेण्ड पर ठहरती है। रोड़वेज के बस स्टेण्ड पर केवल मात्र रोड़वेज की ही बसें ठहरती हैं और सूरज बाई बस स्टेण्ड पर कोई बस नहीं ठहरती।

कोटा—अजमेर रेल लाइन की योजना

६७१. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी)-क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

[१] क्या कोटा और अजमेर शहर को रेल्वे लाइन से जोड़ने के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार को कोई योजना भेजी है? यदि हां, तो कब?

[२] क्या उक्त लाइन पर रेल्वे लाइन बिछाने हेतु कभी कोई सर्वे हुआ था?

[३] क्या उक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिये कभी अर्थवर्क में कच्ची सड़क पर भी निर्माण कार्य किया गया था?

[४] उक्त योजना के बारे में राज्य सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की और अब क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है?

उत्तर

(१) जी नहीं।
(२) जी नहीं।
(३) जी नहीं।

(४) उक्त योजना के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई और न अभी कोई कार्यवाही करना ही लाभदायक होगा।

चूरू जिले के सेवा निवृत्त अध्यापक

६७२. श्री दौलतराम सारण—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

१) चूरू जिले में सन् ६६ से अब तक कुल कितने तथा कौन कौन अध्यापक शिक्षा विभाग से रिटायर हुए हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(२) क्या उन सबको पेन्शन, ग्रेच्युएटी, प्रोवीडेन्ट फन्ड मिल गये हैं? यदि नहीं, तो किन किन को नहीं मिले हैं?

(३) और नहीं मिलने के क्या कारण हैं?

(४) क्या सेवा निवृत्त अध्यापक व शिक्षक संघ की ओर से ऐसे शिक्षकों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में शिक्षा निरीक्षक शिक्षा विभाग व पंचायत समितियों को लिखा गया है और प्रतिनिधि मण्डल भी मिले हैं?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) निम्न दो अध्यापकों को ग्रेच्युएटी भुगतान करने के आदेश महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर से प्रसारित हो चुके हैं परन्तु पेन्शन स्वीकृत नहीं हुई है।

१. श्री दुर्गादत्त अध्यापक पंचायत समिति राजगढ़।

२. श्री जगमाल सिंह, अध्यापक, पंचायत समिति, तारानगर।

३. श्री जयलाल अध्यापक, पंचायत समिति, राजगढ़ का पारिवारिक पेन्शन प्रकरण महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को पत्रांक १८२२ दिनांक ७-२-७० द्वारा भेजा जा चुका है।

४. श्री माणकचन्द, सहायक अध्यापक रा०मा० विद्यालय, छापर का पारीवारिक पेन्शन प्रकरण अभीतक प्र०अ०

(शिक्षा मंत्री)

द्वारा बनाकर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(३) प्रश्न संख्या २ के उत्तर में बताए गए अध्यापक श्री दुर्गादत्त एवं श्री जगमाल सिंह को विघटित जिला बोर्ड की सेवाओं को पेन्शन योग्य माने जाने के क्रम में प्रोविडेन्ट फण्ड की काटी गई रकम को सरकारी खजाने में जमा करवाया जाना आवश्यक है। जिसके लिए जिलाधीश चुरू द्वारा कार्यवाही जारी है। क्रम संख्या ३ एवं चार ४ का कारण उपर अंकित किया जा चुका है।

(४) इस सम्बन्ध में मिलने वाले प्रतिनिधि मंडलों को की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

हिम्मतगढ़ पंचायत क्षेत्र में सिंचाई कार्य

६८०. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़)-क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) जिला बांसवाड़ा, पंचायत समिति सज्जनगढ़ की पंचायत हिम्मतगढ़ के क्षेत्र में जब पंचायत राज का निर्माण हुआ है तब से अब तक सिंचाई सम्बन्धी कितने निर्माण कार्य मन्जूर होकर चालू किये गये ? इनमें से कितने कार्य पूर्ण हुए और कितने अपूर्ण रहे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि हिम्मतगढ़ पंचायत के ग्राम फूलपुरी में एक एनीकट मन्जूर किया गया था ? अगर हां, तो कब ?

(३) क्या उक्त एनीकट अभी तक चालू नहीं किया है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) दो कार्य चालू किये गये थे। एक कार्य पूर्ण हो चुका है व दूसरा कार्य अपूर्ण है।

(२) पंचायत समिति द्वारा कोई एनिकट मंजूर नहीं किया।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

चांदपोल-झोटवाड़ा मार्ग की बसें

६८२. **लादूराम सुलानियां** (फागी)—क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जयपुर शहर में चांदपोल से झोटवाड़े जाने वाली बसों में किराये की सूचियां नहीं लगी हुई हैं जिससे यात्रियों से मुंह मांगा किराया वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त मार्ग पर चलने वाली बसों में कम्पलेन्ट-बुक नहीं रहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि इन बसों का समय प्रातः ६-०० बजे से रात्रि १०-०० बजे तक का निर्धारित किया हुआ है ? यदि हां, तो क्या ये बसें निर्धारित समय के अनुसार चलती हैं ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि ये बसें रात्रि ८-३० बजे के बाद बन्द करदी जाती हैं और उसके कारण बनीपार्क, झोटवाड़ा तथा औद्योगिक क्षेत्र के व्यक्तियों को ऑटो-रिक्शा द्वारा मुंह मांगा किराया देकर अपने स्थान पर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या इन बसों के खड़ी होने के स्थान पर स्टेण्ड बने हुए हैं ? यदि हां, तो कहां कहां और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) बसों में किराये की सूचियां लगी हुई हैं। अनुचित किराया लेने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(यातायात मंत्री)

(२) जी नहीं। शिकायत पुस्तक गाड़ियों में रखी जाती है।

(३) इस रूट की बसें प्रातः ६ बजे से रात्रि के १०-३० बजे तक समय सारिणी के अनुसार चलती है।

(४) जी यह सत्य नहीं है। और न ऐसी कोई शिकायत अब तक प्राप्त हुई है शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जावेगी।

(५) बस स्टेण्ड तो निश्चित किये हुए हैं और इस मार्ग पर आर०टी०ऐ० द्वारा प्रस्तावित निम्न तीन स्थानों पर शेड लगाने की व्यवस्था की जा रही है। बस मालिकों ने इसके नक्शे पास कराने के लिए म्युनिसपिल्टी में पेश कर रखे हैं वहां से मन्जूरी आने व जगह एलोट होने पर मोटर मालिकों द्वारा शेड बनाने की कार्यवाही करदी जावेगी।

(१) चांदपोल पेट्रोल पम्प के पास।

(२) टी० बी० सेनीटोरियम के पास।

(३) कोटवाड़ा रेलवे लाईन के पास।

जिला बूंदी की पंचायत समितियों को पीने के पानी के लिए धनराशि

८४. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु.)—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) जिला बून्दी की पंचायत समितियों को पीने के पानी के लिए सरकार द्वारा १९६८-६९ में कितनी धन राशि दी गई और प्रति पंचायत समिति को पीने के कुओं की राशि कितनी कितनी दी गई ? यदि नहीं दी गई, तो क्यों ?

(२) सन् १९५९-६० में पंचायत समितियां बनी जब से आज तक जिला बून्दी की प्रत्येक पंचायत समिति में पीने के पानी के कितने कितने कुए तैयार किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) केवल पंचायत समिति हिन्डोली को अधूरे कुओं को पूरा कराने हेतु ५०००)रु० की राशि दी गई थी। दो पंचायत समितियों तालेड़ा व केशोराय पाटन की मांग नहीं थी। पंचायत समिति नैनवा को फन्ड्स की कमी की वजह से राशि नहीं दी जा सकी।

(२) पंचायत समिति नैनवा में ७९, पंचायत समिति हिण्डोली में ८१, पंचायत समिति केशोराय पाटन में ९३ व पंचायत समिति तालेड़ा में ७० कुओं का निर्माण किया गया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नशाबन्दी

७११. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)—क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार ने पूर्ण नशाबन्दी लागू करने के लिये कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया है ? निश्चित तारीख देने की कृपा करें।

उत्तर

सन् १९६६ में राज्य सरकार ने एक फन्ड प्रोग्राम के अनुसार राज्य में १-४-१९७२ से पूर्व नशाबन्दी लागू करने का निर्णय लिया था। परन्तु भारत सरकार ने अपने पूर्व निर्णय के अनुसार राज्य को नशा बन्दी से हुई राजस्व हानि की ५० प्रतिशत क्षति पूर्ती करने के वायदे को पूरा नहीं किया है। अतः राज्य सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन कर अब प्रतिवर्ष शनैः शनैः नशाबन्दी क्षेत्र को बढ़ाते हुए राज्य में पूर्ण नशाबन्दी लागू किये जाने का निर्णय लिया है। सरकार की १-४-७२ को पूर्ण नशाबन्दी लागू करने की पूर्व

(आबकारी मंत्री)
निर्धारित नीति में अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

सेल्स टेक्स से आय

७१४. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी)—क्या वित्त मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अजमेर जिले की केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र से कुल कितना सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है ? सन् १९६९-७० के आंकड़े सदन में रखें।

(२) किन किन व्यक्तियों में सेल्स टैक्स ३१ मार्च १९६९ तक कितना कितना बकाया है ?

उत्तर

(१) अजमेर जिले की केकड़ी उपखण्ड क्षेत्र में वर्ष १९६९-७० में बिक्री कर के रु० ७,६७,०६२.६८ वसूल किये गये। माहवार सूची 'क' संलग्न है।

(२) ३१ मार्च, १९६९ को बिक्री कर की राशि रु० ६,५६४ बकाया थी। जिन व्यक्तियों में बिक्री कर बकाया था उनकी सूची 'ख' संलग्न है।
(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

सवाई माधोपुर जिले का विकास

७१५. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)—क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सच है कि जिला सवाई माधोपुर को केन्द्र सरकार द्वारा सन् १९६७ में एक पिछड़ा जिला घोषित किया गया था ?

(ख) यदि हां तो उसके विकास के लिए सरकार क्या विशेष प्रावधान भविष्य में रख रही है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) जी नहीं। सन् १९६६-६७ से १९७०-७१ तक की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित आर्थिक संकेतों के आधार पर राज्य सरकार ने जालोर और सवाई माधोपुर जिलों को सबसे पिछड़ा हुआ माना था और उनके लिये विशेष प्रावधान करने का प्रस्ताव था। परन्तु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्थगित हो गई और उस पर अमल नहीं किया गया। बाद में १९६९-७० से १९७३-७४ तक की नई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का निर्माण करते समय राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि किसी जिला विशेष को पिछड़ा घोषित कर विशेष प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

(ख) (क) के उत्तर के बाद प्रश्न नहीं उठता।

(ग) (क) के उत्तर के बाद प्रश्न नहीं उठता।

वन का क्षेत्रफल

७१६. श्री केशरी सिंह हाड़ा (हिन्डोली)—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में एकीकरण के समय कुल वन का क्षेत्रफल कितना था ?

(२) इस समय कुल क्षेत्रफल में से काबिल काश्त भूमि जिलेवार कितनी २ है ?

(३) क्या सरकार काबिल काश्त वन भूमि को राजस्व में स्थानान्तरण करके राजस्व की नाकाबिल काश्त भूमि को वन क्षेत्र में सम्मिलित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जावेगा।

उत्तर

(१) १२,६२६ वर्ग मील।

(२) इस प्रकार का सर्वे अभी तक नहीं हुआ अतः यह बताना संभव नहीं है।

(३) फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के पेरा २३ के आधार पर राज्य सरकार ने तहसील

(वन मंत्री)

स्तर पर एक समिति का गठन कर व्यवस्था की थी कि भू-क्षमता सर्वेक्षण के आधार पर वन क्षेत्र से राजस्व में तथा राजस्व से वन में स्थानान्तर होने योग्य भूमि की सूची जिला समिति के समक्ष प्रेषित की जावे। यह सर्वेक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

पंचायत हिम्मतगढ़ के सरपंच का चार्ज

७१७. श्री हीराभाई (कुशलगढ़)—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति सज्जनगढ़ की पंचायत हिम्मतगढ़ के सरपंच श्री बरसिंह के खिलाफ न्यायालय में अपील पेश की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि न्यायालय के निर्णयानुसार श्री बरसिंह को सरपंच के पद से हटा दिया गया है और श्री फतेहसिंह को हिम्मतगढ़ पंचायत का सरपंच जीता हुआ घोषित कर दिया है ?

(३) क्या भूतपूर्व सरपंच श्री बरसिंह ने अभी तक पंचायत का चार्ज नहीं दिया है ?

(४) क्या सरकार चार्ज दिलाने के बारे में कोई कार्यवाही करने को तैयार है ? अगर हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी हां। न्यायालय मुन्सिफ कुशलगढ़ में चुनाव याचिका पेश की गई थी।

(२) जी हां।

(३) जी हां। कार्यवाही जारी है।

(४) तहसीलदार कुशलगढ़ द्वारा चार्ज दिलवाने की कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार ने सूचित किया है कि श्री बरसिंह को नोटिस जारी किया गया किन्तु तामील नहीं हो सकी तत्पश्चात् थानेदार को भी लिखा गया। जिलाधीश कार्यालय से तहसीलदार कुशलगढ़ को पुनः लिखा गया है कि चार्ज दिलाये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक पुलिस मदद लेकर शीघ्र चार्ज दिलवाया जावे। राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, १९६१ के नियम ८ (५) के अनुसार चार्ज दिलवाने हेतु तहसीलदार सक्षम प्राधिकारी हैं।

कालेज व हायर सेकन्डरी स्कूल

७१८. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) राज्य में कितने कालेजेज व कितने हायर सैकण्डरी स्कूल कहां कहां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) राज्य में बिना पढ़े लिखे लोगों की संख्या क्या है और उनको पढ़ा लिखा बनाने की सरकार की क्या योजना है।

उत्तर

(क) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(ख जन गणना १९६१ के अनुसार ०-४ आयु वर्ग को छोड़कर १६९.१७ लाख व्यक्ति राजस्थान में थे। जिनमें से केवल ३०-६६ लाख लोग ही साक्षर थे साक्षरता के वास्तविक आंकड़े तो जनगणना १९७१ में प्राप्त होंगे, परन्तु यह मोटा अनुमान है कि साक्षर लोगों की संख्या लगभग ४५—०० लाख होगी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में व्यस्कों को साक्षरता की कोई विशेष योजना धनाभाव के कारण नहीं की जा सकेगी। प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से व व्यस्कों को साक्षर करने के प्रयासों में लगभग ५ लाख और व्यक्तियों को ७३-७४ तक साक्षर कराने का प्रयास किया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

बी. ए., बी. एड., पास अध्यापक

७१९. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)-- क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सत्य है कि पंचायत समितियों के उन अध्यापकों को जिन्होंने बी. ए. व बी. एड पास कर लिया है, शिक्षा विभाग की सेवाओं में लिया गया है ? यदि हां, तो किन किन को और कब कब ? पंचायत समितिवाईज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? कोई नियम बनाया गया हो या आदेश प्रसारित किया हो, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उतर

(१) जी हां। उपलब्ध सूचियाँ संलग्न हैं।

(२) शिक्षा विभाग एवं पंचायत समिति में कार्यरत तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की इकजाई वरिष्ठता सूचियां निर्मित की गई तथा आवश्यक योग्यता रखने वाले अध्यापकों की वरिष्ठता के अनुसार द्वितीय वेतन श्रृंखला में शिक्षा विभाग में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर पदोन्नति की जाती है। स्थायी आदेश संख्या ३१/१९६६ की प्रतियां संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

कन्या मिडिल स्कूल छीपा बड़ोद का भवन

७२०. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा)— क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि छीपाबडोद कस्बे में कन्या मिडिल स्कूल के लिये अलग भवन है ? यदि अलग भवन नहीं है तो क्या सरकार इस कस्बे के लिये कोई नया भवन, बनवाने का विचार रखती है ?

(२) क्या यह सही है कि अभी छात्राओं के पढ़ने की जो व्यवस्था है, उससे छात्राओं को काफी तकलीफ उठानी पड़ती है तथा सर्दी व गर्मी दोनों मौसम में छात्राओं को धूप में बैठना पड़ता है। यदि हां, तो सरकार इस कस्बे में छात्राओं के पढ़ने के लिये भवन बनवाने का कब तक किन शर्तों के साथ विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, अलग से भवन बनाने हेतु शगर चेरिटी फण्ड से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न जारी है।

(२) जी हां, अलग से शाला भवन बनाने की कार्यवाही की जारही है। निर्माण विभाग से तखमीना प्राप्त होने पर जिलाधीश से चेरिटी फण्ड अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

बाढ़ से टूटे बंधों की मरम्मत

७२१. श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह)- क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

वित्तीय वर्ष १९६९-७० में तहसील मालपुरा व टोडारायसिंह में बाढ़ से टूटे हुए बंधों के लिए और अधूरे पड़े काम पूरे करने के लिए कितनी राशि मन्जूर हुई तथा मंजूर शुदा राशि में से किस किस बांध पर कितना कितना पैसा खर्च तहसील मालपुरा व टोडारायसिंह में व्यय किया गया ? पंचायत वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वित्तीय वर्ष ६९-७० में तहसील मालपुरा व टोडारायसिंह में बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत

(सिचाई मंत्री)

हेतु १-५१ लाख रु० की राशि मंजूर हुई थी इस राशि में से इन बान्धों की मरम्मत पर कोई व्यय नहीं किया गया।

तोल मशीनों को खरीद

७२२. श्री देवोदत्त गाड़िया (बारां)-क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि माल वाहनों पर लादे जाने माल के वजन पर टैक्स वसूली के लिये माल वाहनों के माल के वजन के तोल करने हेतु विभाग ने वजन तोल मशीनों की खरीद की है ?

(२) यदि हां, तो किस किस वर्ष में किस फर्म से कितने कितने रुपयों की लागत की कितनी कितनी मशीनें खरीद की और वह मशीनें किस किस स्थान पर कब कब लगाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या यह मशीन काम कर रही है ? यदि हां, तो कहां २ ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(३) वजन तौलने की तीन मशीनें जनवरी १९५७ में खरीद की गई थी और उक्त तीनों मशीनें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर के पास भेजी गई थी। उक्त मशीनों को समय समय पर माल वाहन गाड़ियों का वजन तोलने हेतु काम में संबन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लिया जाता रहा है। परन्तु सन् १९५७ के पश्चात् कई एक नये ढंग की मशीनें व तौलने के वैज्ञानिक काटें स्थान २ पर लग गये हैं और यह कांटे बहुत ही सहूलियत से शीघ्रातिशीघ्र वजन तोल देते हैं अतः वर्तमान समय में इन मशीनों को तभी काम में लिया जाता है जब कभी वैज्ञानिक कांटों की सुविधा नहीं हो।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

निगम के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा

७२३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम)—क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान राज्य परिवहन निगम में मेडिकल सुविधायें किस किस श्रेणी के कर्मचारियों को मिलती है ?

(२) क्या यह सही हैं कि बुकिंग कलर्क, ड्राईवर आदि को यह सुविधा नहीं दी जाती ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के उन सभी कर्मचारियों को निगम की ओर से चिकित्सा सुविधाऐं प्रदान की जाती हैं जो शोपस एण्ड कार्मशियल ऐस्टब्लिशमेन्ट एक्ट के अधीन कार्य करते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट के तहत कार्य करने वाले उन सभी कर्मचारियों को ई० एस० आई० की डिस्पेन्सरीज के मार्फत चिकित्सा सुविधा दी जाती है जिसके लिए निगम नियमानुसार कन्ट्रीब्यूशन देता है।

(२) बुकिंग क्लर्क, ड्राईवर आदि मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कस एक्ट के तहत सेवारत हैं जिनको चिकित्सा सुविधा का नियमों में प्रावधान न होने के कारण यह सुविधा प्राप्ति नहीं है। इन कर्मचारियों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए निगम अब नियम बना रहा है।

राजकीय अस्पताल केकड़ी

७२४. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी)-क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री देवीलाल बुरासिया)

क्या राजकीय अस्पताल केकड़ी (अजमेर) को बड़ा अस्पताल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो उक्त योजना कब से विचाराधीन है, उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक क्या कार्य करवाया गया है और सरकार उसको कब तक क्रियान्वित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बून्दी चिकित्सालय को दान में दी गई भूमि

७२५. श्री केशरी सिंह हाड़ा (हिन्डौली)- क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) काकी साहब नैनवा तहसील द्वारा कितनी जमीन बून्दी चिकित्सालय को दान में दी गई थी ?

(२) इस भूमि से वार्षिक आय क्या होती है ? दानदाता द्वारा दिये जाने के बाद से वार्षिक आय कितनी हुई ? और वह रकम किस काम में ली गई ?

उत्तर

(१) जी नहीं। १०४ बीघा जमीन बाके ग्राम जेयल तहसील पाटन जो उनके ठिकाने गिरवीं थी उसे कोर्ट आफ वार्डस के जेर इतजाम करके उसकी आमद शफाखाने के गरीब मरीजोंके खाने में खर्च करने की इच्छा जाहिर की गई थी।

(२) इस भूमि से सन् १९५१ के पहिले जो वार्षिक आय होती थी वह शफाखाने के गरीब मरीजों को भोजन देने के काम में लिये जाने के लिए कोर्ट आफ बार्डस से शफाखाना बूंदी को दी जाती रही है इस प्रकार रु० ४,३४९.५६ न पै. जरीये चालान ट्रेजरी बूंदी में, चिकित्सा विभाग बूंदी द्वारा जमा कराये गये हैं।

सन् १९५१ में काकी जी साहिबा ठिकाना वांसी तहसील नैनवा का स्वर्गवास हो गया, तदोपरान्त कोर्ट आफ वार्डस द्वारा रहन की रकम लेकर जमीन असली खाते दारान को देदी गई अतः सन् १९५१ के बाद इस जमीन से कोई आमद नहीं हुई यहां पर रुपये ५४-६९ कोर्ट आफ वार्डस के डी. ? अकाउन्ट नं० २ में जमा थे जो जरिये चालान १९६ दिनांक ६-३-६९ को रेवन्यू डिपोजिट में जमा हो चुके हैं इसके अलावा सन् १९५८ में ८,९५५) में रु० ६,०००) के राजस्थान स्टेट डवलपमेन्ट लोन १९७० खरीद किये गये थे जिनकी कुल रकम रु० ६,०००) तथा रु० ४,५६० सूद दिनांक १५-७-७० को मिलेंगे इनमें से रु० ४,३९८.७५ सूद की रकम ड्यू हो चुकी हैं वह भी ड्रा किया जा रहा है और सम्पूर्ण राशि प्राप्त होने पर राज्य के आदेशानुसार शफाखाना बूंदी के सुधार के काम में लिया जावेगा।

मेडिकल ज्यूरिस्ट अजमेर

७२६. श्री चुन्नी लाल जेलिया (खण्डार)- क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सत्य है कि डा. एम. आर. गोयल सी ए एस.कम-ट्यूटर आफिसिएटिंग लेक्चरार फोरनसिक मेडिसन व मेडिकल ज्यूरिस्ट अजमेर के पद पर कार्य कर रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि डा. गोयल विभाग की अनुमति से लगभग ३५ दिन के अवकाश पर गये थे एवं जाते समय प्रिन्सीपल मेडिकल कालेज अजमेर के निर्देशानुसार डा. वी पी. गुप्ता जब कुछ ही समय पहले भरतपुर से अजमेर में सी.ए. एस. के पद पर स्थानान्तरित हुए थे को अवकाश

(श्री चुन्नी लाल जेलिया)
की अवधिकाल के लिये अपने पद का कार्यभार दिया था ?

(३) क्या यह सही है कि जब डा. गोयल अपनी छुट्टियां समाप्त करके २६-२-१९७० को अपनी ड्यूटी पर वापस गये तो डा. बी. पी. गुप्ता ने अन्य चार्ज देते हुए प्रिन्सीपल एवं आफिशिएटिंग प्रिन्सीपल की अवज्ञा करते हुए मेडिकल लीगल ज्यूरिस्ट का कार्यभार देने से मना कर दिया ?

(४) क्या सरकार ने उक्त की गई अनुशासनहीन कार्यवाही के खिलाफ कोई कदम उठाया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) क्या सरकार ऐसे जिम्मेदारी के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों में बढ़ती हुई गैर जिम्मेदारी व अनुशासनहीनता की कार्यवाहियों को भविष्य में होने से रोकने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं । डा. एम. आर. गोयल जे. एल. एन. मेडिकल कालेज अजमेर में सी. ए. एस. कम ट्यूटर फोरेन्सिव मेडिसिन के पद पर कार्य कर रहे हैं ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं । केवल मेडिकल ज्यूरिस्ट का चार्ज डा गोयल को इसलिए नहीं दिलाया जा सका है कि तारीख २८-२-७० को डा. वी. पी. गुप्ता की सरकार द्वारा लेक्चरार नियुक्त कर दिया गया था व लेक्चरार हो जाने पर वे ही यह कार्य करने के लिए ज्यादा उपयुक्त व योग्य है ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

(५) प्रश्न नहीं उठता ।

स्थगित प्रश्न

(१८-३-७०)

ग्रामदानी गांवों के प्रतिनिधि का चुनाव

२५३. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)- क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर में ग्रामदानी गांवों के प्रतिनिधि का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) अब उक्त ग्राम सभा के प्रतिनिधि का चुनाव कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(१) जी हां । ग्रामदानी गांवों के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित नहीं होने से चुनाव नहीं हो सका ।

(२) यह चुनाव शीघ्रातिशीघ्र हो जायेगा ।

स्थगित प्रश्न

(९-३-७०) (२८-३-७०)

सूरतगढ़ में एक साला बोली पर दी गई भूमि

२२. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)- क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) जिला गंगानगर की तहसील सूरतगढ़ में सन् १९६९ में कितने, किन किन व्यक्तियों को कितनी भूमि एक बोली पर दी गई ? भूमि लेने वाले व्यक्तियों के नाम, जाति, पिता का नाम निवास स्थान तारीख दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(२) क्या यह सही है कि अधिकारियों द्वारा कागजों में फर्जी बोलियां दिखाकर नाबालिग व अधिक भूमि वाले लोगों को ही भूमि दी गई है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि की एक साला निलामी के लिए पिछड़ी जाति के लोगों ने भी अपने प्रार्थना-पत्र-प्रस्तुत करके भूमि प्राप्त करने के लिए बोली लगाई थी ? यदि हां, तो कुल कितने प्रार्थना-पत्र-प्रस्तुत किये और उनमें से कितने लोगों ने भूमि प्राप्त की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(१४-३-७०) (३१-३-७०)

पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा डाक्टरों का सलेक्शन

१७४. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी)- क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९५४ में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा डाक्टरों के सलेक्शन के लिए छः लिस्टें निकाली थी ?

(२) क्या यह सही है कि इसमें से पांच लिस्ट तो कन्फर्म कर ली गई और एक लिस्ट रोक ली गई ?

(३) एक लिस्ट रोकने का क्या कारण था ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(१३--३-७०)

फोरेन सर्विस पर भेजे गये कर्मचारियों को सुविधाएं

१२८. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)-- क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(१) क्या यह सही है कि भारत में फोरेन सर्विस पर भेजे गये राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश वेतन का भुगतान पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट द्वारा ही किया जाता है ?

(२) यदि हां, तो इस व्यवस्था से राज्य कर्मचारियों को होने वाली अनावश्यक कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने कभी कोई विचार किया है ?

(३) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में भेजे गये कर्मचारियों के मामलों में ये नियम लागू नहीं हैं ?

(४) यदि हां, तो सरकार नियमों में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं कर देती कि सभी कर्मचारियों को फोरेन एम्प्लायर द्वारा ही अवकाश स्वीकृत किया जाय तथा अवकाश वेतन का भुगतान किया जाय और सरकार द्वारा लीव सैलरी कन्ट्रीब्यूशन लेना बन्द कर दिया जाय ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इस प्रकार के मामले जिनमें अवकाश वेतन प्राप्त करने में देरी हुई हो, सरकार के सामने नहीं आए हैं।

(३) जी हां।

(४) यह संभव नहीं है फोरेन सर्विस के नियम भारत सरकार में नियमित फन्डामेन्टल रूल्स के आधार पर हैं। यदि प्रस्तावित सुझाव को लागू किया गया तो अनेकों अड़चने आवेगी तथा वसूली में देरी होगी। फोरेन सर्विस में यदि किसी कर्मचारी ने छुट्टी अर्जित की परन्तु अवकाश ग्रहण नहीं किया और राज्य सेवा में आने के बाद अवकाश ग्रहण किया तो ऐसी दशा में अवकाश वेतन

(वित्त मंत्री)

का कन्ट्रीब्यूशन प्राप्त हो जाने के कारण वेतन का भुगतान किया जाता है। यदि लीव, सैलेरी कन्ट्री-ब्यूशन नहीं लिया जावे तो डेप्यूटेशनपीरिड में अर्जित की गई छुट्टी के एवज में लीव सैलेरी, फोरेन सर्विस वाले संस्थान से प्राप्त करनी पड़ेगी। ऐसा करते समय अनेको कठिनाइयां अवेंगी।

स्थगित प्रश्न

(१४-३-७०) (३१-३-७०)

नर्सिंग ट्यूटर को विशेष वेतन

१७३. श्री ओमदत भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर)-क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सच है कि १-६-१६६१ के नये वेतन मान लागू होने पर नर्सिंग ट्यूटर को ५० रुपये विशेष वेतन देने का प्रावधान उस समय तक के लिये रखा गया था जब तक कि इस वर्ग के वेतन मान अलग श्रेणी में निर्धारित न कर दें?

(२) क्या १-४-१६६६ के वेतन मान में भी यही सिद्धांन्त स्वीकार करते हुए प्रशिक्षकों का विशेष वेतन कायम रखा गया था? अगर हां, तो क्यों?

(३) क्या यह विशेष वेतन हटाया गया है? यदि हां, तो क्यों? जब कि सरकार दो बार विशेष वेतन का औचित्य स्वीकार कर चुकी है।

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जिस पदों पर रिवाइज्ड पे स्केलमें विशेष वेतन स्वीकृत हुये, वे साधारण तया १-४-६६ में संशोधित वेतन मानों के साथ भी यथावत चालू रखे गये। उक्त सिद्धान्त स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी हां सामान्यत: विशेष वेतन बन्द कर दिये जाने की सरकारी नीति के अनुसार ही एसा किया गया है।

स्थगित प्रश्न

(१०-३-७०) (२८-३-७०)

बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तंगत सड़कों का निर्माण

४६. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)-क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) बाडमेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तंगत अब तक किन किन सड़कों का कार्य सककार ने हाथ में लिया है? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त सड़कों पर कितना मील मिट्टी एवं ग्रेवल का कार्य हुआ? प्रत्येक सड़क का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करे।

(३) उक्त सड़कों के निर्माण पर क्या खर्चा हुआ?

(४) उक्त सड़कों में से किन किन सड़कों पर मजदूरों को मजदूरी में कब कब कितनी कितनी कटौती की गई और वह किस आधार पर की गई विस्तृत सूचना देने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) समस्त सूचना उक्त सूची में अंकित है।

(३) समस्त सूचना उक्त सूची में अंकित है।

(४) सार्वजनिक निर्माण विभाग से जिन सड़कों की कटौती की सूचना प्राप्त हुई है वह सूची 'ख' पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(१७-३-७०) (२८-३-७०)

नागौर जिले में अकाल राहत कार्य

१९७. श्री रामसिंह कुडी (जायल)- क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) अकाल राहत कार्य जो सरकार ने तारीख १-४-१९६८ से तारीख २८-२-१९६९ तक नागौर जिले में मन्जूर किये उन कार्यों में कितना कितना रुपया कितने कितने मजदूरों को किस किस तारीख को किस किस समय की मजदूरी के लिये कैम्प वाइज चुकाया गया ? यदि चुकारा नहीं किया तो कितने कितने मजदूरों को किस किस कैम्प पर कितना कितना रुपया चुकारा करना बकाया है जिले की सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) नागौर जिले में अकाल राहत कार्यों में किस किस कैम्प के कितने कितने मजदूरों की कितनी कितनी मजदूरी किस किस समय की कम काम करने के कारण काट ली गई एवं इस प्रकार से इस जिले में कितनी कितनी राशियां किस माह में किस किस अधिकारी ने पुन: जमा कराई या बचत की ? पूरे विवरण सहित सूचना सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(१७-३-७०) (२८-३-७०)

चूरू जिले में अकाल राहत कार्य

१९९. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) श्री विजय सिंह—(मकराना)

क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चूरू जिले में किस किस तहसील में कितने कितने राहत कार्य कब कब खोले गये और उनमें से प्रत्येक राहत कार्य पर कितने कितने मजदूर कब कब लगे और प्रत्येक तहसील में कितने कितने रुपये अकाल राहत कार्य शुरू होने से ३१ जुलाई ६९ तक मन्जूर व खर्च हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) तहसील राजगढ़ जिला चूरू में कहां कहां पर कब कब व कितने अकाल राहत कार्य खोले गये हैं ? उक्त राहत कार्यों पर कितने कितने आदमी कब कब लगाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि राजगढ़ क्षेत्र के कुछ नेताओं के यहां फर्जी मस्टर रोल पकड़े गये जो कि रुपये लेकर बेचे जाते हैं।

(४) तहसील राजगढ़ में इन राहत कार्यों पर जिस तारीख से खुले उससे लेकर ३१ जुलाई ६९ तक कितने रुपये खर्च हुए ?

(५) क्या यह सही है कि तहसील तारानगर के राहत कार्यों की बाबत यह आम शिकायत थी कि वहां के नेता लोग, विधायक व सरकारी मुलाजमान जो कि अकाल राहत कार्यों पर मुकर्रर थे हजारों मजदूरों के नाम से फर्जी मस्टर रोल बनाकर लाखों रुपये उठा रहे थे और यह शिकायत जिलाधीश व बड़े आला अफसरान, मंत्रियों व चीफ इन्जीनियर पी. डब्ल्यू. डी. तक की गई।

(६) क्या यह सही है कि इस शिकायत के आधार पर चीफ इंजीनियर पी. डब्ल्यू. डी. अफसरों ने वहां के राहत कार्यों की अचानक जांच की और जांच के वक्त पाया कि मस्टर रोल पर ४० हजार आदमी दिखलाये गये हैं लेकिन मौके पर

(श्री रूपसिंह एवं श्री विजयसिंह)

वास्तव में १० हजार आदमी मिले और ३० हजार मजदूर फर्जी दिखलाये गये थे उन १० हजार में बहुत से १० वर्ष के बच्चे भी थे जिनको पूरा आदमी दिखलाया गया था।

(७) क्या यह सही है कि उन आला अफसरों ने इस फर्जी कार्यवाही को देख कर इस अकाल राहत कार्य को तुरन्त बन्द करने का हुक्म दिया ?

(८) क्या यह सही है कि ऐसा हुक्म देने पर वहां के विधायक व नेता लोग इन आला अफसरों से मिले और कहा कि यह तो हमारी रोजी और रोटी का सवाल है और यह काम तो हम ऊपर वालों के इल्म में लाकर कर रहे हैं जिस पर अफसरों ने राहत कार्य बन्द करने के हुक्म को वापिस लिया लेकिन जांच के रोज जितने फर्जी मस्टररोल बने हुए थे उनको रद्द कर दिया और आइन्दा ऐसी फर्जी कार्यवाही न करने की हिदायत कर दी गई ?

(६) जिन सरकारी मुलाजमान, विधायक व नेता लोगों ने अकाल के नाम पर फर्जी मस्टररोल बनाकर लाखों रुपये की रकम उठाई है, उनको सजा देने के लिए क्या सरकार एक कमेटी तीन विधायक व चार ईमानदार सरकारी मुलाजमान की मुकर्रर करके इस सम्बन्ध में जांच करायेगी ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) सूची(क) में उपरोक्त सूचना उपलब्ध है।

(३ जी नहीं।

(४) सूची (ख) सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(५) जी नहीं। ऐसी आम शिकायत कोई प्राप्त नहीं हुई। उप प्रधान, तारा नगर ने सरकारी मुलाजिमान के विरुद्ध शिकायत की थी, जिस पर उन्हें भुगतान के वक्त साथ रखकर भुगतान कराया गया और शिकायत सही नहीं पाई गई।

(६) जी नहीं। शिकायत के आधार पर कोई अचानक जांच नहीं की गई। पी० डब्ल्यू० डी० के चीफ इन्जीनियर व बड़े अफसर समय-समय पर अलग अलग जिलों में अचानक निरीक्षण के लिए भ्रमण करते रहे हैं। मस्टररोल पर ३० हजार आदमी फर्जी दिखाये जाना व छोटे बच्चों को भी बड़ा दिखाया जाने की सूचना इस विभाग को नहीं है।

(७) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(८) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(६) जब अकाल के नाम पर फर्जी मस्टररोल बनाकर लाखों रुपये की रकम उठाना ही नहीं है तो किसी प्रकार की जांच मुकर्रर करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है]

स्थगित प्रश्न
(२४-३-७०)

नागौर जिलेके खाद्य विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायतें

३१८. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल)-क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

शक्कर के अलावा नागौर जिले में खाद्यान्न विक्रेताओं के विरुद्ध कितनी शिकायतें किस किस के खिलाफ कब कब प्राप्त हुईं एवं उनमें से कितने मामले अदालत में पेश कर दिये गये एवं कितने मामले अभी विचाराधीन हैं एवं ऐसे कितने कितने मामले कब कब से किस किस अधिकारी के पास जांच में या निर्णय हेतु पेंडिंग हैं ? गत दो वर्षों के आंकड़ों सहित सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(खाद्य मंत्री)

उत्तर

नागौर जिले में गत दो वर्षों मे खाद्यान्न विक्रेताओं के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

स्थगित प्रश्न

(२८-३-७०)

मजदूरों की बकाया राशि

४०८. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)— क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे --

(१) राज्य के विभिन्न जिलों में सन् १९६८-६९ एवं सन् १९६९-७० में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों की कितनी राशि राज्य सरकार में बकाया है ?

(२) क्या राज्य सरकार उक्त बकाया राशि के भुगतान के लिये विशेष व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(३) यदि हां,तो कब तक भुगतान करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) राज्य सरकार बकाया राशि के भुगतान के लिये समय समय पर हिदायतें देती रही है और चुकारे की व्यवस्था करवाती रही है। किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

(३) बकाया भुगतान शीघ्र से शीघ्र हो इसके लिये राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(२८-३-७०)

चारे की खरीद

४०९. श्री भैरोंसिंह शेखावत(किशनपोल, जयपुर)--क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) ६८-६९ व ६९-७० में अब तक अकाल राहत के लिये किस किस माह में कहां कहां से किस भाव में, कितने कितने मूल्य का किस किस प्रकार का चारा खरीदा गया और किस किस जिले में कितना कितना दिया गया ?

(२) किस किस जिले में कहां कहां चारा भण्डार (फोडर डिपोज) खोले गये और उनमें प्रत्येक में किस किस माह में कितना चारा भेजा गया ?

(३) चारा भण्डार खोलने का आधार क्या था? किस किस भण्डार के सम्बन्ध में जिला अकाल राहत समिति का सुझाव था और किस किस के सम्बन्ध में नहीं था ?

(४) किस किस आधार पर वह कितने कितने मूल्य पर पशुपालकों को दिया गया ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(३०-३-७०)

बाड़मेर जिले में किराये पर लिये गये गोदाम

४४८ श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)— क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) बाडमेर जिले में राज्य सरकार ने खाद्य के स्टोक को रखने के लिए कितने गोदाम किन किन व्यक्तियों के कब कब कहां कहां पर गत पांच सालों में किराये पर लिये ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

Page No 43

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(२) उक्त गोदामों में से कितनों का किराया संबंधित व्यक्तियों को कब कब अदा किया गया और कितनों का कब कब से बकाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उक्त गोदामों के किराये की अदायगी देरी से करने का क्या कारण है और उनके लिए कौन जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? विस्तृत विवरण सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) राज्य सरकार उक्त बकाया किराये का भुगतान कब तक कर देगी, निश्चित तिथि से अवगत करें।

उत्तर

(१) राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले में कुल २२५ गोदाम खाद्य के स्टोक हेतु पिछले पांच सालों में किराये पर लिए हैं। विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) उत्तर प्रश्न भाग एक की सूची में दिया गया है।

(३) उक्त गोदामों के किराए की अदायगी देरी से करने के निम्न दो कारण हैं-

(१) जन निर्माण विभाग से किराया का निर्धारण अप्रेल ,६७ से नहीं हुआ है।

(२) गोदामों के मालिकों ने किराए के बिल पेश नहीं किये हैं।

देरी हेतु किसी अधिकारी की जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) किराए के बिल प्राप्त होने पर तथा जन-निर्माण विभाग द्वारा किराया का निर्धारण होने पर किराया अदा कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

स्थगित प्रश्न

(३०-३ ७०)

राहत कार्यों पर व्यय

४५०. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)—क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(१) राजस्थान के किस किस जिले में किस किस तहसील में कहां कहां अकाल राहत के लिए किस किस किश्त के कितनी कितनी धनराशि के कार्य गत एक वर्ष में करवाए गए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) अकाल राहत के लिए करवाए जाने वाले कार्यों में कितने कार्य पूर्ण हो गए और कितने अधूरे हैं सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) यह अधूरे कार्य कब कब पूर्ण हो जायेंगे और इन पर अब कितना अधिक खर्चा आवेगा ?

(४) क्या यह सही है कि इन कार्यों में सड़कों का निर्माण भी हुआ है ? यदि हां, तो कहां कहां पर और कितनी कितनी लम्बी मील और कौन कौन से गांवों को मिलाने वाली सड़क बनी हैं और उन पर कितना कितना खर्च हुआ है तथा इस बरसात में उनकी क्या हालत है ? सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(३१-३-७०)

कार क्रय करने के लिये धनराशि

४५७. श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) वर्ष १९६९ में कार क्रय करने के लिए किस किस को कितना-कितना रुपया कब कब दिया गया? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। १९६९ में कितने प्रार्थना-पत्र आये?

(२) १९६९ से पूर्व के कितने प्रार्थना-पत्र पेंडिंग थे? १९६९ में जिन्हें कर्ज दिया गया उनके प्रार्थना-पत्र कब कब के थे, तथा ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र थे जिनके लिए जिलाधीश ने सिफारिश की थी? किन्तु सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई?

उत्तर

१. वर्ष १९६९ में कार क्रय करने हेतु जिन जिन राज्य कर्मचारियों को स्वीकृति कर्त्ता प्राधिकारियों द्वारा ऋण दिया गया है उनकी जिलेवार। कार्यालयवार सूची संलग्न की जाती है, यह परिशिष्ट (क) पर है। वर्ष १९६९ में जिलाधीशों के कार्यालयों एवं अन्य स्वीकृति कर्त्ता प्राधिकारियों के कार्यालयों में ९५ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। उनका विवरण परिशिष्ट (ख) पर है।

२. वर्ष १९६९ से पूर्व के कुल ९६ प्रार्थना पत्र पेन्डिंग थे जिनका विवरण परिशिष्ट (ग) पर है।

यह सूचना केवल जिलाधीश जयपुर व बीकानेर से प्राप्त हुई है जो परिशिष्ठ (क) में अङ्कित है। ऐसे प्रार्थना पत्रों की संख्या जिनके बाबत जिलाधीशों द्वारा सिफारिश की गयी थी किन्तु फण्ड्स के अभाव में उन पर आवंटन नहीं किया जा सका ३५ हैं।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(३१-३-७०)

पाली जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

४७१. श्री शंकरलाल (जैतारण)—क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

१. पाली जिले की जैतारण और रायपुर तहसीलों में गत वर्ष अकाल राहत कार्यों में कितनी सड़कों के कार्य अधूरे रह गये और उन प्रत्येक सड़कों में कहां कहां कितना कार्य बाकी है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

२. इन अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु इस वर्ष किस किस के लिए स्वीकृति हो चुकी है और किन किन के लिए स्वीकृति होनी शेष है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

३. इन सब अधूरी सड़कों को कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा व इनकी मरम्मत और पुलियों के कार्य कब तक पूरे कर लिए जावेंगे।

४. फैमिन की समाप्ति पर इन सड़कों की देखरेख व मरम्मत की जिम्मेवारी किस विभाग की होगी?

उत्तर

१. सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

२. समस्त सूचना उक्त सूची में अङ्कित है।

३. प्राथमिकता के अनुसार जिन अधूरी सड़कों को इस वर्ष लिया गया है उनको इसी वर्ष पूर्ण करवाने का प्रयत्न किया जावेगा व उनकी पुलियों के कार्य भी साथ ही पूर्ण करवाने का प्रयत्न किया जावेगा।

Page No 45

(अकाल राहत मंत्री)

४. फैमिन की समाप्ति पर इनमें से महत्वपूर्ण सड़कों की देखरेख की जिम्मेवारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की होगी।

(कृपया परिशिष्ट १३ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(३१-३-७०)

जिला बूंदी में अकाल राहत कार्य

४७२. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताये की कृपा करेंगे :—

१. जिला बूंदी की कौन कौन सी तहसीलों के किन किन गांवों में अकाल था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

२. उपरोक्त गांवों में कहां कहां कितना कितना अकाल राहत कार्य हुआ और प्रति माह प्रत्येक तहसील में कितने कितने मजदूरों ने कार्य किया ? प्रतिमाह हर तहसील में कितना कितना कार्य हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(३१-३-७०)

भू-संरक्षण कार्य

४७५. श्री विद्या सागर (खेरवाड़ा)—क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. खेरवाड़ा तहसील व जिला उदयपुर में फैमिन के अन्तर्गत कहां कहां भू—संरक्षण विभाग द्वारा कार्य चलाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

२. क्या यह सही है कि अधिकांश मजदूरों को भू—संरक्षण विभाग द्वारा अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो नामावली देते हुए यह बताने का कष्ट करें कि किन किन कार्यों का किन किन मजदूरों का कितना कितना पैसा बकाया है ?

३. क्या यह सही है कि भू—संरक्षण में कई नाम फर्जी होने से शंका के रूप में कई सही मजदूरों को भी कई स्थानों पर पेमेन्ट नहीं किया है ? यदि हां, तो कौन कौन से स्थानों के मजदूरों को पेमेन्ट नहीं किया गया है ?

उत्तर

१. सूची (क) सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

२. जी नहीं। प्रत्येक कार्य पर कुछ कुछ श्रमिकों का थोड़ा थोड़ा पैसा बकाया है। जिन श्रमिकों का जितना जितना भुगतान बकाया है उसकी सूची (ख) सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

३. जी नहीं। जिन स्थानों के मजदूरों को पेमेन्ट नहीं किया गया है उनकी सूचना सूची (ख) में उपलब्ध है। केवल उन्हीं मजदूरों का चुकारा बकाया है जो मौके पर चुकारे के समय उपलब्ध नहीं थे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

स्थगित प्रश्न

(३१-३-७०)

बारां क्षेत्र में घास की खरीद

४७६. देवीदत्त गाड़िया (बारां)—क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 46

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

१. क्या यह सही है कि आज के करीब ५-६ वर्ष पूर्व अकाल राहत कार्य के लिए बारां क्षेत्र से घास की खरीद की गई थी व वन विभाग क्षेत्र के जंगलों से घास भी इकट्ठा कराया गया था ? यदि हां, तो कितना घास किस किस दर से खरीदा गया और कितना घास इकट्ठा कराया गया और उस पर कितना कितना खर्चा हुआ ? सची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

२. क्या यह सही है कि खरीद किए गए घास के टेण्डर्स आमंत्रित किए गए थे ? यदि हां, तो प्राप्त टेण्डर्स की तुलनात्मक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट कर ।

३. क्या यह सही है कि घास के गट्ठे बांधने के लिए रस्सी व तार आदि सामान की खरीद की गई थी ? यदि हां, तो क्या क्या सामान कितने कितने रुपयों का किस किस पार्टी से किस किस प्रकार से खरीद किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

४. बरां क्षेत्र से कितना कितना घास किस किस स्थान पर किस-किस यातायात साधन से भेजा गया और उस पर कितना कितना खर्चा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

५. क्या यह सही है कि घास के गट्ठों रेल्वे द्वारा भेजे गए ? यदि हां, तो कितनी वेगन घास की भेजी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

६. क्या यह सही है कि घास के गट्ठों की वैगन भरवाई का कार्य विभाग ने मजदूरों द्वारा ठेका देकर करवाया था ? यदि हां, तो प्रति वैगन का ठेका किस रेट पर किस किस को दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

७. क्या यह सही है कि मजदूरों की शिकायत पर डी. एफ ओ. ने निर्धारित रेट के आधार पर वैगन भराई की मजदूरी नहीं देकर बहुत कम पैसा दिया है ? क्या भ्रष्टाचार विभाग निरोधक ने जांच की थी ? विभाग यदि हां, तो किस किस अधिकारी ने जांच की और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

८. क्या यह सही है कि मजदूरों को अभी तक भी वैगन भराई की मजदूरी पूरी नहीं मिली है ?

उत्तर

१. खरीद नहीं की गई । वर्ष १९६३-६४ में वन क्षेत्र से अकाल सहायतार्थ घास इकठ्ठा कराया गया था । कुल घास ३५,९८१.८३ क्विंटल इकट्ठा कराने पर १,१२,७८९.०१ रु० व्यय हुआ था । इस घास के गट्ठे बंधाई पर ३८,००९.२६ रु० ट्रक भराई व उतराई, ढुलाई व वेगन भराई पर १०,५७,३२६.९६, तुलाई पर ६८,८४.२५ रु० सुपरवीजन तथा विविध व्यय १३,०६७.३५ रु० एवं विभागीय रोयल्टी ९७,५८०.२२ रु० मिला कर वन विभाग द्वारा कुल व्यय ३,७३,४९७.०८ रु० अप्रेल सन् ६४ से मार्च ६५ तक व्यय हुआ । जिलाधीश कोटा द्वारा ढुलाई व्यय तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा घास पहुंचाने के स्थानों पर चुकाया गया रेल किराया आदि इस व्यय में सम्मिलित नहीं है ।

२. जी नहीं । घास विभागीय तरीके से कटाया गया था । अतः टेण्डर्स आमन्त्रित नहीं किये गये ।

३. जी हां, रस्सी व तार गट्ठे बांधने हेतु खरीदे गये थे । रस्सी खरीद सम्बन्धी पूर्ण सूचना सूची (अ) में संलग्न है ।

(वन मंत्री)

४. सूची संलग्न है। ट्रक तथा वेगनों से अकाल सहायता केन्द्रों को भेजे गये घास का विवरण सूची (ब) में संलग्न है। ट्रक से घास की ढुलाई पर वन विभाग द्वारा ५४७१२) रु० व्यय किया गया। इस व्यय के अतिरिक्त जिलाधीश कोटा द्वारा २-३ ६४ से पूर्व तक ट्रक घास की ढुलाई हेतु भिजवाए गए थे जिनका चुकारा भी जिलाधीश के कार्यालय से ही हुआ है। इस व्यय का विवरण जिलाधीश कोटा से प्राप्त किया जा सकता है। रेल द्वारा वैगनें में टू—पै के हिसाब से भेजी गई थीं। अतः रेल किराया पहुंच के स्थान पर वैगन प्राप्त करने वाले अधिकारियों द्वारा चुकाया गया। यह सूचना भी सम्बन्धित अधिकारियों से, अकाल सहायता विभाग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

(५) जी हां। १,४८५ वेगन घास भेजा गया जिसमें ९ वैगन पुरानी तथा १,४७६ वैगन नये घास की भेजी गई। विवरण सूची (स) में संलग्न है।

(६) जी नहीं। ठेका नहीं दिया गया।

(७) जी हां। जांच वन विभाग के लेखाधिकारी वन संरक्षक, पूर्वी वृत्त कोटा एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के उप अधीक्षक आरक्षी द्वारा की गई थी जांच के आधार पर राज्य सरकार ने दोषी पाये गए लेखाकार वरिष्ठ लिपिक तथा कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध संयुक्त रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने का निर्णय लिया गया है। इस जांच के फलस्वरूप यदि किसी अधिकारी को भी दोषी पाया जायगा तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जायगी। जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा।

(८) मजदूरों को रसीद पूरी रकम की प्राप्त की गई। विभाग के हिसाब में भी वैगन भराई की पूरी का मजदूरी चुकारा होना मालूम होता है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली जांच से यदि मजदूरों को उनके द्वारा पूरा चुकारा नहीं करना पाया जायगा तो कम चुकारे की रकम इन व्यक्तियों से वसूल करने की कार्यवाही की जा सकेगी। जांच से किसी मजदूर को मजदूरी पूरी नहीं मिलना पाया जाने पर नियमों के प्रावधान के अनुसार पूरा चुकारा करने की व्यवस्था की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

(१२.०५ म. प.)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जिन पेन्डिंग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई उनका उल्लेख नीचे किया जाता है—

श्री रणजीत सिंह, श्री कालूराम आर्य, श्री बिरदा राम, श्री कालूराम व श्री हुकम सिंह, सदस्य विधान सभा ने ग्राम रामपुरा तहसील ओसियां से ट्यूब वेल द्वारा जोधपुर को पानी पहुंचाने की योजना से रामपुरा के कुए सूख जाने पर उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है। उसमें यह कहा गया है कि जल योजना के लिए १२ नलकूप तैयार किये जा चुके हैं किन्तु इस समय केवल ३ नलकूप चलाये जा रहे हैं और ११,००,००० गैलन पानी प्रति दिन इस क्षेत्र से लिया जा रहा है। इस समय तक इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए कुओं से अनुमानतः ५०,००,००० गैलन पानी इस्तेमाल

(श्री अध्यक्ष)

हुआ था जबकि विभाग द्वारा केवल ११,००,००० गैलन प्रति दिन काम में लिया जा रहा है तथा नलकूपों से कुओं के जल स्तर में कोई गिरावट हुई हो ऐसा विभाग की जानकारी में नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने अलवर शहर में 'क्रान्तिकारी हिन्दू संगठन के नाम से चिपकाये गये पोस्टरों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की' सूचना दी थी। राज्य सरकार से इस विषय में जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें बतलाया गया है कि राज्य सरकार अलवर नगर में चन्द स्थानों पर परचे चिपकाये जाने के प्रयत्न को शरारत पूर्ण एवं दण्डनीय समझती है। और इसलिए इस मामले में कोतवाली अलवर में सेक्सन १५३-ए व सेक्सन १०५ (२) आइ. पी. सी. के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफतीश जारी है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हरिवल्लभ शर्मा, सदस्य विधान सभा से सवाई माधोपुर में ओलावृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना में यह कहा गया है कि सरकार ने इस क्षेत्र के काश्तकारों को राहत देने के लिए दो सड़कें बनाने के आदेश दिये हैं तथा राशन की दुकानें भी खोली जा रही हैं। प्रभावित व्यक्तियों को तकावी भी दी जायेगी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल, सदस्य विधान सभा ने ग्राम धमान (जिला चित्तौड़) के जन संघ के मंत्री पर हमला करने व पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें यह बतलाया गया है कि इस मारपीट की इत्तला उदयपुर थाने में दी गई पर मामला रेलमगरा का होने के कारण इत्तला रेलमगरा भेज दी गई तथा मुकदमा दफा ३२५ व ३२३ में दर्ज कर लिया गया डाक्टरी रिपोर्ट आने पर दफा३०७ताजीरात हिन्द भी बढ़ाई गई। इसके अतिरिक्त तीन मुलजिमान को दिनांक ५-४-७० को गिरफ्तार भी कर लिया गया हैं तथा जनसंघ के मंत्री की चिकित्सा चित्तौड़गढ़ अस्पताल में चल रही है। उनकी स्थिति में सन्तोष प्रद सुधार हो रहा है।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भैरोंसिंह, सदस्य विधान सभा ने बनेड़ा के निकट मूसा की गारनेट माईन्स में दिनांक ५-४-७० को कुछ व्यक्तियों की हुई मृत्यु के सम्बन्ध में दी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें यह बतलाया गया है कि इस मामले में पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर समुचित कार्यवाही की गई है। भूरेखां, जिसकी लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी उसने दिसम्बर, १९६९ से अनधिकृत कार्य शुरू कर दिया था और इसलिये उसके खिलाफ माइन्स मिनरल (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट १९५७ के सेक्शन २१ के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के खान सुरक्षा अधिकारी व राज्य सरकार के खनिज अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे व खान के पानी निकालने के लिये पम्पिंग सेट लगाये गये हैं। ३० फीट पानी आ गया था जिसमें से १५ फीट पानी निकाला जा चुका है। श्री भूरे खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय अध्यापक परिषद् द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया तथा श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई थी। विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्राध्यापकों द्वारा हड़-ताल स्थगित करना जाहिर है किन्तु उसके स्थान पर कुछ प्राध्यापकों द्वारा उपकुलपति के आवास के निकट धरने पर बैठना प्रगट होता हैं। साथ ही इस धरने की कार्यवाही से विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसियेशन ने बहुमत से अपने को पृथक् रखने का

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव पारित कर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को विश्वविद्यालय के सामान्य कार्यक्रमों में सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

ऊपर दिये गये तथ्यों को दृष्टि से मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त जो और स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं वे इस प्रकार हैं :

पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री देवीदत्त गाड़िया, आईदान सिंह, श्री पृथ्वीसिंह व श्री बालसिंह सोढ़ा, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई जिसमें दिल्ली (आमेर) आगरा नेशनल हाइवे पर लक्ष्मणडूंगरी व पानी टंकियों के पास ईदगाह वालों ने ईदगाह की सीमा को बढ़ाकर हाई वे की कुछ भूमि पर कब्जा करके वहां तामीर करने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना गंगानगर जिले की तहसील रामसिंह नगर में गंग केनाल की शाखा में पानी बन्द हो जाने से ६ गांवों की जनता को पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री बालसिंह सोढ़ा, श्री हरजीरम बुरड़क, सदस्य विधान सभा ने दी है जिसमें जनवरी व फरवरी, १९७० में ओला वृष्टि से कोटा व सवाई माधोपुर जिलों में किसानों की खड़ी फसल नष्ट हो जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

उदयपुर महाराणा की पिछोला लेक की १३३ बीघा भूमि की काश्त को उजाड़ देने तथा जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किये जाने पर कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह, श्री राम सिंह, श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री आईदान सिंह, श्री केदार नाथ, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री जुझारसिंह, श्री रामप्रसाद बोहरा, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री फूलचन्द बाफना, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री पृथ्वी सिंह श्री ओमदत्त भाटी, श्री बालसिंह सोढ़ा, व श्री किशनलाल शाह, सदस्य विधान सभा ने स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें दी हैं।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय दिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)-अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव ओलावृष्टि के संबंध में है और राज्य सरकार ने यह अश्वासन दिया था....

श्री अध्यक्ष—किस के संबंध में ?

श्री देवीदत्त गाड़िया—ओलावृष्टि के संबंध में। राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि जिस क्षेत्र के अन्दर . .

श्री अध्यक्ष—मैंने अस्वीकार किया है, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया—जानकारी के लिए कहा है। मैं यह निवेदन कराना चाहता हूँ....

श्री अध्यक्ष—कोई निवेदन नहीं। जानकारी के बाद कर सकते हैं। अभी स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया—मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ....

श्री अध्यक्ष-इसलिए भी नहीं माननीय सदस्य

श्री देवीदत्त गाड़िया—यह प्रश्न किसानों के जीवन मरण का है. . .

Page No 50

श्री अध्यक्ष—इसीलिए ही तो जानकारी प्राप्त की है।

श्री देवीदत्त गाड़िया—कल फिर सदन की कार्यवाही समाप्त हो जायेगी। या तो आप आश्वासन दें. .

श्री अध्यक्ष—कोई आश्वासन नहीं है। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया—किसानों के ऊपर जो कर्जा है उसकी वसूली नहीं रोकी . . .

श्री अध्यक्ष – माननीय सदस्य

श्री देवीदत्त गाड़िया—लगान वसूल हो रहा है, किसान बरबाद हो रहे हैं . . .

श्री अध्यक्ष—अंकित नहीं किया जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया - ÷ ÷

श्री अध्यक्ष—स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य काफी हो चुका।

श्री देवीदत्त गाड़िया—मैं इसलिए निवेदन करना चाहूं कि यह जीवन मरण का प्रश्न है . . .

श्री अध्यक्ष—अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया— ÷ ÷

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य श्री गाड़िया। माननीय श्री गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया ÷ ÷

श्री अध्यक्ष-श्री गाड़िया स्थान ग्रहण करें। अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया— ÷ ÷

श्री अध्यक्ष–अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया- ÷ ÷

श्री अध्यक्ष–श्री गाड़िया। (श्री देवीदत्त गाड़िया के बोलते रहने पर) स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री गाड़िया श्री गाड़िया। मैं आपको नाम से पुकारता हूं- माननीय श्री गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया-आप बाहर निकल सकते है।

श्री अध्यक्ष-मेरा तो अंकित हो, इनका नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया- ÷ ÷

श्री अध्यक्ष-इसका मतलब यह हुआ माननीय श्री गाड़िया आप उद्यत हैं अवहेलना करने के लिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया—उद्यत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—अब नहीं बैठेंगे। आप नहीं मानेंगे, श्री गाड़िया ? (श्री गाड़िया के बोलते रहने पर) में आपको एक बार और नाम से पुकारता हूं। मेरा ख्याल है कि बहुत हो चुका। नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर)-अध्यक्ष महोदय, मंत्री ने इस सदन में आश्वसन दिया उनका नाम पुकारिये उन्होंने कहा था कि जहां जहां ओले पड़े हैं वहां से लगान वसूल नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-इसलिए जानकारी प्राप्त की है उसके पूर्व मैं इसको नहीं ले सकता।

÷ ÷ अध्यक्षिय पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया- + +

श्री अध्यक्ष—माननीय । गाड़िया कुछ भी अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाडिया- + +

श्री अध्यक्ष-माननीय गाडिया । मैं आपको बाहर जाने का, सदन छोडने का . . . माननीय श्री गाडिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया- + +

श्री अध्यक्ष-आप तो नहीं जायेंगे, मैं चला जाता हूं। यही अच्छा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया- + +

श्री अध्यक्ष—अब तो वाक आउट मुझको करना रह गया है। आज तो धैर्य की परीक्षा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल(कोटा)-अध्यक्ष महोदय आपने स्थगन प्रस्ताव. . .

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)-अध्यक्ष महोदय, पोस्टरों के संबंध में जो स्थगन मैंने दिया है . . .

श्री देवीदत्त गाड़िया—मैं बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह एक किसान का सवाल नहीं हैं करीब ६ हजार किसानों से सम्बन्ध रखता है आज उनके पास खाने को अनाज नहीं है . . .

श्री अध्यक्ष—अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया- + +

श्री अध्यक्ष—अब तो आप मेरे धैर्य को छू रहे हैं। मैं क्या आपकी खिदमत के लिए मार्शल को भेजूं।

श्री देवीदत्त गाडिया— +

श्री अध्यक्ष—मैं नहीं चाहता हूं मार्शल भेजना अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाडिया— +

श्री अध्यक्ष-आप करें या नहीं करें मेरा कर्तव्य दुरूह है। आप अधिक परीक्षा न लीजिए माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाडिया— +

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य । अब तो विनम्रता भी मेरी चली जा रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब आगे का प्रयास छोड़ दें, व्यवधान पैदा करने का। अभी कई माननीय सदस्यों को बोलना है। विधायी कार्य है। अब वह स्थिति आप पैदा करना चाहें जिससे कार्यवाही आगे न चले तो मुझे स्पष्टतया कह दिया जाये....

श्री भैरोंसिंह—वह तो हमें पता चल रहा है आप परम्परा निभायेंगे।

श्री अध्यक्ष—फिर देरी से क्यों निभाऊं जल्दी ही कर दूं ताकि मुझ पर ज्यादा वजन न पड़े।

श्री गाड़िया—माननीय मुख्य मंत्री जो...

श्री अध्यक्ष-अब मैं सदन का सहयोग चाहता हूं। नियमों के अनुकूल मैं आपको आदेश देना चाहता हूं कि आप इस सीमा से आगे बढ़े तो आदेश जिसकी भाषा बनी हुई है दे गुजरूंगा वह अच्छा नहीं है। न मालूम कौन से पुण्य उदय हुए हैं जिससे इस आसन पर आना पड़ा।

+ + अध्यक्षिय पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया

Page No 52

श्री देवीदत्त गाड़िया— + +

श्री अध्यक्ष-आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री कृष्णकुमार गोयल— माननीय अध्यक्ष, महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है। केवल निवेदन इतना है कि कल यह सदन स्थगित हो जायेगा और आपने कुछ स्थगन प्रस्तावों के बारे में निर्णय किया है कि जानकारी प्राप्त की जा रही है और मैंने स्थगन प्रस्ताव दिल्ली-आगरा रोड़ जो नेशनल हाईवे है इसका लिंक करने वाला बाई पास है उसका निर्माण चल रहा है। नेशनल प्राजेक्ट है और इस संबंध में कुछ जमीनें अवाप्त की गयीं और उनका मुआवजा दे दिया गया लेकिन वहां एक ईदगाह है उसका विस्तार किया जा रहा है। एन्क्रोचमेन्ट किया जा रहा है जिसका मुआवजा दे दिया गया था। वहां पर उन्होंने चार दीवारी बना ली है। आपने कहा है कि जानकारी प्राप्त की जा रही है और मुझे पता है कि जितना कन्स-ट्रक्शन हो रहा है सारा का सारा मनमाने तरीके से किया जा रहा है। न एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर की परवाह कर रहे हैं, न चीफ इन्जीनीयर की परवाह कर रहे हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि सार्व-जनिक निर्माण विभाग के मंत्री हैं उनके इशारे पर यह निर्माण करा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो निर्माण हो रहा है वह बिल्कुल अन-आथोराइज्ड़ है और जिन लोगों को मुआवजा दे दिया गया है वे लोग इस का कन्सट्रक्शन करा रहे हैं। मुझे आशा नहीं है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री इसके बारे में कुछ कहेंगे।

मुख्य मंत्री जी इस बारे में वक्तव्य दे दें कि एन्क्रोचमेन्ट हो रहा है वह कहां पर हो रहा है ...

श्री अध्यक्ष—आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य! स्थान ग्रहण करें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल—एन्क्रोचमेंट हो रहा है तो क्यों नहीं उसको रिमूव किया गया है।

श्री अध्यक्ष—स्थान ग्रहण करें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल—यह ८० बाई ५० है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझ गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल-अध्यक्ष महोदय, अलवर में दो पोस्टर चिपकाये गये हैं जो ओरिजनल में मैंने आपको दिये हैं। इनमें से एक पोस्टर का शीर्षक हैं- मुसलमानों ! हिन्दु बनो या भारत छोड़ो। दूसरे पोस्टर का शीर्षक है- देश के हिन्दुओं ! एक हो जाओ इन पोस्टरों में, अध्यक्ष महोदय, हथियार जमा करने और इस प्रकार से मुसलमानों पर और दूसरे लोगों पर हमला करने के लिए आहवान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की घटनायें दूसरे प्रान्तों के अन्दर भी हुई हैं और इसका नतीजा साम्प्रदायिक दंगों के रूप में हुआ है। जो भी पोस्टर की भाषा है उसके अन्दर उत्तेजनात्मक रूप में कहा गया है कि सभी हिन्दुओं को विशेष कर युवकों को आदेश दिया जाता है कि. .

श्री अध्यक्ष—सारी सख्त भाषा को क्यों बोलते हैं। दोनों की हैड लाईन ही काफी अर्थ रखती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल—इस खूनी क्रांति के लिए तैयार हो जाओ, संगठन बना लो, हथियार जमा कर लो, तथा हिन्दू जाति के दुश्मनों का संहार करने के लिए तैयार रहो।

इसी तरीके से दूसरा पोस्टर अलवर के अन्दर बाकायदा छपा हुआ है और चिपकाया गया है....

+ +अध्यक्षिय पीठ के आदेशानुसार भाषण अङ्कित नहीं किया गया।

श्री मूलचन्द डागा (पाली)—प्रकाशक कौन है, प्रकाशित करने वाला कौन है।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस पेम्फलेट को आप इतनी इम्पोर्टेन्स दे रहे हैं, यह पेम्फलेट किसकी तरफ से निकाला है, किसकी तरफ से यह प्रकाशित किया गया है। मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी जब तक न हो, तब तक कुछ कह सकना मुश्किल होगा। वैसे आपके भाषण से इसकी ज्यादा पब्लिसिटी होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल—इसमें छपा हुआ है वह किसी महिला का नाम है क्रान्तिकारी नवयुवक हिन्दु संगठन, प्रधान कार्यालय शीलादेवी आमेर !

श्री अध्यक्ष—इसकी जांच हो रही है। केस रजिस्टर हो गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल-मेरा निवेदन करना था, इस सम्बन्ध में गृह मंत्री जी का वक्तव्य होना चाहिये। यह पोस्टर कहां कहां पर चिपकाये गये हैं ? क्या अलवर के अलावा और जगह भी चिपकाये गये हैं ? इस बारे में आपको क्या सूचना और क्या सुराग मिले हैं ? इसको चिपकाने वाले और छपवाने वाले कौन हैं ? इसमें चार जगह का नाम लिया गया है : (१) जगन्नाथ मन्दिर अहमदाबाद, (२) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (३) दयाल बाग, आगरा, (४) पणोबी गोआ (५) मद्रास होटल, कनाट प्लेस, दिल्ली। इन जगहों से क्या सूचना प्राप्त की गई है कि इन जगहों पर इस प्रकार के संगठन का कोई आधार है क्या ? और इस प्रकार के पोस्टर छपवाने वाला कौन है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में जो जगह २ पर साम्प्रदायिक दंगे होते हैं...

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य ! बिल्कुल संक्षेप में बोले।

श्री रामानन्द अग्रवाल—उसमें होता यह है हमारे देश में जो छोटी छोटी इस प्रकार की घटनायें होती है, उनके प्रति सरकार का उदासीनता का रुख अपनाया जाता है और वह छोटी छोटी बात आहिस्ता आहिस्ता चिनगारी बनकर ज्वाला बन सकती है। इसलिए पहले से प्रिवेन्टिव मेजर्स लिए जाने चाहिए। इसलिए गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में जो भी सूचना इकट्ठी की है अब तक, उससे सदन को अवगत करा दें ताकि हमें तसल्ली हो सके कि सरकार इस सम्बन्ध में सही तरीके से प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रही है।

श्री मूलचन्द डागा—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में....

श्री आईदान सिंह (भीनमाल)—अध्यक्ष महोदय, जो नक्सलपंथी कार्यवाही राजस्थान के अन्दर उदयपुर और पिछोला में शुरू हुई है उसके सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार को चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि इस संबंध में हमने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है....

श्री अध्यक्ष—मैंने जानकारी प्राप्त की है।

श्री आईदान सिंह—इस सम्बन्ध में जो जिले का प्रशासन है उसको भी इन्वाल्व किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार की नक्सलवादी टाईप की एक्टिविटी शुरू की गई तो...

श्री अध्यक्ष—मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर जानकारी प्राप्त की है क्या उसके पहले ही इसको ले लिया जाय ? इसको जानकारी के लिए भेजा है।

श्री आईदानसिंह—कल कम के कम इसको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—कैसे ले लूं बिना जानकारी के।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर)—जानकारी क्या ?

श्री पृथ्वीसिंह—जानकारी कब तक आ जायेगी ? कल तो हाउस एडजोर्न होने वाला है।

श्री अध्यक्ष—रात्रि तक होगा।

श्री पृथ्वीसिंह—फिर जानकारी आई हुई हमारे काम क्या आयेगी ?

श्री अध्यक्ष—जानकारी क्या काम आयेगी- यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन जानकारी प्राप्त की है।

श्री पृथ्वीसिंह—फिर यह जानकारी हमारे किस काम की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल—अध्यक्ष महोदय, महाराणा उदयपुर ने अपनी निजी सम्पति से अधिक जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है, वह किसानों की खुदकाश्त है उनको कब्जा करने का अधिकार है। लेकिन उसको अपने कब्जे में करके इस प्रकार से धौंस और दिखाते हैं, ताकत की धौंस दिखाते हैं, तो किसान भी उसका मुकाबला करना जानते हैं और जो उनका अधिकार है उसको प्राप्त कर सकते हैं।

श्री आईदानसिंह—नक्सलवादी कार्यवाही शुरू करने से देश के अन्दर अव्यवस्था हो जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल—और उसके लिए जरूरत हुई तो लोग हथियार भी उठायेंगे।

श्री आईदानसिंह—आखिर देश के अन्दर रहने का हर एक को अधिकार है।

श्री रामानन्द अग्रवाल—चाहे महाराणा की जमीन हो या जागीरदार की हो, लेकिन जो भी आततायी हैं . . .

श्री आईदानसिंह—हथियार उठाने की बात आप कहते हैं तो ...

श्री रामानन्द अग्रवाल--उनका मुकाबला किया जायगा।

श्री आईदानसिंह—अध्यक्ष महोदय, अगर हथियार की बात की जायगी तो हथियार उठाना हम पहले से ही जानते हैं। और हथियार उठानेका मौका दिया गया तो हथियार उठा भी लिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल—आप हथियार उठायें या नहीं- यह मैं नहीं जानता लेकिन....

श्री आईदानसिंह—यह नहीं समझें कि हम हथियार नहीं उठा सकते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर)—आपके हथियारों में जंग लग गई है, अब कुछ नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल—जागीरदारों ने हथियार उठाने की हिमाकत करने की कोशिश की है तो . . .

श्री अध्यक्ष—आर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल--और सरकार की ओर से काश्तकारों की मदद नहीं की गई तो काश्तकारों के द्वारा पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला किया जायगा।

श्री आईदानसिंह—ताकद की बात को लेकर कहते हैं तो उसका ताकद के साथ मुकाबला किया जायेगा। हम कोई बाहर से नहीं हैं। हम भी इस देश और इस प्रान्त में जन्में हैं और हमारा भी कुछ अधिकार है।

Page No 55

श्री रामानन्द अग्रवाल-महाराणा उदयपुर ने जो नाजायज कब्जा कर रखा है, उसके खिलाफ किसान संगठित होकर खड़े होंगे और . . .

श्री आईदानसिंह-वह जरूर कीजिये आप।

श्री रामानन्द अग्रवाल—भूमिहीनों को भूमि पर कब्जा दिलाने का हक है, और उसके लिए किसान तैयार हैं। आप भी उनके साथ आ जाना।

श्री आईदानसिंह—हमारी जमीन है और उसको हम जीत रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य! अभी तो मैंने जानकारी के लिए भेजा है। दोनों हथियार चलाने लग गये आपस में। मैंने जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा है। आर्डर प्लीज!

श्री रामानन्द अग्रवाल--अध्यक्ष महोदय, पहले हमने इस प्रश्न को उठाया था और कहा था कि महाराणा उदयपुर ने जबर्दस्ती इस तरह से कब्जा किया उसको रेगुलेराइज करने की कोशिश की जा रही है . . .

श्री अध्यक्ष—मैंने जानकारी के लिए भेजा है।

श्री पृथ्वीसिंह--अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पैदा हुआ है, इसकी . . .

श्री अध्यक्ष—कौनसा प्रश्न? हथियार का?

श्री पृथ्वीसिंह (बाली)--जैसा कम्युनिस्ट सदस्य ने कहा कि नाजायज तरीके से महाराणा उदयपुर ने कब्जा किया है . . .

श्री अध्यक्ष--कोई भाषण नहीं होगा।

श्री पृथ्वीसिंह--और उस पर काश्तकारों का अधिकार है . . .

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य!

श्री पृथ्वीसिंह--और काश्तकारों को संगठित करके . . .

श्री अध्यक्ष—इसका प्रश्न नहीं है। मैंने जानकारी के लिए भेजा है।

श्री रामकिशन (वैर)--मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं!

श्री अध्यक्ष—मैंने अभी जानकारी के लिए भेजा है, कहने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री रामकिशन--मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं इसको वाद-विवाद का प्रश्न नहीं बनाना चाहता हूँ।

श्री रामकिशन—मुख्य मंत्री जी कुछ जानकारी देना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल--अभी तो और निजी सम्पत्ति रिवाइज होगी, सारी की सारी, जो अभी पट्टा लिए फिर रहे हैं वह रिवाइज होने वाली है . . .

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य इसका प्रश्न नहीं है . . .

श्री पृथ्वीसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह जो . . . (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—अङ्कित नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल, और श्री पृथ्वीसिंह (साथ-साथ) + +

+ + अध्यक्षिय पीठ के आदेशानुसार भाषण अङ्कित नहीं किया गया।

Page No 56

श्री अध्यक्ष—मेरे सामने अभी यह प्रश्न नहीं है। मैंने जानकारी के लिए भेजा है। आप किस पर बोल रहे हैं यह खत्म हुआ। आपका कहना भी खत्म हुआ। आप भी खत्म कर दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल--यह कब्जा छोड़ दें, फिर झगड़ा खत्म हो जायगा।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़)- महाराणा की धौंस है और न किसानों की जबर्दस्ती दोनों उनके एजेन्ट बनना चाहते हैं और सदन में हल्ला मचा रहे। वह कर लेंगे निबटारा। यह किसानों के नेता बना रहे हैं और यह महाराणा के ए० डी० सी० बन रहें हैं। यह आपस में निपट जायगा और एक भी आदमी रोकना चाहेगा तो रोक लेगा।

श्री पृथ्वीसिंह--यह महाराणा का प्रश्न नहीं है, न छोटे काश्तकारों का प्रश्न है, न मजदूरों का प्रश्न है, यह जो प्रश्न है . . .

श्री अध्यक्ष--मेरा प्रश्न तो यह है। और किसी का प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न है। मैंने जानकारी प्राप्त की है। देखिए इस तरह न बोलिये, आप नियमों के बिल्कुल विरुद्ध जा रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा)--नहीं, अध्यक्ष महोदय . . .

श्री आईदानसिंह--इन नक्सलवादियों पर रोक लगनी चाहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल--न महाराणा की जमीन, न राजा की जमीन, और न जागीरदार की जमीन से इसका सम्बन्ध है। लेकिन जैसी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी भावना बताई है। हम कह देना चाहते हैं कि उनकी भावना चाहे भावना ही होगी, लेकिन हम उसको कार्यान्वितरूप देना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि महाराणा की जमीन का सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध में हम राज्य सरकार से जानना चाहते हैं कि यह जमीन १३३ बीघा है, इसका सवाल जहां तक है, क्या यह जमीन का सवाल इन्वेन्ट्री में मौजूदा था ? अगर था तो १९६७ के अन्दर....

श्री अध्यक्ष--मैं इसको वाद-विवाद का विषय आज ही बना दूं ? मैंने इस पर जानकारी प्राप्त की है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल—जानकारी क्या होती है ?

श्री अध्यक्ष—जो जानकारी का प्रश्न उठाया है ....

श्री रामानन्द अग्रवाल—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गरीब किसान का प्रश्न उठाया है उसको आपने रोक दिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)-हम गरीब हैं और गरीब किसानों का प्रश्न उठाते हैं। लेकिन चीन और रूस का विषय है उसको लेकर आप चिल्लायें और पोस्टर चिपकायें....

श्री अध्यक्ष—आपके पीछे एक माननीय सदस्य हैं, उनका तो लिहाज रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल—अध्यक्ष महोदय, अब स्पष्ट चेहरे आ रहे हैं। अब परदा नहीं रह सकता है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल--जानकारी का प्रश्न इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि राज्य सरकार द्वारा १९६७ के अन्दर क्या १३३ का डिमार्केशन किया गया, क्या उसका नक्शा दिया गया ? महाराणा ने इस १३३ बीघा जमीन पर काश्त की है और फसल बोई है। उसके सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री मोहन लाल सुखाड़िया

Page No 57

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

के ऊपर वहां के नेताओं ने प्रेशर डाला है, और राजनैतिक आधार के ....

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य ! मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जानकारी के लिए जब प्रश्न भेजा गया है तो क्या आप चाहते हैं कि आज ही इस विषय पर वाद-विवाद शुरू हो जाय। अभी मैंने इस पर कोई निर्णय नहीं दिया है। निर्णय देने के पूर्व जानकारी के पूर्व मेरे ख्याल में बोलने का कोई नियमों में प्रावधान नहीं है। लेकिन आप गति से इस प्रश्न को उठा रहे हैं। मैं इस प्रश्न पर वाद-विवाद को समाप्त करना चाहता हूं जब तक कि जानकारी न आ जाय।

श्री कृष्ण कुमार गोयल--इस पर जानकारी का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इस प्रश्न में यह स्पष्ट बात है कि मुख्य मंत्री जी महाराणा को सिकंजे में लेकर, सारी कार्यवाही को नक्सलपंथी का रूप दे रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष- आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)—(श्री मोहनलाल सुखाड़िया के खड़े होने पर) अब काहे को कह रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)–माननीय अध्यक्ष जी, आपने यह आदेश दिया, इस सम्बन्ध में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद आप उस पर अपना निर्णय देंगे। लेकिन नक्सलवादी एक्टीविटीज, और हमने मिलकर इसके सम्बन्ध में कोई इस प्रकार की नक्सलवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया वगैरह वगैरह बातें कहने को कह दी गई। मैं इतनी जानकारी सदन को दे देना चाहता हूं कि इसमें नक्सलवादी एक्टीविटी जैसी कोई चीज नहीं है ...

श्री कृष्ण कुमार गोयल -क्यों, क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--दूसरी बात मैं इसके साथ में निवेदन करूं. जब यह डिस्प्यूट वहां पर खड़ा हुआ तो उसके बाद चेअरमैन, बोर्ड आफ रेवेन्यू श्री हूजा और सेटलमेंट कमिश्नर श्री निरंजनसिंह, जो सीनियर आफिसर हैं उनको स्पोट पर भेजा गया और इस पर क्या हकूक इन्वेन्ट्री के मुताबिक बनते हैं-उसके बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। एक बात। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, महाराणा साहब की तरफ से हाई कोर्ट के अन्दर मूव किया गया है और वहां से भी कुछ आदेश हुए हैं उसके संबंध में जो कुछ स्थिति है वह जानकारी यहां पर देदी जायगी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात समझ कर नहीं चला जाय कि इसके सम्बन्ध में कानूनी अधिकार क्या हैं-उसके बारे में सरकार कोई मौन है, और किसी नक्सलवादी टाइप की एक्टिविटी को प्रोत्साहित किया जा रहा है या और किसी तरह की बात की जा रही है। कानूनी दृष्टि से, ईन्वेन्ट्री की दृष्टि से जिसके जो हक होंगे, जो हक एस्टाब्लिश होंगे उनको यह सरकार रेस्पेक्ट करके चलेगी। इसके सम्बन्ध में कोई हम गैर कानूनी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने में विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए नक्सलवादी या और कोई पालिटिकल आस्पेक्ट इसके पीछे लाने की, मैं समझता हूं, कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था, सेटलमेंट डिपार्टमेन्ट के चार सौ अमीन और सौ इन्सपेक्टर सरप्लस डिक्लेअर कर दिये गये हैं, न उनको वेतन मिला है, न सरकार ने कहीं उनको . . ,

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की है।

श्री देवीदत्त गाडिया--कहीं लगाने का अभी तक कोई निर्णय किया गया है . . .

श्री अध्यक्ष--स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाडिया--मैं चाहूंगा कि इस पर आप कोई निर्णय दे दें क्योंकि कल विधान सभा अनिश्चित काल के लिए समाप्त हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाडिया—मेरा निवेदन है कि इस पर वक्तव्य दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष—स्थान ग्रहण करें।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़)—आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, मुझे अखबारों के माध्यम से मालूम हुआ है कि माननीय दीपचन्द छंगाणी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है . . .

श्री अध्यक्ष यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता—मेरी सूचना है कि दीपचन्द छंगाणी कांग्रेस छोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—यह पाइन्ट आफ आर्डर का प्रश्न नहीं हैं। अखबारों का प्रश्न भी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल—नहीं, अध्यक्ष महोदय . . .

श्री भैरोंसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक एडजोर्नमेंट मोशन था, गारनेट की खान के ढ़स जाने से कुछ आदमी मर गये। इस सम्बन्ध में मैं दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहली तो यह कि इस गारनेट की खान में दब कर कितने आदमी मर गये हैं ? मेरी सूचना के आधार पर दिन के दो बजे इस खान की मिट्टी ढही थी और रात के सात बजे तक वहां पर सात आदमी जिन्दा थे, इन साथ आदमियों को क्यों नहीं निकाला गया और इसमें गफलत किस की रही ? और जिनकी गफलत रही है उनके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया जा रहा है। एक तो इसकी सूचना दे दें।

दूसरे काण्ट्रेक्टर इस खान के ऊपर अनधिकृत रूप से काम कर रहा था। दिसम्बर में उसकी लीज खत्म हो गई थी, लेकिन दिसम्बर से लेकर आज दिन तक, जब कि सात आदमी इस खान के धंस जाने से मर गये, सरकार इस सम्बन्ध में मौन रही और उस ठेकेदार को इस खान पर अनधिकृत रूप से काम करने की इजाजत दी गई। इस सम्बन्ध में कौन अधिकारी दोषी है और उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया है ? यह गारनेट की माइन का हाल है जो कि एक बहुत वेल्यूएबल माइन है, उसके सम्बन्ध में सरकार को महीनों तक का पता नहीं रहता है लोग अनधिकृत रूप से उस पर काम करते रहते हैं और सरकार को पता नहीं रहना है, जब सात आदमी उसमें मर जायं तब जाकर उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाता है। मेरा निवेदन है कि माइन्स गवर्नमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है रेवेन्यू का इस प्रकार के सोर्स होने के उपरान्त भी अनधिकृत रूप से खान का एक्स्प्लाईटेशन चलता रहता है-यह विचारणीय प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो इस पर व्यवस्था दी है, उसके सम्बन्ध में मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको जानकारी जो प्राप्त हुई है वह बहुत अधूरी है।

श्री अध्यक्ष—जो माननीय सदस्य ने मुद्दे उठाये हैं उनके ऊपर राज्य सरकार से जानकारी ली जाकर मैं माननीय सदस्य के पास में भेज दूंगा! ध्यानाकर्षण प्रस्ताव!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम २६६ की ओर दिलाना चाहता हूं :

Rules to be observed by members while present in House-whilst the House is sitting a member-

इसमें सब रूल ५, सब रूल ७ है, नियम २६६ का सब रूल (७) है

"shall keep to his usual seat while addressing the House.

आपने अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था की है कि सदन के सभी माननीय सदस्यों के लिए सीट निर्धारित की है, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी के अन्दर बैठने वाले माननीय और विपक्ष की ओर बैठने वाले माननीय सदस्य निर्धारित सीटों पर ही बैठ सकते हैं और कोई भी माननीय सदस्य निर्धारित सीट से ही बोल सकते हैं। नियम २६६ में इस प्रकार की व्यवस्था है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि श्री दीपचन्द छुंगाणी, जो फलौदी से चुनकर आये हैं, उनके लिए आपने किस पार्टी में कौनसी सीट निर्धारित की है ? उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है, तो क्या उसकी सूचना आपको दे दी है ? अगर दे दी हैं तो आपने सीट कौनसी उनके लिए निर्धारित की है ? कोई माननीय सदस्य इधर के किसी पक्ष को छोड़ कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो आपने उस सम्बन्ध में सदन को सूचना दी है, किसी पक्ष के माननीय सदस्य कांग्रेस में चले गये, स्वतंत्र पार्टी के सदस्य कांग्रेस में चले गये और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करली है तो उसके लिए आपने इस सदन को सूचना दी है और उनके लिए सीट निर्धारित की है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि श्री दीपचन्द छुंगाणी ने आपको इत्तला कब दी है और उसमें क्या कारण लिखे हैं ? इस सम्बन्ध में आपने सदन को इत्तला नहीं दी है। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सदन को सूचित किया जाय कि श्री दीपचन्द छुंगाणी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता कब छोड़ी है ? कब आपको सूचना दी है ? और वह किस कारण से छोड़ी है ? और इस सदन में उनके बैठने के लिए कौनसी सीट आपने निर्धारित की है, जो कि नियम २६६ के अन्तर्गत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—जो नियम बताया है वह लागू नहीं होता है। (श्री मूलचंद डागा के खड़े होने पर) श्री मूलचन्द डागा, आप स्थान ग्रहण कर लें। श्री दीपचन्द छुगाणी ने कांग्रेस छोड़ी है-इस संबंध में मुझको कोई सूचना नहीं है। यदि मुझको सूचना होती तो मैं सदन को अवगत कर देता और सीट भी निर्धारित कर देता। इसलिए यह प्रश्न यहीं का यहीं रह जाता है।

श्री रामकिशन (नैर)—अब उनको गायब कहां कर दिया ?

श्री मनोहरसिंह मेहता-मैं यही तो पूछ रहा था। जो छोड़ कर आते हैं वह निर्दलीय बन जाते हैं। तो मुझे चिन्ता हुई वह गये कहां इसलिए मुझे उनकी चिन्ता थी।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल)— अध्यक्ष महोदय, दीपचन्द छुंगाणी ने ६ तारीख को विपक्षों की लाबी में हस्ताक्षर किये हैं।

श्री अध्यक्ष—लाबी में हस्ताक्षर कर दिये वह अन्तर आत्मा की आवाज पर कर दिये होंगे। मुझे तो नहीं पता। मेरे पास कोई सूचना नहीं आई। सूचना आती तो मैं सदन को अवगत करा देता।

श्रीरामसिंह कुड़ी—अन्तरात्मा की आवाज पर ही तो छोड़ी है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—नियमों का प्रश्न समाप्त हुआ श्री रामकिशन ! ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ! राज्य सेवा में नई भर्ती पर पाबन्दी लगा देने से उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी !

श्री रामकिन (दौर)—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने खर्च में कटौती के नाम पर राज्य सेवा में नई भर्ती पर पाबन्दी लगा रही है। मैं इस सम्बन्ध में बेरोजगारी या रोजगारी के प्रश्न चर्चा नहीं करना चाहता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानकारी लेना चाहता हूं संक्षेप में, जब से आपने यह पाबन्दी लगा रखी है बहुत से नौजवान जो सेवा के लिए उम्र होती है सेवा में प्रवेश के लिए उम्र होती है उसको पार कर जायेंगे उसके बाद में ओवर ऐज होने की वजह से जब आप यह पाबन्दी खोलेंगे तो उनको राज्य सेवा में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिये मैं एक जानकारी तो यह चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है कि जब से पाबन्दी लगी है और इस कारण जो लोग ओवर ऐज हो गये हैं तो उनके ओवर ऐज के मामले में उस अवधि की कटौती करने के मामले में राज्य सरकार पुर्नविचार करने लिये तैयार है? अध्यक्ष, महोदय, एक दूसरा प्रश्न और भी है, . .

(१२.५ म. प.)

श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)—

वह यह है कि राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति और जन जाति के नौजवानों के लिए जो राजकीय सेवा में प्रवेश करना चाहेंगे, उनके लिए २८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये हैं, जिस पर इस सदन में तालियां बजीं पर दूसरे दिन ही घोषणा कर दी गई कि उन्हें नहीं लिया जायगा तो मैं रा[redacted]र से जानना चाहूंगा कि जब तक आप यह पा[redacted]ते हैं तब तक अनुसूचित जाति और जन जा[redacted] जितने नौजवान राजकीय सेवा के लिए प्रत्याशी हैं, उनके लिए राजकीय सेवाओं में आने के लिए यह पाबन्दी लागू नहीं की जायगी, उन पर यह पाबन्दी लागू नहीं की जानी चाहिये। राजस्थान में आज रोजगार की संभावनाएं बहुत कम होती जा रही हैं, न खेती में किसी प्रकार की संभावनाएं हैं, न उद्योगों में किसी प्रकार की आज रोजगार की संभावनाएं हैं और न राज्य की वित्तीत स्थिति ही इस प्रकार है कि लोगों को राजकीय सेवाओं में लेने की संभावना हो और न और किसी प्रकार की रोजगार की संभावनाएं हैं।

इन ३ मुद्दों पर एवं आज अनुसूचित जाति और जन जाति के दूसरे और जो लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं उनके लिए राजकीय सेवा में प्रवेश कब हो सकेगा, इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी प्रकाश डालें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)- उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी नई भर्ती सरप्लस हैंड्स की वजह से नहीं की जा रही है। तो मैं सदन को और सदन के माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत निकट भविष्य में, जो नई एन्ट्री के बारे में बान है, अभी तो कई सर्विसेज के लिए नहीं है, इसकी जानकारी आज डिबेट के दौरान मिल सकेगी, कई सर्विसेज में अभी भी बान नहीं है . .

श्री रामकिशन—३ में नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—३ के अलावा अन्य भी हैं, टीचर्स के लिए नहीं है, पुलिस में नहीं है, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में नहीं है, इस प्रकार बहुतसों में नहीं है। और जहां है वहां भी जहां तक मेरी जानकारी है, २००-३०० के बीच में

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सरप्लस हैंड्स को एब्जोर्ब करने का काम बाकी है, वह पूरा कर लिया जायगा और बहुत जल्दी और एक महीने में यह प्रारंभ कर दी जायगी . ..

श्री जयनारायण सालोदिया—बहुत जल्दी कब ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एक महीने में ।

२११ को एब्जोर्ब करने का काम एक महीने में चालू कर देंगे ।

सिर्फ सरप्लस हैंड्स की वजह से ही नहीं एम्प्लोयमेंट की कम ओपोर्च्युनिटीज और वजह से भी हैं इसलिए राज्य सरकार ने २५ वर्ष की आयु की सीमा थी, उसको बढ़ा कर २८ वर्ष की कर देने का फैसला किया है । जितने यंग मैन हैं, उसको इन वर्षों में ओपोर्च्युनिटी नहीं मिली तो उसको आगे ओपोर्च्युनिटी या मौका रहे, इस ख्याल से इसको बढ़ाने का फैसला किया है । इसके लिए सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट करना होगा, राज्य सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन को यह मामला रेफर किया है, इस अमेंडमेंट को हम रूल्स में लाना चाहते हैं, और यह स्वीकृति आ जायगी और ३ वर्ष की अवधि इनके लिए और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लिए डायरेक्टरिकूमेंट की अवधि है, उसको ३ वर्ष बढ़ाने का प्रावधान कर दिया जायगा तो मैं समझता हूं, उनको लाभ होगा ।

दूसरा प्रश्न था कि केवल दूसरों की भर्ती रुकी हुई है । शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भर्ती शुरू कर दें तो मैं समझता हूं जो प्रतिशत के लिहाज से तय किया है तो पोस्ट का क्रियेशन होने पर नई भर्ती हो सकती है । किसी डिपार्टमेंट में एक दो पोस्ट्स हैं तो यह डिफाइन करना होगा कि सरप्लस हैड नहीं लिये जांय, सेंट परसेंट दूसरों को भर्ती किया जाय । २११ एब्जोर्ब करने की बात है, उनको एब्जोर्ब कर के बच जाय तब भी भर्ती चालू कर दी जाय, इस प्रकार के आदेश दे देने से कन्फ्यूजन रहेगा और जल्दी भर्ती हो सकेगी । इसका आदेश जल्दी निकाल दिया जायगा ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री उपाध्यक्ष—विद्युत् उप मंत्री जी आर. एस. ई. बी का ७०—७१ का बजट सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री खेतसिंह (उपमंत्री विद्युत)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट १९४८ की धारा ६१ (३) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) १९७०—७१ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उक्त एक्ट की धारा ७५ (२ ए.) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के कार्य के बारे में मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६९—७० को सदन की मेज पर रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल के १९६८—६९ को समाप्त होने वाले वार्षिक लेखों पर टिप्पणियां सदन की मेज पर रखता हूं ।

विधायी कार्य-पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक

श्री उपाध्यक्ष--राजस्व मंत्री जी !

श्री रामकिशोर व्यास--उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री रामकिशोर व्यास)
मैं राजस्थान भूदान यज्ञ संशोधन विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान भूदान यज्ञ संशोधन विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-दान यज्ञ संशोधन विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक।

समय के बटवारे सम्बन्धी आपत्ति

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का प्रतिवेदन मिला, अनुसूचित जाति और जन जाति की रिपोर्ट को डिस्कस करना है तो मेरा निवेदन है कि इस रिपोर्ट पर सदन में हमेशा दो दिन की बहस होती है, रात को एक बजे तक इस पर बहस चलती है, इसमें कई लोग बोलना चाहते हैं, कई खामियां हैं कई बातें हैं उनको कई सदस्य सदन में रखना चाहते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण मामले को एक दो घंटे में निबटाना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल से पहले अनुसूचित जाति और जन जाति की रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिये। वह बहस आज पूरी नहीं हो सके तो कल भी जारी रखनी चाहिये, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। इस हाउस में हमेशा इस पर दो तीन दिन के लिये बहस होती आई है, फिर भी पूरी नहीं होती फिर माननीय सदस्य बोलना चाहते थे। ऐसी हालत में दो घंटे में इस पर विचार करना चाहते हैं तो यह बिलकुल निरर्थक है। इतनी बड़ी रिपोर्ट है, इस दो घंटे की बहस का मतलब यह है कि एक एक माननीय सदस्य ५—५ मिनिट बोलने का मौका मिलेगा, ५ दस मिनिट में कोई भी क्या बोल सकेंगे गवर्नमेंट अगर इसको यों ही थोपना चाहती है इस पर कोई कारगर बहस नहीं कराना चाहती तो यों ही थोप दिया जाय, अगर, सरकार समझती है कि यह बिल्कुल बेकार मसला और इस पर कारगार बहस नहीं हो तो इसे यों ही छोड़ दीजिये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर वाजिब बहस होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य, इसमें कार्य सलाहकार समिति ने जो समय मुकर्रर किया है उस समय के अनुसार ही विचार होगा, यह प्रश्न वहां उठाया जा सकता था कि इसमें ज्यादा समय दिया जाना चाहिये। जैसा कार्य सलाहकार समिति ने तय किया है तीन चार घंटे की चर्चा का समय इसमें मिल जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया--कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट को हमने माना है पर आपको अधिकार है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। पहले इस रिपोर्ट पर बहस हो जाय और अगर गवर्नमेंट उस बिल को पास कराना चाहती है तो रात को १२ बजे तक बैठें, टाइम तो इस पर पूरा मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री महोदय उत्तर भी देंगे।

(१ म. प.)

श्री रावतराम (छापर सु.)—यह रिपोर्ट पार्लियामेंट में भी आती है और वहां दो दिन बहस होती है। लेकिन यहां विधान सभा में एक दिन का समय भी नहीं दिया गया। इसमें शिडूल्ड कास्ट्स व शिडूल्ड ट्राइब्स के बारे में सरकार की

(श्री रावतराम)

क्या निती है,क्या उनके लिए राजस्थान में हो रहा है इन तीन घन्टों के समय में बोल नहीं सकेंगे जिस तरह से हर साल रोटीन में लेकर दो घंटे के लिए छोड़ देते हैं।

श्री उपाध्यक्षः-- हमेशा तो दो दिन विचार रखते हैं।

श्री रावतराम—कार्य सलाहकार समिति के प्रति वेदन पर पुनः विचार करना चाहिये और कम से कम दो दिन के लिए यह डिस्कशन के लिए रखा जाय। एक दिन का भी पूरा समय नहीं रखा तीन बजे तक इस बिल पर बहस चलेगी उसके बाद दो घंटे होंगे या तो १२ बजे तक आप रखें। इसको विल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना चाहिये। तो आप समय का ध्यान रखें।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह(डूंगरपुर)—कार्य सलाहकार समिति में मैं भी दो बार गया था यह जो निर्णय है उसका मैंने विरोध नहीं किया. लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वार बार कार्य सलाहकार समिति को बुलाकर और जो कुछ भी एजंडा है, बिसनेस है, उसमें फैर बदल करना, यह अच्छी परम्परा नहीं है। अगर सरकार सीलिंग बिल लाना चाहती है तो ला सकती है लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है। अध्यक्ष महोदय का अधिकार है कि उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। समय के बटवारे के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जाय अन्यथा अगर इस पर दो घन्टे के लिए चर्चा की जाय इस महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में, इससे बेहतर तो यह होगा कि चर्चा ही न की जाय। चर्चा का कोई अर्थ नहीं। अगर चर्चा होती है तो कोई आदमी खड़े होकर २० मिनट भी बोल नहीं सके तो फिर इस पर अपने विचार क्या व्यक्त करेंगे ? ऐसा महत्वपूर्ण विषय राज्य विधान सभा में बराबर आना चाहिये। साल में एक बार आना चाहिये और उस पर अच्छी तरह से चर्चा होनी चाहिये। अगर आवश्यकता हो, तो मुख्य मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, सदन की कार्यवाही एक या दो दिन के लिए बढ़ाई जाय। सरकार की ओर से सुझाव आया, हम तो अल्पमत में हैं। मैंने उस पर कोई विरोध व्यक्त नहीं किया इस आशय से कि कम से कम ५-६ घन्टे तक इस विषय पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। अब आवासन बोर्ड को लेना है तो यह ट्रेजरी बेंचिज का सवाल है. आवासन बोर्ड को लें ८-९ बजे पास करवा दें १० बजे तक। इसलिए माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा, मेरी सहानभूति है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया-जितना समय इस पर बहस में लगाया है, इतने में तो यह अमेंडमेंट बिल पास हो जाता। इसमें कुछ क्लाजेज इनकारपारेट किए हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया — कोई फायदा नहीं है। क्या बहस करेंगे ? कोई फायदा नहीं है। आप यह चाहते हैं तो फिर छोड़ दें इसको।

श्री उपाध्यक्ष आसन को आपत्ति नहीं है१०-११-१२ बजे तक बैठ सकते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया—लेकिन ऐसा भी क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष-विरोधी दल के नेता ने फरमाया की बिजनेस एडवाजरी कमेटी में ऐसा हुआ था और आसन एडजस्ट करे। आसन इससे अधिक एडजस्ट नहीं कर सकता। ५ के बाद में ५ घंटे और बैठेंगे।

(कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री श्रवणलाल(हिन्डौन)--बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में शिडूल्ड कास्ट और शिडूल्डट्रायब्का कोई भी सदस्य नहीं है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट के बारे में

(श्री श्रवणलाल)

किसी प्रकार की जानकारी दे सकें। यह महत्वपूर्ण सवाल है और हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है, कुठाराघात किया जाता है, यह साल में एक बार . . .

श्री उपाध्यक्ष-आसन अपने पैरों पर है।

श्री श्रवणलाल--इसके अन्दर उन सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। रात को १२ बजे तक बैठने के लिये मजबूर किया जाता है जिसमें किसी प्रकार कोई सदस्य अपने जिले के संबंध में अपनी राय नहीं रख सकता, जो गड़बड़ियां होती हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष--स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल-इस सेशन में लेना है तो समय बढ़ाइए नहीं तो आगे आने वाले सेशन के लिए रखें।

श्री उपाध्यक्ष-कार्य सलाहकार समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि बैठते हैं, उसके बाद में आप अपने दल में प्रतिनिधित्व नहीं रखते या आपको प्रतिनिधि नहीं बनाते तो उस बारे में आसन क्या कर सकता है?

दूसरा सवाल यह है कि प्रतिवेदन भी सदन के सामने आता है और सदन द्वारा स्वीकार किया जाता है। उसस्टेज पर भी माननीय सदस्यों ने कुछ नहीं कहा। अब आप चाहते हैं कि इसमें कुछ समय अधिक दिया जाय तो मेरी सहानुभूति है आपके साथ, समय अधिक मिलेगा, जितना चाहेंगे दे दिया जायगा। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया-बिल जो सरकार पास कराना चाहती है, उसको बाद में लिया जाय।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री श्रवण लाल--न मंत्री रहते हैं उस समय।

श्री उपाध्यक्ष-मंत्री रहेंगे, मंत्री उत्तर देंगे।

श्री रावतराम--दो दिन की डिबेट होनी चाहिये, इसलिए अगले अधिवेशन के लिए रखें।

श्री मदन सिंह-अधूरी चीज रह जाती तो . . .

श्री रावत राम-५ बजे के बाद मंत्री बैठेंगे नहीं या जोशीजी अकेले बैठेंगे,

श्री श्रवण लाल-जिनकी की कोई चलती नहीं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़)--अगर अनुसूचित जाति व जन जाति के बारे में सरकार की यही मन्शा है तो मैं समझता हूं कि हमेशा समय ऐसा तंग कर देते हैं . . .

श्री उपाध्क्ष—हमेशा तंग नहीं किया जाता है, दो दिन का समय दिया जाता है।

श्री हीरा भाई--हरिजनों के बारे में हमेशा ऐसी कठिनाई सामने आती है। समय का ख्याल नहीं रखा जाता है। हमेशा सरकार ख्याल नहीं रखती है। अगर आपकी मन्शा है तो अगले बार रख दिया जाय। न हम देख सकते हैं न सरकार जवाब दे सकती है . . .

श्री श्रवण लाल—आदिवासियों को आगे लाने के लिए कार्यक्रम सबसे पीछे रखा जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह-रिपोर्ट को पहले ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इसको अगले सत्र में लिया जाय तो मुझे आपत्ति नहीं। माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया—सरकार हमेशा हमारे सामने मजबूरियां पैदा करती हैं।

श्री उपाध्यक्ष--एक बात कहूं।

श्री जयनारायण सालोदिया—हमेशा दो दिन का समय मिलता था, अब आपने आधे दिन का समय दिया और सरकार हमें मजबूर करती है या तो करो डिस्कस दो घण्टे में नहींतो नेक्सट सेशन में लो। यह सरकार की हठधर्मी है, हमारे प्रति उदासीनता है। सरकार इसको ठीक समय में डिस्कस नहीं कराना चाहती।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.)—बिजनेश एडवाइजरी कमेटी में आपोजिशन के नेता जो होते हैं उनकी स्वीकृति ली जाती है। मैं सरकार के डिसीशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सरकार अपनी तरफ से कोई बात लेकर नहीं आती है कि क्या बिजनेस करवाना चाहती है। सरकार को स्वयं सोचना चाहिए था। जबकि दो दिन के लिए बहस होती थी और दूसरे सेशन में लिया जाता था तो यहां सोचते थे। माननीय सदयोंके ऐतराजों पर विचार नहीं होता है। इस तरह की बातें सरकार को स्वयं सोचनी चाहिए। नेता महोदय होते हैं, वे अल्पमत में होने के कारण कुछ नहीं कर सकते।

दूसरी बात, माननीय सदस्य चाहते हैं कि अगले सेशन में विचार हो। सबसे बड़ा देश में, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब का है। पिछड़े लोगों का मामला है। अगले सेशन में रखते हो . . .

श्री उपाध्यक्ष—विपक्ष के माननीय सदस्यों का ही सुझाव था।

श्री डूंगाराम राजोरिया—यह तो इसलिये कहना चाहते थे कि ढंग से नहीं लेना चाहो तो रिपोर्ट को हटा लो। गुस्से में आकार इस तरह की बात कही थी। आज न हो सके तो छः महीने बाद लें यह तो बड़ी देर होगी। हम लोगों को तो बारह बारह बजे तक रात्रि के बिठा देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—महत्वपूर्ण विषय पर १२ बजे तक भी बैठना पड़ जाता है।

श्री हीरामाई—आदिवासियों और हरिजनों के लिए तो पूरे २४ घण्टे हम से काम लिया जाए। इसके लिये दो दिन रखें नहीं तो हटा दें।

श्री लादूराम सुलानिया—कार्य सलाहकार समिति में यह बात आयी थी तो मैं निवेदन करूंगा कि यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण है और विधान सभा में इसीलिए रखी जाती है। दो दिन की डिबेट होना आवश्यक है। आज हरिजनों के प्रति भयंकर स्थिति चल रही है उस स्थिति में हाफ टाइम के लिए इस को लिया जाय यह उचित नहीं है। सरकार का जो यह व्यवहार है उसका मैं विरोध करूंगा। कम से कम इस पर दो दिन तो डिबेट रखनी चाहिये। ताकि सदस्य अपने विचार रख सकें और जो कमियां हैं वह आपकी मार्फत सदन में रखी जाय जो जनता तक पहुंचे और इसी दृष्टि से यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हाफ टाइम में एक दिन में दो बिल लेते हैं तो यह परम्परा के विपरीत है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य, लम्बा भाषण नहीं होगा। ये सब बातें आगयी हैं।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी सु.)—केवल दो दिन इसी पर विचार किया जाय।

Page No 66

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा है कि इसके लिये दो दिन रखे जाने चाहिए, तो मैं समझता हूं कि, अगले सेशन में इस रिपोर्ट को पूरे टाइम ले लिया जाय।

श्री हीराभाई—अभी आपको दो दिन रखने में क्या डर लग रहा है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हमने आज रखा है, दो दिन चाहते हैं तो....

श्री जयनारायण सालोदिया—इसी असेम्बली में दो दिन रखने में क्या आपत्ति आ रही है। दो दिन और अधिवेशन को बढाइये।

श्री लादूराम सुलानिया—दो रोज रखने में क्या आपत्ति है? दो दो महीने तक सैशन चलता है लेकिन अब की बार एक महीने और सात दिन ही चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—लम्बा भाषण नहीं होगा माननीय सदस्य। आर्डर।

श्री लादूराम सुलानिया—जोशीजी को आपत्ति हो सकती है। ये और इनके अधिकारियों ने पांच पांच सौ रुपये रिश्वत के लिए हैं।

राज्य मंत्री (श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)—I protest this and I challenge the Hon'ble member and I call upon him to substantiate his charge or to quite the membership of the House.

आप स्पैसिफिक चार्जेज लगायें वरना इनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया जायगा।

श्री लादूराम—आपको इस बात के लिए घमण्ड है तो आज ही जांच करायें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—स्पैसिफिक चार्जेज अभी ही लगाइये।

श्री उपाध्यक्ष—आप विशेषाधिकार का प्रस्ताव रख दीजिये,

श्री लादूराम सुलानिया—कमेटी बनायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—कमेटी बनी हुई है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—हिम्मत कीजिये।

श्री लादूराम सुलानिया—आप ईमानदार हैं तो मेरे साथ चले आइये....

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—You must give the facts here.

श्री लादूराम सुलानिया—आप इस बात का घमण्ड रखते हैं तो जांच करवा लीजिये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—मैं तैयार हूं आप प्रस्ताव कीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया—माननीय उपाध्यक्षजी,

श्री उपाध्यक्ष—श्री रावतराम।

श्री रावतराम—माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया कि इस रिपोर्ट को दो दिन के लिए अगले सैशन में रखा जाय। गवर्नमेंट दो दिन का समय रखना चाहती है लेकिन कहीं ऐसा न हो कि पांच दिन का सैशन बुलाया जाय और उस सैशन में न रखें। इसलिए पहले हाउस में कमिटमेन्ट ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—हाउस में कमिटमेन्ट है।

श्री रावतराम—हम इसके लिए सहमत हैं।

Page No 67

श्री उपाध्यक्ष—आप सहमत हैं और लोग भी हैं ?

श्री जयनारायण सालौदिया—हमारी बात सुनते नहीं। ओवरलोड हैं। जैसा मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया नेक्स्ट सेशन में दो दिन के लिए डिबेट रखना चाहते हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं आलरेडी कह चुका हूं कि दो दिन इसके लिए रखना चाहें हमें कतई ऐतराज नहीं है और हमारी तरफ से दो दिन के लिये कहा, उस पर हम कायम रहेंगे। बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में आपके अलग अलग प्रतिनिधि हैं पार्टीज के, आप उनको कह दें।

श्री जयनारायण सालौदिया—मुख्य मंत्रीजी का अगर मगर हो गया। यह साफ है कि यह दो दिन नहीं रखना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हम अपनी तरफ से दो दिन के लिए पहल करेंगे।

श्री रामकिशन—आज एक दिन डिबेट कर लें और दूसरे दिन अगले सेशन में रख ली जाय। वरना रिपोर्ट पुरानी हो जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि एक दिन आज बहस हो और उसका उत्तर छः महीने बाद दिया जाय यह तो ठीक नहीं है मैं समझता हूं कि अगले सत्र में रख दिया जाय। दो दिन दे दिये जावेंगे।

श्री जयनारायण सालौदिया—माननीय मुख्य मंत्रीजी से आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं। कि मुख्य मंत्रीजी इसको टालने की चेष्टा करेंगे तो नेक्स्ट सैशन में मजबूती से रखेंगे और हम उनको टालने नहीं देंगे। धीरे धीरे करके आप इसको टालना चाहते हैं। हम नहीं मानेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हम तो आज रात के १२ बजे तक के लिए बैठने की तैयारी करके आये हैं। दो दिन का सवाल है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है दो दिन चर्चा हो जाय तो ज्यादा अच्छा है। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि फिर उस हालत में हाउसिंग बोर्ड वाला और चिल्ड्रन्स बिल आज ही पास कर लिये जाय ताकि कल सिटिंग के लिए पूरा दिन दे दिया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह—मुख्य मंत्री जी के सुझाव से मैं सहमत नहीं हूं। आवासन बोर्ड बिल आज ले लिया जाय और सीलिंग के बिल को कल लिया जाय। उस पर मुझे भी काफी रखना है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—विरोधी दल के नेता महोदय, सीलिंग के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं चिल्ड्रन्स बिल और हाउसिंग बोर्ड बिल के लिए कह रहा हूं कि वे आज ही ले लिये जाय।

श्री केसरी सिंह—चिल्ड्रन्स बिल है उसमें अमेन्डमेन्ट सरकूलेट नहीं हुए हैं। ज्यादातर माननीय सदस्यों ने दे रखें हैं।

श्री उपाध्यक्ष—विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड, विधेयक, १६७० को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

विधेयक पर खण्डशः विचार।

Page No 68

श्री केसरी सिंह—ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर ! जनमत जानने के लिए माननीय यशवन्त सिंह जी नाहर का प्रस्ताव है ।

श्री उपाध्यक्ष—वह स्टेज चली गयी माननीय सदस्य ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर—आवाज दी जावेगी जब ही तो मैं बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—मंत्री महोदय संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री भीखाभाई (मंत्री स्वायत शासन विभाग)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खण्ड २ के (i) उप खण्ड (क) में विराम चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये:—

"और इस में स्कीम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित भूमि के विकास के लिये कोई स्कीम सम्मिलित है ।"

श्री रामकिशन—आपकी बात समझ में नहीं आती है मंत्री महोदय । ट्रान्सलेशन के लिये मंत्री और होना चाहिये ।

श्री भीखाभाई—मैं दुबारा निवेदन कर दूं ।

"और इस में स्कीम के प्रयोजनों लिए अपेक्षित भूमि के विकास के लिये कोई स्कीम सम्मिलित है ।"

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)—पाईन्ट आफ आर्डर सर । शायद मंत्री महोदय अपनी तरफ से कोई संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं । परसों यहां पर जो बात चीत हुई थी उसमें यह था कि गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर डिसकसन हुआ है उसके अधार पर अमेंडमेंट मूव किया जाये ताकि जो कन्ट्रोवरसी थी वह कम से कम हो । यदि गवर्नमेंट की तरफ से कोई संशोधन है तो वे वितरित किये जाने चाहिये, ताकि हम उनको देख कर के, विचार कर के उन पर अपना मत जाहिर कर सकें । केवल उनको जबानी बोल देने से हमको सन्तोष नहीं होगा जब तक पूरी तरह से हमको मालूम नहीं हो । यह मसला महत्वपूर्ण है इस लिए ये संशोधन वितरित किये जाने चाहिये । तब तक कुछ प्रस्ताव हैं, उन पर विचार कर लिये जाये ।....

श्री भीखाभाई—मैं यह निवेदन कर दूं कि जो डिसकसन यहां पर हुए हैं वे हम स्वीकार करते हैं तो इससे कान्सीक्यूत्सल अमेंडमेंट होंगे यह धारा और धारा ५ में किये गये हैं जो बातचीत हुई है उसके अनुसार कार्यवाही की गई है । माननीय सदस्यों को अमेंडमेंटस जो गवर्नमेंट की तरफ से किये जा रहे हैं, प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको वितरित नहीं किया गया है । ये कान्सीक्यूत्सल अमेंडमेंट हैं इसलिये इनमें कुछ देरी हो गई है । इस प्रकार से यह संशोधनों को वितरित करने की बात यहां पर है । जहां तक इन संशोधनों को वितरित करने की बात है इसकी कुछ प्रतियां मेरे पास हैं, वे अभी आपको वितरित कर देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल—यों तो पहले भी इस पर विचार हो गया था । केवल जनमत जानने और प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के कुछ प्रस्ताव थे : चूंकी खण्डशः विचार करने के लिये मंत्री महोदय ने खुद ने ही संशोधन वितरित नहीं किये हैं, तब इस स्टेज पर खण्डशः विचार कैसे हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—जब यह प्रस्ताव पास हो गया, विचारार्थ लिया गया, तो नेक्स्ट स्टेज कौनसी हो सकती है । नेक्स्ट स्टेज यही है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल—यदि तैयार नहीं हैं तो क्या हो ।

श्री उपाध्यक्ष—वे तैयार हैं ।

श्री भीखाभाई-इनके बारे में तैयार हूँ और तैयार होने के बाद....

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा)—यदि सरकार की ओर से इस बिल के ऊपर मूल संशोधन किये जा रहे हैं तो उनको वितरित किया जाना चाहिये। नहीं तो कैसे पता चलेगा। पिछली बार इस पर आपत्ति की गई थी और उसके कारण इस बिल को डेफर किया गया था और इस लिये इस बिल पर सरकार कोई संशोधन ला रही है तो वे संशोधन हम को मालूम होना चाहिये।

श्री केशरीसिंह हाड़ा—इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये ताकि सारे अमेंडमेंटस के ऊपर वहां पर विचार किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष-वह प्रस्ताव अस्वीकार कर कर दिया गया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर—इसको जनतम जानने के लिये परिचालित किया जाये, यह मेरा, प्रस्ताव हैं।

श्री उपाध्यक्ष—वह स्टेज निकल चुकी है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर—विधेयक को लेने के बाद यह आता है।

श्री उपाध्यक्ष—विचारार्थ लिया जाता है तब यह प्रस्ताव आता है। उस वक्त दो तरह के प्रस्ताव आते हैं....

श्री यशवन्तसिंह नाहर—यह मेरा प्रस्ताव था.......

श्री उपाध्यक्ष-विचारार्थ ले लिया गया। आर्डर माननीय सदस्य। कृपया शांति पूर्वक सुनिये जब विचारार्थ लेने का सवाल आता है, यह प्रस्ताव आता है, उस वक्त दो प्रस्ताव होते हैं, या तो इसको जनमत जानने हेतु परिचलित किया जाये या इसको किसी सिलेक्ट कमेटी को निर्दिष्ट किया जाये। इसके बाद में जब यह प्रस्ताव विचारार्थ ले लिया जाये स्वीकार हो जाता है तो ये प्रस्ताव स्वत: हो गिर जाते हैं। विचारार्थ लिये जाने का मतलब यह है कि दोनों प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये गये हैं और जब स्वीकार हो जाते हैं तो उस विधेयक पर खण्डश: विचार होता है। यही स्टेज है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर—पहले जनमत जानने वाले प्रस्ताव पर राय ली जानी चाहिये थी।

श्री उपाध्यक्ष-ली जानी चाहिये थी लेकिन विचारार्थ लिया जाये यह स्वीकार हो गया तो स्वत: ही वह प्रस्ताव गिर जाता है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर—मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, यह दोष मेरा नहीं है। मेरा वह प्रस्ताव आलरेडी सरक्यूलेट हुआ है जनमत जानने के लिये। इस पर मुझको बोलने का अधिकार है लेकिन जब आसन पैरों पर है तो कैसे मैं उसके बारे में कह सकता हूं। यह जो मेरा अधिकार है यह कैसे रहेगा, यह मैं नहीं समझपा रहा हूँ। आप द्वारा मेरा नाम लिया जाता तो मैं अवश्य ही खड़ा हो जाता परन्तु मेरा नाम लिया नहीं गया है। . .

श्री उपाध्यक्ष-माननीय सदस्य, प्रस्ताव पर डिसकसन हो चुका है। अब केवल मतदान के लिये रखा गया था, परिचालित करने के लिये नहीं और यह प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है। इस लिये आपका जो प्रस्ताव था वह स्वत: ही गिर गया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर-यह सरक्यूलेट हो गया है। यह कार्य सूची में है। मुझे कुछ विचार देने हैं, अगर आप उचित समझें...

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रस्ताव पहले गिर चुका है। इसलिये दुबारा इस सदन में देने का कोई प्रश्न नहीं रहता।

श्री यशवन्तसिंह नाहर—यह कार्य सूची में है। इसका मतलब तो यह हुआ कि जब आसन पैरों पर था उसके बीच में आपको इन्टरवीन करता। आसन पैरों पर खड़ा है तो कैसे कहता, यह बात समझ में नहीं आती।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रस्ताव जब मतदान के लिये रखा गया था तब रखना चाहिये था। जब प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है तो कोई प्रश्न नहीं रहता इसको लेने का आज केवल विचारार्थ लिया गया है और उस पर मतदान हुआ है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर—यह आज सरक्यूलेट हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष-जब पहले दिन ही गिर चुका तो सरक्यूलेट होने के कोई मायने नहीं। इसका कोई मतलब नहीं है। स्थिति यह है कि मतदान हो चुका।

श्री बृद्धिचन्द्र जैन-उपाध्यक्ष महोदय, यह गलती से सरक्यूलेट हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—हो गया तो हो गया, इसमें क्या बात है। जब पहले यह प्रस्ताव गिर चुका है तो यह प्रस्ताव कैसे दे रहे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर—मेरे अपने विचार मैं सदन में रख दूं।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें आप जो विचार देना चाहें वह खण्डशः विचार हो उस वक्त आप अपने विचार रख दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बांरा)—२४ घंटे का समय तो मिलना चाहिये। संशोधन आज ही सरक्यूलेट हो रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली)· कौनसा वक्त ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा—उपाध्यक्ष महोदय, सूची ७ जो सरक्यूलेट हुई है उसके अन्दर इनका नाम है श्री यशवन्तसिंह नाहर और इसमें मंत्री महोदय के जो संशोधन हैं, वे भी इसी सूची ७ में दर्ज हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य आपने जो संशोधन दिया था जनमत जानने हेतु दिया था वह स्टेज अब चली गई। क्योंकि विधेयक विचारार्थ ले लिया गया। अब आप संशोधन की बात उठाते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर जो वक्त चला गया उसके लिए मैं अब नहीं कहना चाहता। दफा २६ को जब डिसक्सन के लिए लिया जाय उस समय आप मुझे पांच मिनट बख्सा दें।

श्री उपाध्यक्ष - माननीय सदस्य इस बात पर ऐतराज कर रहे हैं कि उनको संशोधन समय पर सरकूलेट नहीं हुए इस पर ऐतराज है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब संशोधन को प्रस्तुत करें उससे पहले यह संशोधन क्यों आवश्यक हुआ इस बारे में सदन को समझा दें।

श्री केसरी सिंह हाडा—कार्य संचालन के नियमानुसार यह आवश्यक है कि जो भी संशोधन आयें उनको २४ घन्टे पहले परिचालित किया जाय इनको आल आफ ए सडन लेना अनुचित होगा। यह महत्वपूर्ण बिल है इसको जल्दी से पास नहीं किया जाना चाहिये। यह जो रवैया है वह घातक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल—अमेण्डमेंट्स सरकूलेट होने चाहिये।

श्री जयनारायण सालोदिया—संशोधन काफी पहले मिलना चाहिये। ताकि उस पर तैयार होकर आयें।

श्री कृष्णकुमार गोयल—मेरा व्यवस्था का सवाल है हमारे रूल्स आफ बिजिनेस के रूल ७१ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नोटिस आफ अमेण्डमेण्ट्स ...

श्री उपाध्यक्ष—यह मेरे ध्यान में भी है। इस पर कोई विवाद नहीं है। ऐसी परम्परा रही है छोटे मोटे जो संशोधन होते हैं वे सदन में भी लेते रहे हैं डिसक्सन के समय। यह बात महत्वपूर्ण है कि यह बिल बहुत अहमियत का बिल है इस पर काफी संशोधन आये हैं इसलिए मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि जब वे संशोधन प्रस्तुत करें उसके साथ उसकी व्यवस्था भी कर दें ताकि माननीय सदस्यों को सन्तोष हो जाय। इस बारे में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है वह ठीक है।

श्री भीखाभाई—आवासन बोर्ड के विषय में जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसको विचारार्थ लेने से पहले माननीय सदस्यों के आपत्ति उठाने पर उसको स्थगित किया गया और सभी दलों के सदस्यों को आमन्त्रित किया गया। चीफ व्हिप एवं लीडर आफ दी पार्टीज उसमें शामिल थे। उनसे बात चीत की। जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं ये सब उसमें उपस्थित थे जहां तक धारा ५ और २६ में संशोधन का सवाल है माननीय रामानन्दजी ने हिस्सा लिया है। इन धाराओं में जो परिवर्तन किया गया है उसी के फलस्वरूप संशोधन आये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल—आपने डिसकशन करके सन्तोषजनक अमेण्टमेण्ट दिये हैं तो उनको सरकुलेट किया जाना चाहिये था ताकि हमें पता चलता डिसक्सन के समय बहुत ज्यादा सदस्य उपस्थित नहीं थे मैं तो अवश्य था।

श्री उपाध्यक्ष—एक घण्टे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए उस समय में संशोधन प्रस्ताव पर माननीय सदस्य विचार कर लें।

श्री भीखाभाई—इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--आप भले ही आवश्यक नहीं समझें लेकिन मैं इसको आवश्यक समझता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन के बारे में सुझाव दिये हैं क्या वे उनके अनुसार हैं भी या नहीं इसको देखना जरूरी है। अतः मैं सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर १.३५ बजे एक घण्टे के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित हुई)

सदन की कार्यवाही पुनः २.४३ म. प. पर प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष--राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक, १९७०।

खण्ड २

मंत्री महोदय, संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

मत्री, स्वायत्त शासन (श्री भीखाभाई)-उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड २ के उप खण्ड (१०) में, विराम चिन्ह के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये।

"और इसमें स्कीम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित भूमि के विकास के लिए कोई स्कीम सम्मिलित है;"

श्री यशवन्तसिंह नाहर—इस पर मेरा एक संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष—खण्ड २ पर विचार हो रहा है।

Page No 72

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २ पर जो संशोधन मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २ संशोधन सहित स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड २ संशोधन सहित स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड ३

प्रश्न यह है खण्ड ३ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड ३ स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड ४

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल—उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड ४ में मेरा संशोधन है कि "Sub Clause (3) be deleted" सब क्लाज (३) को निकाल दिया जाय। सब क्लाज (३) यह है "इस अधिनियम तथा राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, १९५३ (राजस्थान अधिनियम २४ सन् १९५३) के प्रयोजनों के लिये बोर्ड एक स्थानीय प्राधिकरण समझा जायगा।"

इस धारा के तहत जो हाउसिंग बोर्ड होगा उसको एक लोकल आथोरिटी के रूप में स्वीकार करने की बात है। मैं समझता हूं लोकल आथोरिटी म्यूनिसिपल बोर्ड, यू० आई० टी० और पंचायतें ये पहले ही हर क्षेत्र में मौजूद हैं। जिस तरह की हाउसिंग बोर्ड की एक्टीविटी होंगी वे एक्टीविटीज केवल मकानात बनाने के लिए होंगी और जो म्यूनिसिपल फंक्शन्स हैं और विकास के फन्क्शन्स हैं उस क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में हैं, वह म्यूनिसिपल बोर्ड और यू० आई० टी० बराबर करते रहेंगे इसलिए लोकल आथोरिटी के स्वरूप यह बोर्ड भी स्वीकार किया जाय उसकी मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता इसलिए इसको विलोप करने के लिए यह संशोधन रखा है।

श्री भीखाभाई—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है इसलिए कि जब तक लोकल आथोरिटी नहीं बनायी जावेगी म्यूनिसिपेलिटी और दूसरी इन्स्टीट्यूट्स में सुविधा प्राप्त नहीं होगी। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल-उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरा संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है और जो उसको वापिस लेना चाहते हैं क्या उनको इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री रामानन्द अग्रवाल—मैं मेरा संशोधन वापिस लेता हूं।

Page No 73

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ४ स्वीकृत किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड ४ स्वीकार किया गया ।

(विराम)

खण्ड ५

श्री भीखाभाई : खण्ड ५ के उप खण्ड (१) (ङ) में शब्द "चार" के स्थान पर शब्द "छः" प्रतिस्थापित किया जाय और अभिव्यक्ति "जिनमें से एक राजस्थान सहकारी आवासन वित्त संस्था का अध्यक्ष या उस संस्था द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई निदेशक होगा यदि आवासन बोर्ड का अध्यक्ष संस्था का भी अध्यक्ष हो" विलोपित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल. उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्लाज ५ को इसमें से हटा कर अपनी तरफ से दूसरी क्लाज तजवीज की है जो इन शब्दों में है ।

"This clause be substituted by the following—

5. Constitution of the Board—

(1) The Board shall consist of five official and six non-official members including the Chairman.

(2) The following shall be the ex-officio, official member of the Board—

(a) Financial Commissioner, Govt. of Rajasthan.

(b) Chief Town Planner and Architectural Advisor, Govt. of Rajasthan.

(c) Director,Social welfare Department, Govt. of Rajasthan.

(d) Labour commissoner,Govt. of Rajasthan, and

(e) Housing Commissioner of the Board.

(3) Six non-official members to be elected by the State Assembly through the system of proportional represetation.

Provided that one of the members shall belong to scheduled castes or scheduled tribes and another member shall be a women.

(4) The Chairman shall be elected from amongst the non-official members by the members themselves in accordance with rules as prescribed.

(5) The name of the Chairman and other members of the Board so appointed and elected shall be publised in the official gazette.

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन इस क्लाज में मैंने रखा है इसमें मुख्य सिद्धान्त की तीन बातें हैं । एक बात तो यह है कि इसमें जो नौन-ओफिशियल मेम्बर हैं, बजाय इसके कि सरकार उनको नामजद करे मैंने उनको असेम्बली द्वारा चुना जाना इसके अन्दर निर्धारित किया है ताकि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जनता का सही प्रतिनिधित्व कर सकें और जनता के विभिन्न तबकों की आवाज उसमें पहुंच सके। प्रिफरेन्शियल रिप्रेजेन्टेशन से चुनाव हो जांय तो सब तबके के मेजोरिटी और माइनोरिटी के उसमें हो सकते हैं। मेजोरिटी नौन आफिशियल की रही इसलिए इस दृष्टि से ११ मेम्बर रहते हैं। तीसरी बात यह है कि श्रोफिशियल मेम्बर्स में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के सैक्रेटरी को मैंने इसमें से निकाल दिया है क्योंकि टाउन प्लानर्स इसमें हैं तो वे काफी हैं। सोशल वैलफेयर डाइरेक्टर और लेबर कमिश्नर मैंने श्रोफिशियल की लिस्ट में रखा है क्योंकि जो परपज इस बिल का है, जिन सेक्शन्स के लिए काम करना है, बैकवर्ड और वीकर सेक्शन जो शिड्यूल्ड कास्ट शिडयूल्ड ट्राइब्स हैं उनके हितों की सरकारी तौर से देख भाल हो सके इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सौशियल वैलफेयर विभाग के डाइरेक्टर को इसलिये लिखा है। इसी प्रकार वीकर सेक्शन के लिये जो कि लेबर सैक्शन है लेबर कमिश्नर का इसमें समादेश किया है। नौन-श्रोफिशियल मेम्बर हैं उसमें शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एक आवश्यक रूप से मेम्बर होना चाहिये। छः सीटों में से एक शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइबस् और एक महिला का होना इसमें जरूरी है। चुने हुये पर जिम्मेदारी डाली है। उसमें एक महिला का होना आवश्यक है।

तो यह मैंने इसके अन्दर समावेश किया है, जो ओरिजनल क्लास है उसके अन्दर कुछ अनावश्यक बातें दीं। उनको मैंने निकाल दिया है मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने संशोधन रखे हैं, उसमें नान-आफिशियल्स की संख्या ६ कर के उस हद तक मेरी बात को स्वीकार किया है परन्तु उसमें शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स या महिलाओं बारे में, इसको इसके अन्दर स्वीकार नहीं किया है। इसलिए मैं इस अमेंडमेंट के द्वारा इस बात को मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री केसरीसिंह हाड़ा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिंडोली)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा उप खण्ड (१) में प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द राज्य सरकार द्वारा हटाकर, "गैर सरकारी सदस्यों अपने में से ही निर्वाचित प्रतिस्थापित किए जायें"

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने अनेकों बोर्ड्स का निर्माण किया है जिस प्रकार खादी बोर्ड, होटल कारपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इत्यादि इत्यादि। इनमें से आज अनेक चुनाव में हारे हुए व्यक्तियों को मौका दिया गया है ताकि वे इसमें आकर अपना कुछ कार्य कर सकें। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रजातंत्र के अन्दर जब चुनाव को महत्व दिया जाता है तो यह मनोनीत करना कमजोरी का द्योतक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस प्रणाली को बदल कर, जो उसने ४ नियुक्त करने का रखा था, उसके स्थान पर उसको ६ कर दिया है, उन ६ व्यक्तियों में से, किसी एक को अध्यक्ष चुनने का मौका उन्हें दिया जाय। यदि आप यह करते हैं तो भविष्य के लिए एक अच्छी प्रणाली और परम्परा आप कायम करेंगे। इस विषय में मुझे इतना ही निवेदन करता है और मैं अपना यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री वृद्धि चन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन—उपाध्यक्ष महोदय खण्ड ५ में मेरे संशोधन इस प्रकार हैः—

उप खण्ड (१):

(I) भाग (ख) विलोपित किया जाय;

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(II) भाग (ग), (घ) व (ङ) क्रमानुसार भाग (ख), (ग) व (घ) पढे जायं;

(III) पुनः संख्यांकित भाग (घ) में—

(क) प्रयुक्त शब्द "चार गैर सरकारी सदस्य", शब्द "छः गैर सरकारी सदस्य" द्वारा प्रतिस्थापित किए जायं; तथा

(ख) प्रयुक्त शब्द "जिनमें से एक राजस्थान सहकारी आवासन वित्त संस्था का अध्यक्ष या उस संस्था द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई निदेशक होगा यदि आवासन बोर्ड का अध्यक्ष संस्था का भी अध्यक्ष है" विलोपित किये जायं।

(IV) पुनः संख्याङ्कित भाग (घ) के अन्त में प्रयुक्त विराम चिन्ह "।" विराम ":" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय एवं इस पुनः संख्याङ्कित भाग (घ) के पश्चात् निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाय :—

"परन्तु शर्त यह है कि उनमें से एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो।"

उपाध्यक्ष महोदय मैंने जो संशोधन रखा है उसमें एक यह जो अमेंडमेंट मंत्री महोदय ने अभी रखा है ४ के स्थान पर ६ नान-ओफिशिअल मेम्बरस् का। उन्होंने इस प्रकार मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लिया है।

दूसरा यह है 'एक राजस्थान सहकारी आवासन वित्त संस्था का अध्यक्ष या उस संस्था द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई निदेशक होगा यदि आवासन बोर्ड का अध्यक्ष संस्था का भी अध्यक्ष है, विलोपित किए जायं। यह भी मान्य कर लिया गया है।

अब दूसरा जो मेरा अमेंडमेंट है, और जो मंत्री महोदय ने पेश किया है। उसमें एक तो यह है कि उप-खण्ड (१) के भाग (ख) को विलोपित किया जाये। थोड़ा ध्यान दें मंत्री महोदय, यह महत्वपूर्ण है। शासन सचिव नगर आयोजना विभाग जो इस खण्ड में कहा गया है उसको इस खण्ड से विलोपित कर दिया जाना चाहिये क्योंकि हमने नगर आयोजना विभाग के वास्तु सलाहकार को सदस्य बना लिया है। इसलिए इन दोनों में से एक का रहना आवश्यक है। दोनों का रहना कोई आवश्यक नहीं है वास्तु सलाहकार इस की पूर्ति कर देंगे इसलिए शासन सचिव की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए इसको डिलीट करने का मैंने निवेदन किया है और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसको स्वीकार करेंगे।

दूसरा मैंने इसमें प्राविजन किया है कि जो ६ नान आफिशियल मेम्बर है उनमें से एक अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ६ मेम्बर्स आप नामीनेट करेंगे उनमें एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मेम्बर होना चाहिये। इसमें मेरा उद्देश्य यह है कि यहां पर यह जो बिल प्रस्तुत किया है, विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसको बनाने में राज्य सरकार की ओर 'हमारी मंशा यह है कि यह वीकर सेक्शन के लिए, उसके लाभ के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। इसलिए एक सदस्य उसमें इनका लिया जाना आवश्यक है। यह मेरा निवेदन है। इसलिए यह अमेंडमेंट आवश्यक है। अ.शा है मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी :

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो नॉन–ऑफिशियल मेम्बर्स के लिए अमेंडमेंट था उसको मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है। दूसरा जो अमेंडमेंट है "भाग 'ख' विलोपित किया जाय" उसमें सेक्रेटरी टाउन प्लानिंग को डिलीट करने के बारे में था। चूंकि टाउन प्लानर को इसमें ले लिया गया है तो सेक्रेटरी टाउन प्लानिंग को रखना मैं उपयुक्त नहीं समझता हूं। मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे और सेक्रेटरी टाउन प्लानिंग को इस बोर्ड से हटा देंगे। यही मेरा अमेंडमेंट था।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री भीखाभाई (मंत्री स्वायत शासन-विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा है, कि जो गैर सरकारी सदस्य बोर्ड के हों उनका चुनाव हमारे सदन के सदस्यों द्वारा होना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कुछ गरिमा है, परम्पराएं हैं और इन तमाम बातों देखने के बावजूद उपाध्यक्ष मैं इस संशोधन को इसलिये स्वीकार नहीं कर सकता, कि क्योंकि जो हाऊसिंग बोर्ड का निर्माण होगा, उसके अन्दर जिस प्रकार की यहां पर चर्चा हुई है, उसको उसमें स्थान दिया गया है। इसके अलावा यह भी यहां पर कहा गया है कि इसमें लेबर के आदमी हों, महिला होनी चाहिये। इस प्रकार की यहां पर चर्चा हुई है। इसको ध्यान में रखा जायेगा लेकिन यह भी यहां पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह सम्भव नहीं है स्वीकार करना। राजस्थान में इसके पहले भी अन्य बोर्ड का निर्माण हुआ है और दूसरे प्रान्तों में भी इस प्रकार के बोर्डों का निर्माण किया गया है महाराष्ट्र, मैसूर वहां भी इस प्रकार के बोर्डस् का निर्माण किया गया है। इस बोर्ड के बनाने के पीछे यह उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू हो। इस दृष्टि से बोर्ड का निर्माण किया गया जा रहा है। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

दूसरा यह सुझाव था कि ११ मेम्बर इसमें जोड़े जायें। इसमें हमारे माननीय सदस्यों की यह राय थी कि सब जगहों पर नान ओफिशियल मेम्बर्स की ओवर वेल्मिंग मेजोरिटी होनी चाहिये, नहीं हो तो मेजोरिटी तो होनी चाहिये। इस दृष्टि से, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें ६ नान-ओफिशियल्स मेम्बर कर दिये गये हैं मैं समझता हूं कि कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामानन्द जी ने इस पर सहमति प्रकट की है इस लिये इस संशोधन को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा यह कहा गया है कि सेकेट्री के साथ साथ जब टाऊन प्लानर को रखा गया है तो बोर्ड में सेकेट्री की कोई यूटिलिटी नहीं होगी। बिल में दोनों के रखने की बात है, यह है। यह भी कहा गया है कि दोनों के फंक्शन एक हैं। परन्तु मुझे यह निवेदन करना है कि दोनों के फंक्शन एक नहीं है। चीफ टाऊन प्लानर, राजस्थान की जितनी भी यू आई टीज है उसके वे सदस्य हैं पदेन सदस्य हैं। इसके साथ ही साथ सारी योजनाओं की, जितनी भी योजनाएं होंगी उनका निर्माण चाहे डिप्टी टाऊन प्लानर करे, उसकी अनुमति और उसकी सहमति बिना उनके देखे नहीं दी जाती है। इसलिये यह जितनी भी योजनाएं हैं उनमें टाऊन प्लानर सहमति होना आवश्यक है। इसलिये यह जो बोर्ड बनाया गया है उसमें उनका रहना भी आवश्यक है। रहा सवाल सेक्रेटरी का। यह कहा गया है कि इनको सदस्य नहीं रखा जाये किन्तु इनका रहना भी आवश्यक है। यह इसलियें जरूरी है कि अरबन एरियाज की योजनएं बनाई जायेंगी, म्युनिसिपलिटीज और यू आई टीज को भूमि लेने की आवश्यकता पड़ेगी। भूमि लेनी पड़ेगी और उस पर गृह निर्माण की योजनाएं बनाई

Page No 77

(श्री भीखा भाई)
जायेंगी ये जो योजनाएं बनाईजायेंगी उसका कोआर्डिनेशन करने की आवश्यकता है। इसलिये इसमें हमें सचिव की आवश्यकता रहेगी। अगर टाउन प्लानिंग सेक्रेटरी हाऊसिंग बोर्ड का सदस्य रहता है तो इसमें सहूलियत रहेगी सेकेटरियेट लेविल पर। कोआर्डिनेशन म्युनिसिपेलिटीज, यू आई टीज और हाऊसिंग बोर्ड में रह सकेगा इसलिये सेक्रेटरी के रहने से एक सहूलियत रहेगी इसलिये कोआर्डिनेशन, समन्वय की दृष्टि से उनका रहना आवश्यक है।

इसलिये समन्वय की दृष्टि से इसका रहना आवश्यक होगा। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का प्रतिनिधि रखने के संबन्ध में मैं निवेदन करूं इस इस बारे में इस समय कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता इसमें ६ गैर सदस्य हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को हम शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज रखने पर विचार कर सकते हैं, इस प्रकारसे लेबर के बारे में भी विचार किया जा सकता है। इस वक्त में इस संशोधन को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

वृद्धिचन्द जैन : विचार की आवश्यकता है अगर रखना है तो रख लीजिये। अभी अमेण्डमेण्ट रख दीजिये।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अभी अमेण्डमेण्ट लाकर रख दीजिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इस बारे में विचार कर रखने की क्या आवत डालते हो जो रखना है, वह रख दीजिये।

श्री भीखाभाई : जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के सदस्य को रखने का प्रश्न है यह आवश्यक नहीं है कि इसको यहां पर स्पेसिफाई किया जाय। यू. आई टी. के कानून में इस प्रकार का प्रावधान नहीं होते हुए भी हमने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के सदस्य को रखा है। इस लिये यहां पर स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्यों के सुझाव पर ध्यान दिया जायगा।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : ध्यान क्या दिया जाया इसको मानो और एक प्रतिनिधि रखना ही पड़ेगा।

श्री रामकिशन (बैर) : यह सरकार का दृष्टिकोण, कि जरूरी समझेगी तो सरकार रखेगी, गलत है। कानून में प्रावधान होना चाहिये शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का आदमी होना चाहिये। मैं मंत्री जी को इस पर पुनः विचार का निवेदन करूंगा। केवल एक सदस्य की बात है। आप सर्विसेज में २८ परसेन्ट रखने जा रहे हैं तो होना इनका बहुमत चाहिये लेकिन कम से कम एक तो सदस्य रखियें। यह मंत्री की खुशामद पर मामला नहीं छोड़ा जाना चाहिये।

श्री बृद्धिचन्द जैन : जितने भी आपके निगम हैं राजस्थान रोड़वेज हो चाहे इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड किसी में भी डाइरेक्टर अनुसुचित जाति या जन-जाति का नहीं है। यह जो बिल लाया गया है खास तौर से वीकर सेक्सन के लिये है इसलिये इसमें रखना बहुत जरूरी है। इसलिये मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री मदनसिंह : २८ में जो नियम है उसके अनुसार एक सदस्य को ले लेते हैं तो इसमें हर्ज क्या है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यहां पर इस बारे में विवाद भी हुआ था कि आप इसमें अनुसूचित जाति या जन जाति के सदस्य को रखेंगे या नहीं। आपने जो इसके लिये संशोधन दिया है वह भी पंगु दिया है इससे यह समस्या हल होने वाली नहीं। आप कहते हैं कि हमने यू. आई. टी. में सब जगह रखा है कहां रखा है आप बतलाइये कितने लोगों को रखा है। आप जब रखना मानते हैं तो उसको अमेण्डमेण्ट द्वारा क्लीअर क्यों नहीं करते। आप यह रखिये कि इसमें अनुसूचित जाति एवं जन

Page No 78

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जाति के सदस्य को रखना अनिवार्य होगा। उसके बाद भी आप ही के हाथ में रहेगा आप चाहेंगे उसी को रखेंगे।

श्री लादूराम सुलाणिया: हमारा यह कहना है कि अमेण्डमेण्ट द्वारा ही यह होना चाहिये इसमें अनुसूचित एवं जन जाति के सदस्य को रखा जायगा। मंत्री मंडल में भी दो सदस्य रखे हैं। श्री भीखाभाई और श्री अमृतलाल यादव इन्होंने बीस साल से कब्जा कर रखा है किसी अन्य व्यक्ति को उठने नहीं दिया। आज तक इनकी यह नीयत रही है कि हरिजनों को अधिकार दिलाने के बजाय खुद खा गये हैं। आप अभी तक यही कहते हैं कि विचारेंगे आखिर आप कितने प्रतिनिधि के रूप में बैठे हो क्या आप हमारे अधिकारों की इसी तरह से सुरक्षा करते हो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मदनसिंह : एक सुझाव है इसको मान लेना चाहिये।

श्री नाथूराम : आपको मानने में ऐतराज क्या है? अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्ति को रखने में ऐतराज क्या है?

श्री लादूराम सुलानिया : गवर्नमेंट को तो ऐतराज नहीं है लेकिन माननीय सदस्य नहीं चाहते ये देखते हैं कि कहीं इनके अधिकार न छिन जायें। इसलिये दुम भींचते फिरते हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि यू. आई. टी में हमने अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को रखा है कहां रखा है जोधपुर में रखा है जयपुर में रखा है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि केवल मेम्बर ही नहीं चेयरमैन शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का रखना चाहिये।

श्री लादूराम सुलानिया : आप पहले हमारे हमारे विचार सुन लें आपने किसी यू. आई. टी. में शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के सदस्य को लिया है क्या?

श्री भीखाभाई : लिया है फतेहपुर में लिया, चित्तौड़ में लिया है।

श्री लादूराम सुलानिया : पूरे राजस्थान में एक भी नहीं लिया है।

श्री भीखाभाई: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की व्यग्रता को देखते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब रूल्स बनायेंगे उस वक्त यह ध्यान में रखा जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : रूल्स की बात नहीं है। आप हमारे प्रतिनिधि होते हुए आप को यह कहते हुए शर्म आती है कि हम अभी अमेण्डमेण्ट कर देते हैं। आपको डूब मरना चाहियें। हमारे प्रतिनिधि के रूप में बैठ कर भी आप हमारे हितों की रक्षा नहीं करते हो।

(श्री लादूराम सुलानिया, डूंगाराम राजोरिया साथ बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने यह क्या तमाशा बना रखा है हमारे प्रतिनिधि होकर आप स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, एक सदस्य शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज में से किसी में से एक सदस्य रखा जायगा इस बात का मैं आश्वासन देता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप इस धारा में अमेण्डमेण्ट लाइये।

श्री उपाध्यक्ष : श्रासन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें। इसको डेफर किये देते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आश्वासन कोई माने नहीं रखता हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस धारा में अमेन्डमेंट लायें ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप हमारे प्रतिनिधित्व की रक्षा नहीं करते हैं....

(श्री उपाध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के बावजूद भी बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय हां कर लेना चाहिये उनको।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपको रोटियां हमारी तरफ से.... (अश्रव्य)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर गुल, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसको पोस्टपोन कर दिया है। माननीय सदस्य इसको पोस्टपोन कर दिया है...

श्री जयनारायण सालोदिया : हमारी जेब काटते हो, आपको शरम आनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। इसको पोस्टपोन कर दिया है। खण्ड ६ श्री रामानन्द जी संशोधन मूव करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय क्लाज ६ के साथ क्लाज ५ जुड़ा हुआ है....

श्री लादूराम मुलानियां : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर .. उपाध्यक्ष महोदय मेरी व्यवस्था का सवाल यह है कि माननीय मंत्री जी ने अभी जोश में आकर यह आश्वासन दे डाला इसमें एक हरिजन मतलब एक शिड्यूल्ड कास्ट और एक शिड्यूल्ड ट्राइब्स . . .

श्री गिरधारी लाल व्यास : दोनों में से एक।

श्री भीखाभाई : दोनों में से एक है। दोनों नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस आश्वासन की एक कोड़ी की कीमत नहीं है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : आश्वासन की कोई कीमत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड को डेफर कर दिया गया। माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

डेफर कर दिया गया माननीय सदस्य।

श्री जयनारायण सालोदिया : हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में बैठें हो, मंत्री बने बैठे हो। हमारे प्रतिनिधि के रूप में बैठे हो नहीं तो आपको चपरासी की जगह कोई नियुक्त नहीं करें। ये दोनों मंत्री और उप मंत्री अनुसूचित जाति के होते हुए भी नहीं कर सकते हैं तो बाकी के लोग क्या अनुसरण करेंगे। आप स्तीफा दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं और क्या करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसको पोस्टपोन कर दिया। इसका मतलब है . .

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय में एक निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थिति को समझिये . . .

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न अधूरा रह गया।

श्री उपाध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वे अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं तो मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते हैं कि एक सदस्य रख दिया जाय कानूनी रूप से करना पड़ता है। पोस्टपोन का मतलब यह नहीं है कि अगले सत्र में जायगा। दूसरे खण्ड पारित हो जाते हैं इसके बाद इन पर विचार कर लिया जायगा। नियमों के अनुसार चलिये। माननीय रामानन्द जी खण्ड ६ का संशोधन प्रस्ताव रखें।

खण्ड ६

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड ६ कान्सिक्युन्सियल है। यदि खण्ड ५ का संशोधन मंजूर हो जाय तो . . .

श्री उपाध्यक्ष : इसको पोस्टपोन किया गया। खण्ड ७। श्री रामानन्दजी।

खण्ड ७

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय खण्ड ७ में जो इस बोर्ड के सदस्य बनने वाले है, उनकी अयोग्यता के सम्बन्ध में है। इसमें पांच अयोग्यताएं दी हुई है। मैंने इसमें कुछ अयोग्यताएं और जोड़ी हैं। चार और जोड़ी हैं वे इस प्रकार हैं :—

In sub clause (i) after part (f) add the following :—

"after deleting 'or' at the end of part (e) substituting by ';'

(g) deals in purchase, sale, exchange mortgage or lease of immovable property;"

ऐसे व्यक्ति जो खरीद फरोक्त प्रापर्टी की करते हैं वे इसके सदस्य नहीं बन सके। नं० २—(h) Owns in the state of Rajasthan in his own name or in the name of any of the members of his joint family immovable property valued at more than one lac rupees;

उसके पास या उसके परिवार के पास मिलाकर एक लाख रूपये से ज्यादा अचल सम्पत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह बोर्ड गरीब लोगों के लिये है। बहुत बड़ी सम्पत्ति वाले बोर्ड के मेम्बर न बने वरना गरीब लोगों के प्रति न्याय नहीं हो सकता है ; नं० ३-

(i) has been convicted for evasion of incometax, sales tax or other taxes levied by the Central or State Government or a local authority, or

जो टैक्स चोर हैं उन पर कोई डिसक्वालिफिकेशन नहीं लगाई है। इसलिये इसमें कई असामाजिक तत्व है। इनको भी नहीं आने देना चाहिये। नं० ४-

(J) has indulged in corrupt or evil practices during an election and a verdict of competent court

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

has been pronounced to that effect.

जो या तो भ्रष्टाचार के तरीके अपनाते हैं या इविल प्रेक्टिस अपनाते हैं जिसके बारे में अदालत में फैसला हो गया है, जो अदालतों में रिट पिटिशन हुई है उसमें इलेक्शन को वाइड तो नहीं किया है जैसे सुखाड़िया साहब के खिलाफ या नाथूराम जी के खिलाफ या भीलवाड़ा में उमरावसिंह जी की पीटिशन में । इन तीनों के अन्दर कोर्ट ने यह होल्ड किया है कि इविल प्रेक्टिस तो की है लेकिन इविल प्रेक्टिस की वजह से इलेक्शन को वाइड तो नहीं कर सकते क्यों कि इलेक्शन कोड में करप्ट प्रेक्टिस की वजह से हो सकता है । इस लिये मेरे संशोधन के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय . . .

(माननीय सदस्य श्री यशवन्तसिंह नाहर के व्यवधान पर, अश्रव्य)

. . .ऐसे तमाम व्यक्ति जिनके खिलाफ हाई कोर्ट ने डिसिजन दिया है कि इन्होंने इलेक्शन में इविल प्रेक्टिस की है जैसे सुखाड़िया साहब, नाथूरामजी साब या जैसे माननीय सदस्य या इरिगेशन मिनिष्टर-इनके बारे में जो अयोग्यता का फैसला दिया है, ये लोग बोर्ड के मेम्बर नहीं बन सकेंगे ।

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई हारा हुआ मंत्री भी नहीं बन सकेंगे ।

श्री श्रवणलाल : चोर चोर मौसेरे भाई ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अपने को ईमानदार होने का दावा मत कीजिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (ii) in sub clause (1) part (f) delete the words which has any share or intreest in any contract or employment with, by, or on behalf on the Board appearing at the end and substitute having subscribed share capital or more than 10 lac rupees.

यानि ऐसी कोई कम्पनी का डायरेक्टर या ऐसी कोई कम्पनी का एम्पलाई जिसकी शेयर केपिटल १० लाख है वह भी इस बोर्ड का मेम्बर नहीं होना चाहिये वरना गरीब लोगों को निहाल नहीं करेंगे नं० ५

(iii) in sub clause (2) delete part (iii) and (iv)

इसमें यह रखा है न्यूज पेपर Any newspaper in which any advertisment relating to the affairs of the Board is inserted;

ऐसे अखबार जिनको गवर्नमेंट या किसी कम्पनी की तरफ से ऐडवरटाइजमेंट मिलता है वे इनके मेम्बर बन सकेंगे, उनको एग्जेम्प्ट किया है । मैं समझता हूं कि इनको एग्जेम्शन नहीं मिलनी चाहिये क्योंकि जिस कम्पनी वगैरह से एडवरटाइजमेंट लेते है- एडवर टाइजमेंट अखबारों पर असर डालता है उन पर प्रभाव डालता है और अखबारों की पालिसी बड़े बड़े मोनोपोलिस्ट अखबारों की नीति पर कन्ट्रोल करते हैं इसलिये जो अखबार किसी पर्टीक्यूलर कम्पनी से एडवरटाजमेंट लेते हैं उनको हम बोर्ड के मेम्बर बनने की छूट दे दें तो उसका मतलब उन कम्पनी पर असर आयेगा । इसी तरह-

Occasional sale to the Board upto a value not exceeding two thousand rupees in any one year of any article in which he or the incorporated company regularly trades.

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मैंने इसको भी निकालने को कहा है । बोर्ड के साथ कोई व्यापार करे वह मेम्बर नहीं बन सकता है । जो खरीद फरोख्त करता है, बोर्ड के वे मेम्बर नहीं बनने चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये जो अयोग्यता का खण्ड है, मैं समझता हूं ये जो मेरे संशोधन हैं इनको सदन को एक मत से स्वीकार करना चाहिये तभी हम इस बोर्ड को वास्तव में उन तबकों के हितों का बोर्ड बना सकेंगे जिस उद्देश्य के लिये हम यह बोर्ड बना रहे हैं । और उन असामाजिक तत्वों को जिनको अभी तक रिकोग्नाइज नहीं किया गया है जो असामाजिक कार्यवाही कर रहे हैं, समाज के ऊपर कलंक हैं लेकिन फिर भी उनको अभी तक अयोग्य नहीं माना जा रहा है एक गरीब आदमी, दीवालिया आदमी केवल इस वजह से कि वह कर्जा नहीं दे सकता वह अयोग्य है लेकिन जो टैक्स की चोरी करे वह अयोग्य नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि ये लोग जो सारी गड़बड़ियां करते हैं उनको अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए और वह इस बोर्ड के डाइरेक्टर्स नहीं बनने चाहिए ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने हाईकोर्ट के जजमेन्ट का हवाला दिया है या तो माननीय सदस्य ने वह जजमेन्ट नहीं पढ़ा . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : पढ़ा है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : नहीं पढ़ा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय मैंने पढ़ा है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इविल प्रेक्टिसेस का शब्द है ही नहीं मेरे जजमेंट में । माननीय सदस्य अपने गिरेबान में देखकर फिर बात करें । दूसरों को चार्ज करना कोई सहज बात नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर ने मीटिंग की अध्यक्षता की और उसकी फोटो पेश किये हैं । अदालत ने इस बात को स्वीकार किया है और....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप बोलिये ही नहीं । पहले बोल चुके हैं अब मैं बोलूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपने यह चार्ज लगाया कि इविल प्रेक्टिस एडाप्ट की गयी । तो इविल प्रेक्टिसेस का चार्ज इलेक्शन पिटीशन में नहीं है । इलेक्शन पीटीशन को शुरू से आखिर तक पढ़ जाइये आप अपने आपको बहुत बड़ा अभिमानी मत मानिये । दूसरों के भी सम्मान की कीमत है । एक शब्द मेरी इलेक्शन पीटीशन में नहीं कहा गया है कि कोई इविल प्रेक्टिस हुई है लेकिन जिस बात का हवाला माननीय सदस्य देना चाहते हैं वह मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल इतना कहा था कि इन बयानों को सही नहीं मानते । आज भी वह मेरे पास है जो अभी तो पढ़कर नहीं सुना सकता लेकिन यहां तो हालत यह है कि सब अपने अभिमान को ऊंचा उछालने की कोशिश करते हैं । अपने गिरेबान को देखें तो मालूम होगा कि आप कहां खड़े हैं . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने तो सिद्धांत के कुछ अमेन्डमेंट्स रखे हैं आप इनसे एग्री करते हैं या नहीं मुख्य बात तो यह है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय मन्त्री महोदय, जवाब दें । माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मैं माननीय सदस्य को चेलेन्ज देता हूं आपके पास कापी है तो पढ़कर बता दें । आप बड़े अपने अभिमान की बात करते हैं ।

श्री रामसिंह कुड़ी (जापल) : उपाध्यक्ष महोदय, वह काफी आपके आफिस में आई है। यहां झगड़ा हो रहा है।

श्री मदन सिंह : यह एक्सपन्ज हो जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, उत्तर दें।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखें हैं वह मुझे कतई स्वीकार नहीं हैं और वे इसलिए स्वीकार नहीं हैं कि उन्होंने बड़े वेग और एम्बीगुअस और इस प्रकार के जैसे प्रत्येक आदमी कुसूरवार है, दोषी है, पाप से भरा पड़ा है, उस प्रकार की कल्पना करते हुए जो संकेत इन संशोधनों के द्वारा किया है उनको मैं इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता।

'deals in purchase, sales, exchange mortgage or lease of immovable property...."

और उसके साथ में लिखा है एक लाख या उससे अधिक सम्पत्ति, इम्मूवेबल प्रोपर्टी ओन करता है या जिसने इनकम टैक्स, सैल्स टेक्स, या अदर टैक्सेस में इवेजन किया है अथवा उन्होंने लिखा है :

"or has indulged in corrupt or evil practices during an election, and a verdict of competent court has been pronounced to that effect."

उपाध्यक्ष महोदय, जिन बातों का उल्लेख माननीय सदस्य ने अपने संशोधनों में किया है उनकी हाउसिंग बोर्ड के साथ में कोई रिलेवेन्सी नहीं है। बोर्ड में जो काम करने वाले सदस्य होंगे जो उनकी योग्यता और इन्टेलीजेन्स है उसके साथ में इन संशोधनों का कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिए मैं इनको स्वीकार करने में असमर्थ हूं। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जितनी भी यू० आई० टीज० बनी हुई हैं, म्युनिसिपल एक्ट बने हुए हैं अथवा हाउसिंग बोर्ड बने हुए हैं उनमें इस प्रकार के प्रावधान नहीं है और सब जगह पर एक से प्रावधान हैं जैसा कि धारा ७ में उल्लिखित किये गये हैं। इसलिए माननीय सदस्य जो अलवर से आने वाले हैं उनके संशोधनों को स्वीकार करने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उनसे रिक्वेस्ट तो करें कि वे अपने संशोधन वापिस ले लें।

श्री भीखाभाई : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन वापिस ले लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनसिस्ट करता हूं। यह तो बहुत सैद्धांतिक बात है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ७ में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय श्री रामानन्द जी ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाये? जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें और जो विपक्ष में हैं वे ना कहें।

श्री रामान्द अग्रवाल एवं अन्य कुछ माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा एवं अन्य माननीय सदस्य : 'नोज हैव इट'

श्री उपाध्यक्ष : एक दफा और पूछ लेता।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव खण्ड ७ में माननीय रामानन्द जी ने प्रस्तुत किये है उन्हें स्वीकार किया जाये ?

Page No 84

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

(संशोधन अस्वीकार किए गए)

प्रश्न यह है कि खण्ड ७ स्वीकार किया गया?

(स्वीकृत)

(खण्ड ७ स्वीकार किया गया)

खण्ड ८

संशोधन, श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड ८ में चेयरमैन के वेतन या रेम्युनरेशन के बारे में है। इसमें कहा गया है :

"In the chairman shall be paid snch remuneration and allowances as may, from time to time, be fixed by the Government".

मैंने इसमें संशोधन रखा है कि इसमें यह जोड़ दिया जाये :

(i) In sub clause (1) add the following at the end-

"but not exceeeding one thousand rupees inclusive of all allowances' and the 'appearing after the word "Govt." be omitted.

याने वेतन एक हजार से अधिक नहीं होना चाहिए-यह मैंने संशोधन रखा है। यह जो रेम्युनरेशन हैं यह एक हजार से अधिक नहीं होना चाहिए क्योंकि यह काम ऐक वीकर सेक्शन की सहायता करने का है और एक सेवा का काम है और मैं समझता हूं कि जो चेयरमैन या सदस्य इसके बनेंगे वह वेतन की दृष्टि से नहीं बल्कि उन वर्गों की सेवा की दृष्टि से काम करेंगे। अव्वल तो यह काम आनरेरी तरीके से करने का है लेकिन फिर भी आज के जमाने को देखते हुए एक हजार रुपया अधिक से अधिक इनका वेतन रखा जा सकता है जिसमें चेयरमैन या मैम्बर्स चाहें तो उसको कम करा सकते हैं लेकिन इस सीलिंग से अधिक नहीं होना चाहिए। अपने इकोनोमिक रिसोर्सेस को देखते हुए और यह बोर्ड जिस तबके के लिए काम करना चाहता है उसके लिए भी मैं निवेदन करता हूं कि मेरे इस अमेन्डमेंट को तो गवर्नमेंट स्वीकार करेगी। सरकार बड़ी इकोनोमी की बात करती है तो इसमें उनकी इकोनोमी और हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीसिंह हाड़ा।

(अनुपस्थित)

मंत्री महोदय !

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की राय से इत्तफाक नहीं रखता हूं। संशोधन को मन्जूर करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं कि फ्राम टाइम टू टाइम जो रेम्युनिरेशन अध्यक्ष के लिए प्रोवाइड किया जायगा वह रूल्स में आ जाता है।

श्री रामान्द अग्रवाल : क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : इसमें गुन्जायश है मंत्री महोदय का यह कहना है कि हजार से कम भी हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे इसमें हजार से भी कम हो सकते हैं ज्यादा नहीं हो सकता है। अभी तो इसमें हजार से भी ज्यादा हो सकता है।

Page No 85

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यही तो खराबी है। तो आप इस सिद्धांत को मानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष (श्री भीखाभाई से) : आप संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध तो करते हैं।

श्री भीखाभाई : मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको वापस ले लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह वापस लेने वाली चीज नहीं है। आई इन्सिस्ट ओन इट।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ८ में जो संशोधन प्रस्ताव श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड ८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ८ स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड ९, १०, ११, १२ और १३ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ९, १०, ११, १२ और १३ स्वीकार किये गए।

खण्ड २४ में मंत्री महोदय संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड १४ के उपखण्ड (१) में अभिव्यक्त "आवासन आयुक्त" के पश्चात् तथा शब्द "एक सचिव" से पूर्व शब्द "एक वास्तु सलाहकार" अन्तः स्थापित किए जायं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड १४ में जो मंत्री महोदय ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड १४ संशोधन सहित स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १४ संशोधन सहित स्वीकार किया गया

खण्ड १५ श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड १५ में यह ऑफिसर्स और सर्वेन्ट्स जो कि इस आवासन बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी सेवा नियम के सम्बन्ध में है। जो ओरीजिनल खण्ड है इसके अन्दर यह बात गवर्नमेंट के ऊपर रखी है कि वह उनके सेवा नियम बनाये। मैं इसमें केवल एक संशोधन यह रखना चाह रहा हूं कि–

"Add the following proviso after deleting'.' after word regulations and substituting by':'

"Provided that the remmuneration and conditions of service of the employees of the Board shall not be less than enjoyed by State Government servant working on equivalant posts."

Page No 86

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन रखा है कि इस बोर्ड के जो भी कर्मचारी हों या जो भी अधिकारी हों उनके जो सेवा नियम या उनका जो वेतन हो वह वर्तमान सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनसे किसी तरह से भी कम नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन रखने का मेरा विशेष कारण यही है कि हमारा यह अनुभव है कि जितने भी गवर्नमेंट ने बोर्ड बनाये हैं या कारपोरेशन बनाये हैं या बना रही हैं तो वहां पर पर उनके मैनेजिंग बोर्डस का दृष्टिकोण बड़ा ही अपने एम्पलाईज, अपने कर्मचारियों के विरुद्ध है, हरेक बोर्ड यह चाहता है कि जो भी कार्पोरेशन आप बनाते हैं, जो भी नये बोर्ड बनाते हैं तो जो भी गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट उस काम को पहले से कर रहा है और वहां पर जो कर्मचारी हैं तो सबसे आवश्यक तो यही है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के आदमियों को सबसे पहले उसके अन्दर रखा जाय, लेकिन आज यह हो रहा है कि कोई भी बोर्ड या चेयरमैन या कार्पोरेशन का चेयरमैन हो उन कर्मचारियों को जो पहले से उसमें काम कर रहे हैं उनको काम पर लेना नहीं चाहते हैं। यही हमने स्टेट रोडवेज कार्पोरेशन में देखा है। यही हाल अभी जो एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन बना है उसके अन्दर देखा है। यही हाल बिजली घर के अन्दर देखा है इस तरह से वहां पर यह कोशिश होती है कि पुराने कर्मचारियों को धक्का दें और नये लोगों को भर्ती करने मौका मिले....

श्री भीखाभाई : यह सवाल ही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो निवेदन करना चाहता हूं कि उसके अन्दर जो भी भर्ती करें उसमें आपके पास जो गवर्नमेंट एम्पलाइज हों पहले से (नम्बर १) उनको इसके अन्दर एब्जॉर्ब करें। नम्बर २, जो उनकी कन्डीशन आफ सर्विस रखें तो उन पर आप आर० एस० आर० लागू करें या उनकी सर्विस के और रूल्स बनायेंगे जो किसी भी रूप से आर० एस०आर० से कम नहीं होने चाहिएं और उनको सुविधाएं हैं और चीजें मिल रही हैं उनको मिलना चाहिए।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस तरह से ऑटोनामस बॉडीज के अन्दर उन कर्मचारियों के नियम हैं उन नियमों से कम नहीं किये जायं और जो भी सरकारी कर्मचारियों ने हासिल किया है या जो भी वेतन स्तर हैं सरकारी कर्मचारियों के उसी तरह के वहां यू० डो० सी०, एल० डी० सी, ऑफिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट, वहां के ऑफिसर्स फर्स्टक्लास या सेकण्ड क्लास जो भी हों उनसे कम नहीं होने चाहिएं वर्ना उनमें हीन भावना पैदा होती है और बड़ा श्रेणी भाव यह चीज पैदा करती है। इसलिये यह स्टेट्यूटरी प्रोवीजन हो जाय। केवल ऐश्योरेन्स आपका काम नहीं देगा। आप कह दें कि हमारी यह भावना है उससे काम नहीं चलेगा। यदि यह भावना है तो इस बिल के अन्दर इसको स्वीकार किया जाय ताकि आपके ऊपर अंकुश लगा रहे और कर्मचारीगण उसको कानूनी तौर से लागू करा सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उस संशोधन प्रस्ताव के रखने की उनकी भावना जो है वह यह है कि राज्य सरकार की जो भी सर्विस कन्डीशन्स हैं वे ही कन्डीशन्स बोर्ड के एम्प्लाईज पर लागू हों। लेकिन बोर्ड के अन्दर लागू नहीं की जा रही हैं और बोर्ड के अन्दर आज भी उन लोगों को जो हमारे यहां सुविधायें हैं प्राप्त नहीं हो रही हैं। क्योंकि यह नया बोर्ड है इसलिए बोर्ड में अभी तक कोई अधिकारी नहीं है। यह भी हो सकता है कि कन्डीशन्स उनके लिए ऐसी हों कि राज्य सरकार

(श्री भीखाभाई)

की सर्विस कन्डीशन्स ... अच्छी हों और उनको वहां पर अधिक पैसा मिले। उनका यह भी सुझाव है कि वहां पर नौकरी लगाने से पहले पुराने अधिकारी नहीं छोड़े जायं और नये अधिकारी नहीं रखे जायं। मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। इसलिए सहमत नहीं हो सकता कि न मालूम किस प्रकार के आदमियों की उनको आवश्यकता हो। कई ऐसे अनुभवी आदमी होते हैं जो कि कई बोर्ड में किये हुए हों या उस काम को अच्छी तरह से जानते हों। इसलिए माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है उससे सहमत नहीं हूं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इस पर इन्सिस्ट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड १५ पर जो संशोधन प्रस्ताव श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड १५ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १५ स्वीकार किया गया।

खण्ड १६ और १७ में कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि खण्ड १६ व १७ स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड १६ व १७ स्वीकार किये गए।

खण्ड १८

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड १८ में, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन प्रस्ताव रखा है :—

"Add the following proviso after substituting for '.' for ';' after the word 'Board' :-

Provided further that if an officer or servant of the Board suffers from any disqualification given in clause (7) for a member he shall also become disqualified to become or remain an employee of the Board."

यह बहुत रेशनल और लॉजिकल संशोधन है, उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन वह गिर गया है पहले वाला संशोधन प्रस्ताव !

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह अब भी है, इसलिए ऐड करना चाहता हूं। अब भी क्लाज ७ एक्जिस्टेड है, उसमें अब भी पांच अयोग्यतायें हैं जो मेम्बर की हैं, लेकिन कर्मचारी के लिए नहीं है। मेरा कहना यह है कि जिन अयोग्यता के कारण एक व्यक्ति मेम्बर नहीं बन सकता है वही अयोग्यता कर्मचारी या ऑफिसर में हों तो वह बोर्ड में नहीं रहना चाहिए। यह एक सीधी सी बात है, मेम्बर को तो अयोग्यता के आधार पर बोर्ड में मेम्बर नहीं बनाना चाहते लेकिन कर्मचारी और अधिकारी में अयोग्यता होते हुए भी वह बोर्ड में रहे तो इससे बोर्ड का नुकसान नहीं होगा ? यह दोनों बातें कान्ट्रेडिक्ट्री हैं और असंगत नजर आती हैं। इसलिए मैंने इसमें संशोधन प्रस्ताव पेश किया है।

Page No 88

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करूं कि अभी क्लाज १४ में "एक वास्तु सलाहकार" पढ़ गया था। इसमें संशोधन था वह ठीक कर लिया जाय...

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या ?

श्री भीखाभाई : 'सलाहकार' के बजाय 'वास्तुकार' किया जाय।

दूसरे माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है, जो मेम्बर के लिए अयोग्यता रखी हैं वही कर्मचारी के लिए भी रखें। मुझे आश्चर्य होता है, एक तरफ तो आप कर्मचारी के लिए पैरवी नहीं करते हैं . . .

श्री मदनसिंह : बदमाशों के लिए पैरवी नहीं करते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बदमाश के लिए नहीं करना चाहता पैरवी।

श्री भीखाभाई : एक तरफ आप कहते हैं कि बोर्ड के मेम्बर के लिए जो अयोग्यता रखी हैं वह कर्मचारी और अधिकारी के लिए भी लागू की जायं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों को जो सुविधाएं हैं वह उन्हें प्राप्त कराई जायं। आपके कितने परस्पर विरोधी सुझाव हैं-यह मेरी समझ में नहीं आते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मैं इस सुझाव को मानने में असमर्थ हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसको वापिस ले लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन रखी हैं, एक तो यह है :

"If he has been convicteed by a criminal court for an offence involving moral terpitude, unless such conviction has been set aside;

इस अयोग्यता का व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन इस अयोग्यता के व्यक्ति को कर्मचारी रखेंगे नम्बर दो :

"is an undischarged insolvent"

तो अगर आपका कर्मचारी ऐसा है तो उसको आप चाहेंगे ? तीसरी है :

"is of unsound mind"

तो पागल को आप कर्मचारी रखेंगे क्या ? नम्बर चार है :

"is an officer or servant under the Board."

इसके सम्बन्ध में बोर्ड अलबत्ता यह कह सकता है यह डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन कर्मचारी के लिए नहीं चाहते। वह बोर्ड के साथ में ट्रेड करे तो उस को कर्मचारी कैसे रखेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप इस पर दुबारा विचार करें क्योंकि इससे इल्लौजिकल हो जायगी सिचुएशन। इसका मतलब यह है कि आप पागल को रखना चाहते हैं, उसको ऑफिस में रखना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है . . .

श्री भीखाभाई : यह तो सर्विस कन्डीशन्स से गाइड होते हैं।

Page No 89

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन का प्रस्ताव श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया !

प्रश्न यह है कि खण्ड १८ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १८ स्वीकार किया गया।

खण्ड १९, २०, २१ और २२-इनमें कोई संशोधन नहीं है अतः प्रश्न यह है कि खण्ड १९, २०, २१ और २२ स्वीकार किये जायं।

(ध्वनि मत विभाजन के पश्चात्)

श्री जयनारायण सालोदिया : सो रहे हैं साहब ! पढ़ा नहीं है। इन्हें मालूम नहीं है कि आप क्या फर्मा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : स्वीकृत।

(स्वीकृत)

खण्ड १९, २०, २१ और २२ स्वीकार किये गये।

खण्ड २३। श्री पी. के चौधरी। (अनुपस्थित)
प्रश्न यह है कि खण्ड २३ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड २३ स्वीकार किया गया।

खण्ड २४ और २५ में कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि खण्ड २४ और २५ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड २४ और २५ स्वीकार किये गये।

खण्ड २६। मन्त्री महोदय !

श्री यशवन्त सिंह नाहर : आप रखेंगे पहले। मेरा भी और आपका भी है। मेरा संशोधन यह है कि खण्ड २६ के उप खण्ड (२) के उप खण्ड (क) "गृह व्यवस्था स्कीम" के आगे "जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए महत्व दिया जाय" यह शब्द बढ़ा दिये जायं....

श्री जयनारायण सालोदिया : महत्त्व दिया जाय ?

श्री यशवन्त सिंह नाहर : देते हैं वैसे। लेकिन मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान में जो आवासन की अवस्था है, उनमें उन जातियों को छोड़ कर जो घुमन्तु जातियां हैं, आज राजस्थान में ५ लाख ८४ हजार ऐसी फेमिलीज हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं। १९६१ के सेंसस के आंकड़ों के आधार पर....

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं अमेंडमेंट पेश कर दूं, उसके बाद माननीय सदस्य अपना अमेंडमेंट पेश कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : पहले मंत्री महोदय को अपना संशोधन प्रस्ताव पेश करने दीजिये, फिर आप !

श्री भीखाभाई : पहले मुझे पेश कर लेने दें।

पहला, उपखण्ड (२)(क) में, शब्द "स्कीम" और विराम चिन्ह ";" के बीच "अभिव्यक्ति" जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए कोई स्कीम सम्मिलित है अन्तस्थापित की जाय,

(श्री भीखाभाई)

दूसरा, उपखण्ड (२) (ङ) में, अभिव्यक्ति "मार्ग स्कीम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वाणिज्यिक या वाणिज्यिक-एवं-निवासीय स्कीम', प्रतिस्थापित की जाय,

श्री जयनारायण सालोदिया : न पढ़ सकते हैं, न नाम समझते हैं।

श्री भीखाभाई : तीसरा संशोधन है, उपखण्ड (२) (च) और (२) (छ) विलोपित किये जायें और उपखण्ड (ज) और (झ) को क्रमशः उपखण्ड (च) और (छ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाय ; और

चौथा है, इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपखण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :

' (ज) राज्य सरकार के अनुमोदन से अन्य कोई स्कीम"

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि इसमें इन शब्दों को और जोड़ दिया जाय–'इसमें पिछड़े वर्गों के लिए मकान को महत्व दिया जाय'। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आवासन बोर्ड विधेयक की जो भूमिका है उसमें यह लिखा है "राजस्थान राज्य में आवासन स्थानों की आवश्यकता की व्यवस्था और पूर्ति के लिए किये जाने वाले उपायों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक" और इसके साथ खण्ड २९ को मुलाहिजा फर्माया जाय तो उसमें गृह व्यवस्था स्कीम है, पुनर्निर्माण स्कीम, पुनरावासन या पुनर्वास स्कीम, नगर या शहर या ग्राम विस्तार स्कीम, मार्ग स्कीम, भूमि विकास स्कीम। छः को आप विलोपित करना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि योजना को अन्दर ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के पास विधेयक को लाने के पीछे कोई बहुत सुन्दर बस्ती के निर्माण करने की योजना है नहीं, और पुनर्निर्माण स्कीम, पुनरावासन या पुनर्वास स्कीम को इस योजना के अन्तर्गत महत्व दिया जायगा। मैं मानता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि जो मकान बनता है उसकी सौ, डेढ़ सौ साल की उम्र होती है इसलिए आवश्यक यह है कि मकान होच पोच न बनें। देखना यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक लाया जा रहा है इससे क्या मकानों के अभाव की पूर्ति कर दी जायगी। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि १९६९ के आंकड़ों के आधार पर जो हमारे यहां पर अवस्था है उसको ले लें, हमारे यहां फेमिली ऐसी हैं जिनके पास मकान नहीं हैं, मकान के अलावा रह रही है. ऐसी फैमिलीज की कुल संख्या है ४० लाख ८४ हजार, इसमें से किसी तरह के मकानों में रहने वालों की संख्या है ३७ लाख ७१ हजार और मकान कुल हैं ३१ लाख ७३ हजार, यानि ५ लाख ७८ हजार फैमिलीज वह हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं . . .

इसके अतिरिक्त ३ लाख फेमिलीज वे हैं जो बिलकुल घूमंतू हैं, जो घर के बाहर रहती हैं या सड़क पर रहती हैं। तो इस तरह से ९ लाख ११ हजार फैमिलीज ऐसी हैं जिनके मकानों की व्यवस्था आज हमें करनी है। १९७० में हम यह बिल लाये हैं और १९७१ में जनगणना होने वाली है, १० लाख भी अगर आबादी बढ़ेगी तो मिनिमम २ लाख बिना घर वाले और बढ़ेंगे, तो इस हिसाब से हमें कुल मिला कर ११ लाख लोगों के लिये मकानों की व्यवस्था करनी है। हमारी योजनाएं चल रही हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल मकान १९७७९ बनाये जायेंगे। कहां ११ लाख लोग बेघरबार और कहां ये १९७७९ मकान। दो लाख की आबादी को हम फैमिली प्लानिंग के आधार पर वाइप आउट नहीं कर पाये हैं। यदि कर भी दिया तो ९ लाख २० हजार लोगों के लिये मकान बनाने

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

का कोई प्रोविजन में इस हाउसिंग बोर्ड में नहीं देख रहा हूं।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ३१ लाख मकान हैं, जिनमें ३७ लाख आदमी रहते हैं, इनमें से ८ लाख ५१ हजार ऐसे लोग हैं जो किराये के मकानों में रहते हैं। जो मिडिल ग्रुप है, जिसने सस्ते दामों पर मकान खरीद लिये, या सस्ते दामों पर मकान बना लिये। और आप मनी लेंडिंग बिल से यह योजना करना चाहते हैं कि १२ आना सैंकड़ा से ज्यादा ब्याज नहीं रहे। आज लोग पांच रूपया, ६रूपया और ७ रूपया सैंकड़ा के हिसाब से मकानों से कमा रहे हैं, इन किराये से रहने वाले लोगों के लिये मकानों की व्यवस्था आप कब कर पायेंगे,यह इसमें कहीं देखने को नहीं मिलता है।

इसके अतिरिक्त १७ लाख ५३ हजार आदमी ऐसे हैं जो पांच, पांच ६-६ मेल और फीमेल साथ साथ में रहते हैं एक कमरे में, इनके लिये आप क्या करना चाहते हैं, यह इसमें कहीं देखने को नहीं मिलता....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो राज्यपाल के अभिभाषण पर कहने की बातें हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को पारित भी कर दिया तो राजस्थान में कितने वर्ष लगेंगे जब कि हम इस योजना को पूरी कर पायेंगे ? यह मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जब तक यू. आई. टी. तख्तों की नीलामी बन्द नहीं करेगी तब तक इन लोगों के लिये मकानों की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। आज नाहरी का नाका जयपुर में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां पर आठ आना, दो रुपया प्रति गज के हिसाब से तख्तों को नीलाम किया गया, आज उनकी कीमत ५० रुपया गज है। भीलवाड़ा में ५० बाई ५० फीट की तख्तों की कीमत १६,००० रुपया है। ३४० रुपया प्रति व्यक्ति हमारे राजस्थान में रहने वालों की औसत आमदनी है, इसके रहते हुए मकान बनाने की तो कल्पना करना ही बेकार होगा।

४,५७,०११ फैमिलीज आज राजस्थान में ऐसी हैं जिनके लिये एक आदमी के पीछे एक कमरा है, जिसमें कल जन्मा हुआ बच्चा भी शामिल है,२२५७० फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एक व्यक्ति के पास दो या तीन कमरे है, ३१,०३२ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास दो से अधिक कमरे हैं।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं,उसके सम्बन्ध में आंशिक रूप से मैं इनके संशोधन को स्वीकार करता हूं। वह इस प्रकार से है :

खण्ड २६ के उपखंड (२) के भाग (क) में अभिव्यक्ति "गृह व्यवस्था स्कीम" के पश्चात् निम्न अभिव्यक्ति अन्तः स्थापित कीजिये :

"जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिये विशेष महत्व दिया जाय।"

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वह तो महरबानी है कि मेरा संशोधन मंजूर कर लिया। आवास विधेयक के सम्बन्ध में मैंने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वे आपके आंकड़ों के आधार पर हैं। तो इस हिसाब से आप आने वाले १०० वर्षों में भी इस तरह की व्यवस्था से ५० प्रतिशत लोगों को भी मकान दे सकेंगे क्या ? . . .

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन स्वीकार करने के बाद यह विवाद तो समाप्त हो गया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे बोलने का तो अधिकार है न ?

श्री उपाध्यक्ष : स्वीकार करने के बाद क्या है ?

Page No 92

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरी स्थिति सामने रख दूं ।

श्री उपाध्यक्ष : स्वीकार करने के बाद नहीं। श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में मैं इस खण्ड २६ को इस बिल की जान समझता हूँ, यह आत्मा है इस बिल की कि यह बोर्ड किन के लिये काम करना चाहता है और क्या काम करना चाहता है। जिस जिस प्रकार से यह खण्ड प्रस्तुत किया गया है उस में क्या काम करना चाहते हैं,यह तो उल्लेख है लेकिन किन के लिये करना चाहते हैं, उसके बारे में स्पष्ट नहीं है। अभी मंत्री जी ने जो संशोधन स्वीकार किया है, उससे थोड़ा बहुत एक संकेत मात्र, सिमीत हद तक, हाउसिंग स्कीम तक संकेत मात्र है। मैं समझता हूँ कि इस आवासन बोर्ड के बिल को हम मंजूर कर रहे हैं तो इसमें इन दोनों बातों के बारे में बहुत ही स्पष्टतया सदन और सरकार के दिमाग में होना चाहिये कि किस किस्म के मकान किस वर्ग के लिये बनाना चाहते हैं।

मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने जो घोषणा की १७० करोड़ रुपये का रिवोलिंग फंड बनाया है, उसमें घोषणा की थी कि अब तक जो हमारी स्कीम रही,आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लोगों को हम मकानों की सुविधा नहीं दे सके हैं। मिडियम ग्रुप के,लो इन्कम ग्रुप के लोगों को सहायता देने का अब तक प्रावधान था। उससे इस तबके को फायदा नहीं मिला जो अपने लिये स्वयं मकान बनाने में सक्षम नहीं हैं। अब ऐसे पिछड़े वर्ग के लिये यह पैसा खर्च किया जाना चाहिये, और इन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लोगों के लिये इस पैसे से मकान बनाये जाने चाहिये। यह मंशा भारत सरकार ने जाहिर की है।

जो मंत्री जी ने संशोधन रखा, और भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार किया, उससे यह स्थिति नहीं आती है, इसलिये मैं यह संशोधन रख रहा हूं।

क्लाज २६ है, इसका पहला अंग है, व्यापक तौर पर इस बोर्ड के पावर्स क्या हैं, उसको अंगीकार करता है, उसमें मैं जोड़ता हूं।

क्लाज २६ है। मैं अंग्रेजी वाला अनुवाद पढ़ रहा हूं :

"Powers and duties of the Board to undertake Housing scheme–(1) Subject to the provisions of this Act and subject to the control of the state Government, the Board may, from time to time, incur expenditure and undertake works in any area in which this Act is in force for the framing and execution of such housing schemes as it may consider necessary."

अब ये ब्राड पावर्स हैं कि मकान बना सकता है, पैसा खर्च कर सकता है, मैं अब रखता हूं कि किनके लिए।

"Add the following at the end of sub clause (1) after deleting '.' after the word 'necessary'.-

इसमें आब्जेक्शन गलत है।

"with the object of providing proper housing accommodation to the following classes of persons in the priority"

इस तरह के लोगों के लिए और इस प्रायरिटी में आएगा।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

"(a) Members of Scheduled castes and Scheduled Tribes having no pacca houses,"

हरिजनों और आदिवासियों के पास पक्के मकान नहीं है, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाय।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : व्यवस्था का प्रश्न है। यह विधेयक तो हिन्दी में है। आपके सारे संशोधन अंग्रेजी में आ रहे हैं। हम कहां एड करेंगे। मानलो कि मंजूर भी कर लें। अंग्रेजी में तो आएगें नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप मंजूर तो करें, फिर देखेंगे।

"(b) Labourers engaged in industry, agriculture, transport, mining, wood cutting and any other work involving manual labour having no pucca house,"

मोटे तौर पर श्रमिक जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं।

"(c) Office-employees engaged in employment of State or semi state sector, local body or private Sector having a monthly income of Rs. 250/- having no pucca house,"

याने प्राईवेट या सरकारी कर्मचारी जिनकी २५०) तक माहवार की आमदनी हो, ऐसे लोगों और जिनके पास पक्के मकान न हो।

"(d) Other citizens' with a monthly income of less than Rs. 250/-having no pucca house."

बाकी और जो नागरिक हैं जिनकी २५०)रु० माहवार की आमदनी है और जिनके पक्के मकान नहीं है उन लोगों के लिए। तो मेरा मक्सद यह है कि गरीब तबका जिनकी २५०) तक आमदनी है, जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं, यह उनके लिए हम यह बनायें। एक प्रोवीजो जोड़ा है :

"Provided that the Board shall not uproot any person from his existing housing accommodation in execution of any Scheme unless he has been provided with an alternative accommodation".

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रोवीजो के जरिये मैंने यह सुरक्षा की है कि जो भी हाऊसिंग स्कीम बोर्ड अपने हाथ में ले तो उसमें मकान बनेंगे, पता नहीं कौन रहेगा लेकिन सबसे पहले कहर गरीब लोगों, कच्ची बस्तियों पर आता है; स्कीम बनाई गई है, तुम यहां से चले जाओ। वहां फौज पहुंच जाती है, उखाड़कर उनको फेंक देते हैं। मैं समझता हूं गरीब लोगों के बसाने की स्कीम्स अभी तक जो यू० आइ० टी० या जहां जहां पर आपके इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, वहां पर जो नीति अपनाई है, उसमें गरीब लोगों पर कहर बर्पा कर रखा है चाहे जयपुर हो, चाहे कोटा, चाहे अलवर, सब जगह इस प्रकार के झगड़े व आंदोलन हो रहे हैं। तो हम जिस विधेयक को पास करना चाहते हैं उसमें गैरंटी दें उन लोगों को, किसी भी स्कीम में जो पहले बसे हुए लोग हैं, उनको उखाडेंगे नहीं जब तक आल्टरनेटिव एकमोडेशन उनको नहीं दे देंगे। यह इसके अन्दर मैंने कहा है।

(ii) दूसरा है "Delete sub clause 3." इसमें राज्य सरकार अपने हाथ में अधिकार

Page No 94

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ले रही है। इसको निकालने का मेरा संशोधन है :

"The State Govt. may, on such terms and conditions as it may think fit to impose, entrust to the Board the framing and execution of any housing scheme whether provided for by this Act or not, and the Board shall thereupon undertake the framing and execution of such scheme as if it had been provided for by this Act."

यह हमारी सरकार का रवैया है। एक रेजीड्यू क्लाज इस तरह का आल पर्वेडिंग पावर्स लेने का है चाहे वह स्कीम चाहे बोर्ड का पर्पज हो या नहीं लेकिन अगर सरकार ने कह दिया कि यह बोर्ड फलां मकान इस तरह से 'सी' स्कीम जैसे बस्ती बनाए में तो गरीब लोगों को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, रिटर्न जल्दी आता है तो गरीबों को छोड़दें और 'सी' स्कीम जैसी बस्तियां बनायें, बड़ी बड़ी कोठियां बनायें तो बोर्ड इस काम में लग जायगा सब क्लाज (३) के तहत। तो मैं उसको निकालने के लिए कहता हूं क्योंकि मंत्री महोदय पहले ही सरकार की स्कीम को लेने के बाद जो सब क्लाज (२) के अन्दर आपने संशोधन रखा है, उसमें रख लिया है। तो सरकार की जो स्कीम होगी वह उसी तरह की होगी जो खण्ड २६ (२) के दूसरे हिस्से में है। लेकिन इस सब क्लाज ३ के होने का कोई आधार ही नहीं है, कैसी भी स्कीम सरकार एन्ट्रस्ट कर सकती है तो खण्ड २६ के अन्दर यह संशोधन मैं रख रहा हूं। मैं समझता हूं, इस पर सदन गंभीरता से विचार करे और हम बिल में इस बात को रखें की हम कौनसे तबके के लिए मकान बनाना चाहते हैं और कैसे मकान बनाना चाहते हैं। यह जब तक पाबंदी हम नहीं करेंगे तो खतरा है कि आज यह बिल गरीब लोगों के लिए मकान बनाने के नाम से हमसे मन्जूर करवा लिया जाय और जब बिल पारित होकर बोर्ड बन जाय, पैसा मिल जाय तो सारे के सारे बड़े इकानामिक एक्सपर्टस् आ जायेंगे, कौनसी स्कीम ज्यादा इकानामिक है, कौनसी स्कीम ज्यादा रिटर्न देती है। कौनसी स्कीम से जल्दी पैसा वापस आ जायगा, इन तीनों कन्सीडरेशन्स पर हरिजनों और आदिवासियों का नाम कट जायगा, कर्मचारियों का नाम कट जायगा और बड़े बड़े लोगों व नेताओं के नाम आयेंगे। इसलिए इस संशोधन को आप स्वीकार करें ताकि इसका पर्पज बिल्कुल स्टेचूट के अन्दर डिफाइन हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय इसमें एक संशोधन आप और रखना चाहते थे।

श्री भीखाभाई : जहां तक बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन का सवाल है, मैंने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। जहां तक . . .

श्री उपाध्यक्ष : नया संशोधन आप प्रस्तुत कर रहे थे, वह जबान से कहना पड़ेगा। पढ़िये।

श्री भीखाभाई : खण्ड २६ के उपखण्ड (२) के भाग (क) में अभिव्यक्ति "गृह व्यवस्था स्कीम" के पश्चात् निम्न अभिव्यक्ति अन्तःस्थापित की जाए :

"जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष महत्व दिया जाय।"

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीसिंह हाडा (अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी (अनुपस्थित)

Page No 95

श्री रामानन्द अग्रवाल : शब्दों को सारी स्कीम्स में लागू क्यों नहीं करते, केवल 'क' का क्यों ? कवर ग्राल ग्राफ दीज ।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बात के लिये आग्रह किया है अपने संशोधन के जरिये से कि जो हरिजन और आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिये आवास समस्या के लिये विचार किया जाना चाहिये और हाउसिंग बोर्ड के जरिये से प्रावधान किया जाना चाहिये । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं इस प्रकार का प्रावधान संशोधन के जरिये से किया गया है । जो स्कीम्स हैं उनको देखने से पता लगता है कि जहां हमने इस बात की कोशिश की है कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्डट्राइब्स और वीकर सेक्शन है उसके लिये इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत भी प्रावधान किया है । जो योजना रखने का सवाल है, सही प्रकार की योजना है । प्लोट देने की बात है, जो यू. आई. टी. के द्वारा देने की बात है, आपसी कन्सलटेशन के जरिये भी विचार किया है और उसके आधार पर ही स्कीम रिलीज कर दी है । यह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम है । कोई भी योजना जिसको राज्य सरकार चाहती है जिससे गरीब लोगों का भला हो सकता है किसी पेटेन्ट द्वारा बदलने का सवाल है तो उस में प्रावधान भी इसी प्रकार का रखा गया है जिस प्रकार सेफ गार्ड लेना चाहिये इस बात को एन्सयोर करने के लिये कि वीकर सेक्शन को नुकसान न हो, इस क्लाज के अन्तर्गत कर दिया गया है । इसलिये माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रोविजो के बारे में क्या कहते हैं ?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : एक सिद्धांत के सम्बन्ध में भूल हुई है । जिस प्रकार का अलाटमेंट के टाइम में हुआ करता है, जो जहां का निवासी हो पहिले उसको दिया जाय जैसे । जयपुर का है या जोधपुर का है तो पहले वहां उनको दिया जाय । इसमें भी इस प्रकार का प्रावधान रखने की मन्शा है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : उनके जवाब देने से हल नहीं निकलेगा जब तक कन्क्रीट प्रस्ताव नहीं लावेंगे ।

श्री मदनसिंह : कोई अच्छा पोइन्ट हो तो उसको मान लेने में क्या बुराई है ?

श्री उपाध्यक्ष : या तो आप संशोधन प्रस्तुत कर दीजिये . . .

श्री मदनसिंह : मंत्री महोदय संशोधन कर दें कि उसी को जमीन दी जायगी जो वहां का निवासी होगा । वरना पक्षपात करेंगे उदयपुर के लाकर जयपुर में रख देंगे और अच्छी २ जमीन उन को दे देंगे । यह बहुत बड़ी इसमें कमी रह गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री यशवन्तसिंह नाहर ने प्रस्तुत किया उसको स्वीकार किया जाय ? जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें । जो विपक्ष में हों वे ना कहें ।

कई माननीय सदस्य : न हां कहा और न ही ना कहा ।

श्री उपाध्यक्ष : हां भी नहीं और ना भी नहीं

ना पक्ष जीता ।

ना पक्ष जीता ।

प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्रीरामानन्द अग्रवाल ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

आपको एक संशोधन प्रस्ताव वापस लेना है । खण्ड २६ (।) में जो संशोधन प्रस्ताव पहले रखा है उसको आपको वापिस लेना है ।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, उप खण्ड (२) (क) में शब्द स्कीम और विराम चिन्ह के बीच अभिव्यक्ति जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां और समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिये कोई स्कीम सम्मिलित है अन्त स्थापित की जाय इसको में वापिस लेना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेना चाहते हैं, क्या अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी ।

श्री भीखाभाई : मैं संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव मंत्री महोदय ने खण्ड २६ में प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २६ संशोधन सहित स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड २६ संशोधन सहित स्वीकार किया गया

खण्ड १४ में थोड़े शब्दों में गलती रह गयी ।

प्रश्न यह है कि खण्ड १४ में शब्द "वास्तु सलाहकार" के स्थान पर "वास्तुकार (आर्किटैक्ट)" पढ़ा जाय ?

श्री मदनसिंह दांता : ओन ए पोइन्ट ऑफ ओर्डर सर । यह तो पहले ही पास हो गया था ।

श्री उपाध्यक्ष : खण्डशः विचार हो रहा है । बाद में कोई संशोधन प्रस्ताव आ जाय पहले पास किये गये खण्ड में और उस पर कोई असर पड़ता है तो यह हो सकता है ।

प्रश्न यह है कि खण्ड१४में शब्द "वास्तु सलाहकार" के स्थान पर "वास्तुकार (आर्किटक्ट)" पढा जाय ?

(स्वीकृत)

क्लाज १४ में शब्द "वास्तु सलाहकार" के स्थान पर "वास्तुकार (आर्किटक्ट)" पढ़ा जाय स्वीकार किया गया ।

खण्ड ५ के अन्दर मंत्री महोदय ने एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है: खण्ड ५ के विद्यमान उप खण्ड (।) (ङ) के स्थान पर निम्न लिखित उपखंड प्रतिस्थापित जाय :

"सरकार द्वारा नियुक्त छः गैर सरकारी सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का होगा ।"

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

मतदान नहीं हुआ है ।

श्री रामकिशन : इसमें एक प्रोविजो और जोड़ दिया जाय कि भीखाभाई अपने लड़के को कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड ५ में माननीय सदस्यों के जो संशोधन प्रस्ताव हैं उनमें से कोई वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री केसरी सिंह

वृद्धि चन्द्र जैन।

श्री पी. के चौधरी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं वापिस लेना चहता हूं।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड ५ में मैंने पहले यह संशोधन प्रस्तुत किया था :

खण्ड ५ के उपखण्ड (1) (ङ) में शब्द चार के स्थान पर शब्द छः प्रतिस्थापित किया जाए और अभिव्यक्ति जिनमें से एक राजस्थान सहकारी आवासन वित्त संस्था का अध्यक्ष या उस संस्था द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई निदेशक होगा यदि आवासन बोर्ड का अध्यक्ष संस्था का भी अध्यक्ष हो विलोपित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब नया जो संशोधन है उसको भी पढ़ दीजिये।

श्री भीखाभाई : इसके स्थान पर अब इस प्रकार मेरा संशोधन है :

खण्ड ५ के विद्यमान उप खण्ड (1) (ङ) के स्थान पर निम्न लिखित उप खण्ड प्रतिस्थापित किया जाय :

सरकार द्वारा नियुक्त छः गैर सरकारी सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का होगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री जी को अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनु-मति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री भीखाभाई : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द, श्री केसरीसिंह हाड़ा, श्री पी. के. चौधरी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वोट ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ५ में जो संशोधन प्रस्ताव श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ में जो संशोधन प्रस्ताव श्री केसरीसिंह हाड़ा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री पी. के. चौधरी (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

Page No 98

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ को संशोधनों सहित स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड ५ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ६ श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय इसमें जो मेरा संशोधन है वो तो धारा ५ के गिर जाने के कारण कान्सीक्वेंश्यल नहीं रहता है लेकिन जो संशोधन मंत्री जी ने स्वीकार किया है-कोआॅपरेटिव के अध्यक्ष को विलोपित किया जाये-उसको कान्सीक्यूश्नली खण्ड ६ में भी करना पड़ेगा इसमें कान्सीक्वेंश्यल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा।

श्री भीखाभाई : खण्ड ६ तो हो चुका।

श्री उपाध्यक्ष : डेफर किया गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री महोदय इसमें भी संशोधन कान्सीक्वेंश्यल होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : डेफर्ड।

खण्ड २७ श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड २७ में उपाध्यक्ष महोदय, यह जो खण्ड की धारा है उसमें कहा गया है :

"....no person shall make any new construction in the area covered by the scheme or make any additions or alterations in any existing structure in the scheme area without the written permission of the Baord."

इसके आगे मैंने परन्तुक जोड़ा है : Add the following proviso, after deleting '-'after word 'Board.'

"Provided that if the Board is unable to start execution of such scheme within a period of six months, all restrictions on construction placed on the citizens under this section shall lapse ipso facto."

उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुभव में देखा गया है कि खास तौर से यू. आई. टीज. किन्हीं स्कीम्स् को मंजूर कर देती हैं और उसमें यह प्रतिबन्ध लगा देती है कि इस एरिया में कोई आदमी अपना न्यू कन्स्ट्रक्शन्स नहीं कर सकता, मरम्मत नहीं कर सकता। इससे होता यह है कि तमाम म्युनिसिपैलिटीज अपनी जिम्मेवारियां निभाना बन्द कर देती हैं, सड़कें टूटी हुई रहती है, नल बिजली का कार्य अधूरा पड़ा रहता है। यू. आई. टीज. ५-५ वर्ष, उपाध्यक्ष जी अलवर में तो मैंने देखा है ८/१० वर्षों तक कई ऐसे एरियाज हैं जो रूके हुए पड़े हैं। खेत ले लिये गये और वे पड़े हैं, जो लोग खेती करते थे वे उससे भी गये और कोई मकान नहीं बन रहे हैं और उन लोगों के ऊपर यह रेस्ट्रिक्शन्स हैं। तो यह निराशाजनक स्थिति है। इसलिये यह मैंने संशोधन रखा है कि ६ महीने तक बोर्ड जो इस तरह की पावर्स अपने हाथ में ले रहा है कि वहां के लोगों के ऊपर यह जो बन्धन है उसमें रिकन्स्ट्रक्शन की स्कीम जो धारा २६ है उसमें।

(४. २६ म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रिकन्स्ट्रक्शन्स की स्कीम बोर्ड अपने हाथ में ले सकता है। जब बोर्ड के मन में आया कि फलां मोहल्ला की सलम क्लेयरन्स की स्कीम को वह हाथ में ले रहा है तो वहां की मरम्मत नहीं हो सकेगी। इसलिये यह जो पावर बोर्ड अपने हाथ में ले रहा है तो इससे जनता को बड़ी परेशानी होगी। इसलिये, जनता की इस तकलीफ को मिटाने के लिये, अगर इजाजत लेना चाहे तो यह अपने आप में एक मुकदमा बन जाता है। सामान्य आदमी के लिये बोर्ड से इजाजत लेना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिये अपने आप ६ महने तक बोर्ड काम शुरू न करे तो अपने आप यह रेस्ट्रिक्शन्स हट जायेगी और इसी तरह का म्युनिसिपैलिटीज का रूल है कि हाउस बिल्डिंग का म्युनिसिपैटी ३ महीने तक नक्शा पास नहीं करती है तो वह नक्शा मंजूर माना जाता है और नागरिक कन्स्ट्रक्शन करा सकता है। इस लिये मेरे इस प्राविजो को मंत्री महोदय स्वीकार करें। और जनता को नाहक की परेशानी में न डालें।

श्री भीखाभाई : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने इस बात के लिये अपना संशोधन प्रस्ताव किया है कि जो एरियाज हाऊसिंग परपजेज के लिये बोर्ड के द्वारा नोटिफाई किये जायेंगे उसमें कोई टाइम लिमिट होनी चाहिये अथवा उसके अन्दर आदमी को कन्ट्रक्शन के रोकने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, सुझाव कितना ही अच्छा हो, किन्तु यह प्रेक्टिकल नहीं है। यह इसलिये नहीं है कि अभी कोई भी योजना बनाई जायेगी हाऊसिंग बोर्ड के द्वारा, या उसको जो नोटिफाई किया जायेगा, तो उसमें जिस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाता है वह प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाये। अगर यह प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा तो सभापति महोदय, लोग भूमि पर किसी न किसी प्रकार से अतिक्रमण कर लेंगें और इसके साथ ही साथ जिनकी खुद की जमीन है वे भी मकान बना लेंगें तो जिस परपज के लिये हाऊसिंग बोर्ड बनाया जा रहा है, सस्ते मकान बना कर गरीबों को दिये जायें या जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है उनको मकान बनाकर दिये जायें, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा। अगर उसके पास में मकान की इजाजत रहेगी तो लोग कन्स्ट्रक्शन्स जारी रखेंगे और फिर उसके आधार पर बोर्ड से कम्पेनसेशन मांगेंगे, उसका दावा करेंगे। इसलिये यह सम्भव नहीं हो सकता है। इसके लिये वे दावा करेंगे और कोर्ट में भी जायेंगे। इस तरह से एक कोर्ट, दो कोर्ट, तीसरी कोर्ट में मामला जायेगा और जो कार्य हम करना चाहते हैं वह अवरूद्ध हो जायेगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह जन हित में है, जनता के हित में है इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना ताकि बोर्ड का काम सफलता पूर्वक चल सके। इसलिये जो मूल धारा है उसको ही स्वीकार किया जाये यह मेरा निवेदन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनके उत्तर से सन्तोष नहीं है। यह सन्तोषजनक नहीं है। हम प्रतिबन्ध को नहीं हटाना चाहते हैं लेकिन ६ महीने के बाद यह आप ही, स्वत: ही हट जाये जब कि काम शुरु न किया गया हो। आप कुछ करना भी नहीं चाहें और जनता पर प्रतिबन्ध लगा रहे ...

श्री भीखाभाई : उसको वेकेंट कर देंगे। यू. आई. टी. की स्कीम इसी तरह से है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इसी से तो परेशानी है जनता को-इसको दूर करवाना चाहते हैं।

श्री भीखाभाई : परेशान करने का कोई प्रश्न नहीं है सारी प्लानिंग जो होती है-मास्टर प्लान, म्युनिसिपैलिटी की प्लान, यू आई. टी. प्लान उनमें इसका प्रावधान किया गया है और यह जन हित की दृष्टि से किया गया है।

Page No 100

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड २७ में जो संशोधन प्रस्ताव श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृति)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड २७ को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृति)

खण्ड २७ स्वीकार किया गया।

खण्ड २८ श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री सभापति : खंड २८। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, इसमें मेरा छोटा सा संशोधन है

Insert the following after the words 'in force' and before ',' in the second line :—

"but subject to section 26". Section 28 reads :—

"Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a housing scheme may provide for all or any of the following matters....

इस में मेरा यह निवेदन है कि जो हाउसिंग स्कीम जिस परपज के लिए बनाई जाय वह उसी परपज के लिए हो उसमें कोई भेद नहीं हो। २६ में जो पाबन्दी बताई है हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों को देंगे। यह धारा २६ से पाबन्द नहीं है। २८ वीं धारा हरिजनों आदिवासियों के लिये बाउण्ड नहीं। होगी२६का सेक्शन चार रहता है तो यह मेरा संशोधन स्वीकार करना आवश्यक है वह इस प्रकार है :

Insert the following after the words 'in force' and before ',' in the second line :—

"but subject to section 26".

श्री सभापति : (श्री भीखाभाई से) क्या आप इसे स्वीकार करते हैं ?

श्री भीखाभाई : नो सर।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन धारा २८ में रामानन्द जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड २८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड २८ स्वीकार किया गया।

खंड २६। श्री भीखाभाई।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मेरा मामूली सा संशोधन है वह इस प्रकार है उप खंड (१) में शब्द 'फरवरी' के स्थान पर 'जनवरी' प्रतिस्थापित की जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय मन्त्री महोदय ने खंड २६ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड २६ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड २६ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड ३० स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ३० स्वीकार किया गया।

खंड ३१ श्री वृद्धिचन्द जैन।

इज इट मैटीरियल अमेंडमेंट ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यस सर। सभापति महोदय, खंड ३१ के उपखंड १० को विलोपित करने के लिए निवेदन किया है। इस खंड को विलोपित किये जाने के बाद यह बढ़ाये जाने का निवेदन किया है :

"बजट प्राप्ति के पश्चात् "एट एनी टाइम" राज्य सरकार बोर्ड द्वारा मंजूर बजट का अनुमोदन कर सकेगी या उसे बोर्ड को उसमें से उपान्तरण करने के लिए वापस भेज सकेगी जो राज्य सरकार ठीक समझे" विलोपित किये जांय तथा उसके स्थान पर निम्नांकित अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जाय :

"बजट की प्राप्ति के पश्चात् राज्य सरकार को एक माह के भीतर अपना अनुमोदन देना होगा"

और इस उपखंड (१) के पश्चात् निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाय :

"परन्तु राज्य सरकार का, बजट प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर, अनुमोदन प्राप्त न हो तो यह समझा जायगा कि राज्य सरकार ने बोर्ड द्वारा प्रेषित बजट अनुमोदित कर लिया है"।

खंड ३१ जो ओरिजिनल है उसमें यह रखा गया है कि बोर्ड बजट स्वीकृत करने के बाद में गवर्नमेंट के पास भेजेगा। वह बजट को किसी भी समय अनुमोदन कर सकता है। किसी भी समय के कारण अनुमोदन के अन्दर तीन महीने से एक साल तक भी लग सकता है। उससे बोर्ड का काम रुक जायगा क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की स्वीकृति नहीं आयगी तब तक वह अपना काम आगे नहीं बढा सकेगा। विशेष तौर पर जोर दिया है मैंने अपने संशोधन में कि बजट के भेजने के बाद एक महीने के अन्दर अन्दर राज्य सरकार को अनुमोदन करना होगा। अनुमोदन नहीं करने की स्थिति से यह माना जायगा कि गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी है। मंत्री महोदय को चाहिये कि वे मेरे अमेंडमेंट को स्वीकार कर लें। यदि नहीं करेंगे तो मन्शा इस बोर्ड के गठन की है उसकी कार्यवाही में रुकावट आयगी। अतः माननीय मंत्री महोदय इसको मन्जूर कर लें।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना की कद्र करता हूँ एक महीने का समय कम है। मैं इस बात पर कम्प्रोमाइज कर सकता हूं दो महीने के भीतर हो जाना चाहिये। यह मैं मन्जूर कर सकता हूं।

वन मन्थ के स्थान पर टू मन्थ होना चाहिये।

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी (अनुपस्थित)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन मंत्री महोदय ने रखा है कि "एट एनी टाइम के

Page No 102

(श्री सभापति)

स्थान पर दो महीना स्बस्टीट्यूट किया जाय" इसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ३१ में 'एट एनी टाइम' के स्थान पर 'दो महीना' विस्थापित किये जांय स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है खंड ३१ को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि खंड ३२ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३२ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि खंड ३३ को स्वीकार किया जाय। (स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ३१, ३२, ३३ और ३४ स्वीकार किये गये।

खण्ड ३५ श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, खण्ड ३५ जिस तरह से फ्रेम किया गया है उसमें यह लिखना है। पहले बोर्ड बजट बनायेगा फिर सरकार की मन्जूरी ली जायगी उसके बाद गवर्नमेंट की सेंक्शन आ जायगी फिर लोकल ओथोरिटीज को लिखेंगे। अगर लोकल ओथोरिटीज में मतभेद रह जाता है तो उसे सुलझाने का तरीका रखा है यह अननेसेसरी डिले होगी यह तरीका डिले करने का है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पहले लोकल ओथोरिटी द्वारा तैयार किया जाना चाहिये उसके बाद में गवर्नमेण्ट की सेंक्शन लेनी चाहिये ओरिजनली यह लिखना है उसमें मेरा संशोधन इस प्रकार से है :

(i) In sub-clause (1) add the following proviso after deleting '.' after the words 'may be' and substituting ':' –

" Provided that the Board shall include any area in any scheme and the budget only when a previous approval from the local Authority or State Government has been obtained."

आप इसी दृष्टि से इसको स्वीकार करें।

श्री भीखाभाई : मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रश्न यह है कि खंड ३५ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ३५ स्वीकार किया गया।

खण्ड ३६ श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय यह जिस तरह से कोन्स्टीट्यूट किया गया है उसके अनुसार गलियां सड़कें आदि बनानी होती हैं उसमें म्युनिसिपैलिटी आदि की प्रीवियस सेंक्शन की

Page No 103

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

व्यवस्था नहीं रखी है। लोकल अथोरिटीज के जो अधिकार हैं उसमें यह हस्तक्षेप है। इस तरह से आपस में कनफ्लिक्ट पैदा होने का अन्देशा है। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है :

In sub-clause (1) add the following after deleting '.' after words 'in it' :-

" with the previous concurrence of the Local Authority"

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह नाला वगैरह बन्द करें और म्युनिसिपल बोर्ड से राय वगैरह न लें तो यह अवांछनीय स्थिति होगी। यह कन्फलिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटि में पैदा न होने दें।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य की यह शंका निराधार है। अरबन ऐरिया और म्युनिसिपल ऐरिया अलग अलग हैं इसलिये जो संशोधन प्रस्ताव है वह निराधार है :

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड ३६ में जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड ३६ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ३६ स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड ३७ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ३७ स्वीकार किया गया।

खण्ड ३८ श्री रामानन्द जी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने प्रस्ताव सब क्लाज दो के लिये रखा है—

delete part (ii) of sub-section (2) which reads:-

"(ii) under take research on various problems connected with housing in general and find out in particular the economical methods of constructing houses suited to local conditions;"

मैं समझता हूं बोर्ड को इतना एम्बीशन्स नहीं बनना चाहिये और केवल मकान बनाने तक ही रखना चाहिये। रिसर्च का काम गवर्नमेंट का है इसलिये उस पर नहीं छोड़ना चाहिये। रिसर्च का का काम टाऊन प्लानिंग डिपार्टमेंट का है, वह करें बोर्ड को इसके लिये अननेसेसरी एक्सपेन्डीचर रखना पड़ेगा। यह जो रास्ता आप निकाल रहे हैं वह तो अपने रिश्तेदारों को चिपकाने के अलावा और कुछ नहीं है।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री महोदय(विराम) अजी बोलिये तो सही।

श्री भीखाभाई : प्रस्ताव मंजूर नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ३८ में जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह कि खण्ड ३८ को स्वीकार किया जाय।

Page No 104

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

खण्ड ३८ स्वीकार किया गया।

There are no amendments in clauses 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53,, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, So I put all these clauses to vote in one group.

श्री जयनारायण सालोदिया : समझ नहीं रहे हैं मंत्री जी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ३९ जरा मैं तेजी से चल रहा हूं आपका विधेयक पास हो रहा है, आपको तो आभारी होना चाहिये।

Cluses 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58 59, 60, 61, 62 and 63.

प्रश्न यह है कि ये पारित किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61, 62 और 63 पारित किये गए।

खण्ड ४० प्रभारी मंत्री महोदय, मूव योर अमेन्डमेंट।

श्री भीखाभाई : खण्ड ४० उप खण्ड (५) में शब्द "राष्ट्रीयकृत बैंक" के पश्चात् तथा शब्द "में निक्षिप्त" से पूर्व शब्द "या अनुसूचित बैंक" अन्तः स्थापित किये जाय।

श्री रामानन्द जी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सब क्लाज ३

" The State Government may every year make a grant to the Board of a sum equivalent to the administrative expenses of the Board."

इसमें मेरा पहला संशोधन इस प्रकार है :-

(i) In sub-clause (3) add the word after the word 'equivalent' in second line मैंने इसमें जोड़ा है और मेरा इतना ही निवेदन है कि उससे ज्यादा भी दिया जा सकता है। दूसरा मेरा संशोधन है-

(ii) In the proviso of sub-clause (3) the word 'warrants' in line 2 be substituted by the word 'improves'.

कहने का मतलब है अगर बोर्ड इम्प्रूव करता है तो गवर्नमेंट जो बोर्ड को ग्रान्ट देना चाहती है वह उसकी बोर्ड की खुद की आमदनी से या उससे ज्यादा नहीं देना चाहती। मैं चाहता हूं बोर्ड अपना काम इम्प्रूव करके दिखाए तो उसे ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेस से अधिक ग्रान्ट मिल सके यह स्टेच्यू होना चाहियें और इस पावर को वाइड रखना होगा। इसको खुला रखिये ताकि बोर्ड को ज्यादा ग्रान्ट मिल सके। यह बोर्ड के हित में है।

श्री सभापति : श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : सभापति महोदय ...

श्री सभापति : मंत्री महोदय आप एक्सेप्ट करते हैं ?

श्री भीखाभाई : मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धि चन्द्र जैन ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय मेरा बहुत साधारण अमेंन्डमेंट है । कुछ राज्य सरकार को भी कन्ट्रीब्यूट करना चाहिये । राज्य सरकार बोर्ड का उसके प्रशासनिक व्ययों के समतुल्य राशि का प्रतिवर्ष अनुदान देगी । इसका अर्थ यह है कि खण्ड ४० के उप खण्ड ३ में यह अनुदान कर सकेगी । इसमें मेरा निवेदन है अंग्रेजी में May के स्थान पर shall होना चाहिये इसलिये यह अमेण्डमेंट रखा है कि यह जो हाऊसिंग बोर्ड जिस को कि आप सक्सेसफुल करने जा रहे हो, उसके लिये जब तक आप पूरी तरह व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हम यह समझते हैं कि वास्तविक रूप से इस हाऊसिंग बोर्ड को आप फंक्शन नहीं करना चाहते हैं । उसके कार्यों को फंक्शन नहीं करना चाहते हैं इसलिये may की जगह shall शब्द होना चाहिये और 'अनुदान दे सकेंगे की' की जगह अनुदान देगी मैं चाहता हूँ मंत्री महोदय इस अमेंड-मेंट को मंजूर करेंगे ।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव दिया है कि वर्ड में may है उसको shall किया जाय इसका मतलब यह है कि लाजमी तौर से बोर्ड की हालत अच्छी न हो तब तो समझ में आ सकता है लेकिन बोर्ड की अच्छी हालत तो shall लगाने से हमेशा देना ही पड़ेगा हम उस बोर्ड को पंगु नहीं बनाना चाहते हैं । फन्डस को जल्दी से जल्दी रिवोल्व किया जाय इससे उसकी पोजीशन साऊन्ड होगी । राज्य सरकार ग्रान्ट दे ही इसकी आवश्यकता नहीं है और जब कभी आवश्य कता हुई तो देती रहेगी । इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा जो प्रस्ताव रखा है, उस को वापिस ले लें ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यदि इस प्रकार का मेरा अमेन्डमेंट मंजूर करने के बाद यह स्थिति देख लें कि वित्तीय स्थिति मजबूत हो गई तो आप कम भी कर सकते हैं और बन्द भी कर सकते हैं लेकिन जब तक बोर्ड की स्थिति ठीक नहीं हो तब तक दें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ४० में जो संशोधन प्रस्ताव श्री रामानन्दजी ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड४० माननीय वृद्धिचन्द्रजी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड ४० संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड ४० संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड ४७ श्री रामानन्द जी

श्री रामानन्द अग्रवाल : खण्ड ४७ जो मूल है वह है-"47 Reports The Board shall, before such dete and in such from and at such intervals as may be prescribed, submit to the State Government a report on such matters as may be prescribed."

मैंने इसमें साथ में जोड़ा है दूसरा सब क्लाज-

(i) This present clause be numbred as sub clause (1) and after

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

this sub clause (1) add the following sub close:-"(2) The Board shall prepare Annual Report containing its anual audited accounts every to be presented to the Rajasthan Legislative Assembly at the time of the Budget session."

यह रिपोर्ट गवर्नमेंट को तो देंगे ही लेकिन असेम्बली को रिपोर्ट बजट सेशन के मोके पर आडिटेड अकाउन्ट्स के साथ देने का प्रावधान मैंने इस सब क्लाज के जरिये किया है। मैं समझता हूं कि आटोनोमस बोडीज बन जाने के बाद उनका डिसकशन असेम्बली के अन्दर डाइरेक्टली तो बहुत कम हो पाता है, वह विभागीय डिसकशन में भी नहीं आती इसलिए सालाना उनकी रिपोर्ट और उनके अकाउन्ट्स इस सदन के सामने रखे जायें जिसका नोटिस लेकर सदन उसके ऊपर विचार कर सके और ऊपर बहस हो सके, जनता के अभाव अभियोग उसमें रखे जा सकें। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंन्ट ने क्यों नहीं इस क्लाज को रखा और इस क्लाज को जरूर मंजूर किया जाना चाहिए। यह इस सदन के अधिकारों का सवाल है, इस सदन का जूरिस्डिक्शन है ही उसको कानून के जरिये स्टेचुटरी प्रावीजन रखें कि बोर्ड इस तरह से अकाउन्ट्स पेश करे ताकि यह सदन इस बोर्ड के ऊपर अपना कन्ट्रोल रख सके। इस दृष्टिकोण से मैं इस संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के सुझाव का सवाल है उन्होंने यह कहा है कि राज्य सरकार के पास में रिपोर्ट आनी ही चाहिए क्योंकि विधान सभा का कन्ट्रोल आटोनोमस बोडी के ऊपर नहीं रहता तो इस दृष्टि से मैं उसको संशोधित रूप में स्वीकार करता हूं:

The Board shall prepare annual report contaning its annual audited accounts and submit it to the State Goverment who shall cause it to submitted to the Rajasthan Legislative Assembly."

श्री सभापति : क्लाज ४७ में प्रभारी मंत्री महोदय माननीय सदस्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनको अनुमति है। पेश कीजिए।

श्री भीखाभाई : धारा ४७ में इस प्रकार संशोधन किया जाये :

The Board shall prepare annual report containing its annual audited accounts and submit to the State Government who shall cause it to be submitted to the Raj asthan Lagislative Assembly."

श्री सभापति : The Bill is in Hindi The admedment is English. You please translate it and for the time being we defer this clause.

क्लाज ४७ डेफर किया गया क्योंकि अंग्रेजी में संशोधन प्रस्ताव रखा गया है जो नहीं रखा जा सकता क्योंकि मूल विधेयक हिन्दी में है।

खण्ड ५०

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय खण्ड ५० में जनता को तरफ से कोई बोर्ड के ऊपर दावा वगैरह हो, कोई शिकायत हो उनके सम्बन्ध में यह क्लाज है। इसमें यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया हैं। एक तो सामान्य है कि दो महीने का नोटिस देना चाहिए, वह तो ठीक है परन्तु उसमें यह प्रतिबन्ध और लगा दिया गया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है जो भी अभाव अभियोग लाये वह ६ महीने के अन्दर अन्दर लाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो आर्डनरी लिमिटेशन एक्ट है उसके तहत जो भी टाइम दिया हुआ है उसके करटेल नहीं किया जाना चाहिए। यह जो ६ महीने का पीरियड इसमें रखा है यह अनुचित है, अनावश्यक है और जनता के अधिकारों पर कुठराघात है। इसलिए मैंने इसमें रखा है :

Delete the words "nor after six months from the date of the act complanined of" occuring at the end of the clause.

हमारी जनता बहुत ज्यावा शिक्षित नहीं है। गरीब लोगों के लिए यह बोर्ड काम करेगा इसलिए अभाव अभियोग और शिकायतें गरीब तबके से होंगी जिसमें दो महिने का नोटिस देना होगा तो बाद में केवल ४ महीने बाकी रहे। तो ४ महीने में कोई दावा या कम्पलेन्ट ले आये यह जस्टीफाईड नहीं है। जो आर्डनरी लॉ है लिमिटेशन एक्ट के तहत जितना समय है ऐसी चीजों के लिए वह इसमें लागू होना चाहिए और मै समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे :

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मै इसको एक्सेप्ट नहीं करता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड ५० में जो संशोधन का प्रस्ताव श्री रामानन्द जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

(संशोधन प्रस्ताव गिर गया)

प्रश्न यह है कि खण्ड ५० स्वीकार किया किया जाये ?

(स्वीकृत)

(खण्ड ५० स्वीकार किया गया)

खण्ड ५४

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय इसमें मेरा संशोधन है:"Delete sub-clauses (2) and (3) खण्ड ५४ में मैं सब-क्लाज (२) और (३) को विलोपित करने का संशोधन रख रहा हूं। खण्ड ५४ में बाईलाज बनाने के अधिकार बोर्ड के रखे हैं। इसके अन्दर सब-क्लाज (२) कहता है।

"(2) A bye-law made under this section may provide that a contravention there of shall be an offence."

नम्बर (३) कहता है :

"(3) A bye-law made under this section may provide for any matter covered by a bye-law made under the Rajasthan municipalities Act, 1959 (Act 38 of 1959) and on publication of such bye-law, any bye-law made under section 90 of the Rajasthan municipalities Act, 1959, shall cease to have effect as respects the matters covered by the bye-law made under this section, in the area where such bye-law shail apply."

मेरा निवेदन करना यह है कि जो ५५ वीं क्लाज है जिसमें पैनल्टी प्रोवाइडेड है :

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

"55. Penalty for contravention of bye-laws:—

Whoever contravenes a bey-law made under section 54 shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both."

यह तमाम चीजों को कवर करता है इसलिए (२) और (३) को रखने की आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टि से मै इसको रखता हूं।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय आधा घन्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

प्रश्न यह है कि खण्ड ५४ में जो संशोधन का प्रस्ताव श्री रामानन्द जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

(संशोधन गिर गया)

प्रश्न यह है कि खण्ड ५४ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

(खण्ड ५४ स्वीकार किया गया)

खण्ड ६

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ में निम्न संशोधन का प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है :

खण्ड ६ के उप-खण्ड (१) के द्वितीय परन्तुक को लोपित किया जाये।

यह संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत

(संशोधन स्वीकार किया गया)

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

(संशोधित रूप में खण्ड ६ स्वीकार किया गया)

खण्ड ४७

श्री भीखाभाई : खण्ड ४७ में उप खण्ड जोड़ा जाये।

खण्ड ४७ के पश्चात निम्न उप-खण्ड जोड़ा जाय :

(२) राज्य सरकार बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट यथा सम्भव शीघ्र राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करायेगी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ४७ में जो संशोधन का प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

(संशोधन स्वीकार किया गया)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४७ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

(खण्ड ४७ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड १ अधिनियम के सूत्र प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड १ अधिनियम के सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये)

श्री भीखाभाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

(विधेयक पारित किया गया)

श्री यशवंतसिंह नाहर : एक ही निवेदन है कि कल लास्ट डे है और प्रातः ८ बजे सदन की बैठक बुला ली जाये, यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजे दिनांक १४-४-७० के प्रातः ११ बजे तक लिये स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 668 के भाग (1) व (2) में निर्दिष्ट सूची)

झालावाड़ तथा कोटा जिले में जंगलों को सुरक्षा हेतु निर्मित फेंसिंग व एन्क्लोजर्स की रेंजवार सूची

नाम जिला	नाम रेंज	फेंसिंग क्लोजर्स क्षेत्रफल एकड़	कुल व्यय रु०	इन क्षेत्रों से उपलब्ध होने वाली वन उपज का विवरण (वार्षिक) घास क्विटल	लकड़ी वि० वि०
झालावाड़	खानपुर	2537	46792	150	इन क्षेत्रों से अभी लकड़ी नहीं मिलने लगी है ।
	अकानी	1410	46055	1200	४० वर्ष की अवधि में वृक्षों की पूरी प्रोथ होने पर ही इन क्षेत्रों से ईंधन या छोटी ईमारती लकड़ी निकल सकेगी।
	मनोहरथाना	2020	42098	800	
	अकलेरा	404	6497	500	
	पिडावा	420	11825	100	
	झालावाड़	1750	47364	800	
	असनावर	880	15840	300	
		9401	216471	3850	

Page No 111

कोटा	लाडपुरा	2425	39593	5000	,,	लाडपुरा एवं
					,,	कनवास रज के
	मंडाना	1550	42758	—	,,	क्लोजर्स से
	इन्द्रगढ़	3163	76617	—	,,	
	कनवास	2670	54488	—	,,	
	छीपाबड़ौद) छबड़ा) नाहरगढ़) किशनगंज) अटरू)	660	6043	3360	,,	
		10468	219499	8360		

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 673 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)
पंचायत मधुशालालय को दिये गये अनुदान
की सूची ।

प्रत्येक	नाम वर्ष	अनुदान दिया गया	कार्य पूर्ण हुआ अथवा नहीं विवरण
1.	रपट	1550-00	पूर्ण हो चुकी है ।
2.	कुआं अनूपपुरा	1000-00	राशि उपयोग हो चुकी है । कार्य अपूर्ण है ।
3.	उटखेडा स्टोव रोड़	500-00	पूर्ण हो चुका है ।
4.	रपट उटाखेडा	500-00	,,
5,	पीने के पानी का कुआं उटखेड़ा	1600-00	राशि उपयोग हो चुकी है कुआं पक्का बनाया गया है
6.	,, तलाब क्षेत्रफल	1085-00	वाला बाधन बाकी है । कार्य पूर्ण हो चुका है आखरी
7.	,, थावला बनाना	1500 00	किस्तबाकी है। कार्य पूर्ण है ।
8.	,, बावडी खेडा	1000-00	कार्य पूरा नहीं हुआ है ।
9.	स्कूल मथुरा तालाब	2625-00	राशि उपयोग हो चुकी है । आखरी किस्त बाकी है ।
10.	जलकूप स्वपुरा	1000-00	कार्य अपूर्ण है ।
11.	वोना गोदान मथुरा तालाब	5460-00	राशि उपयोग में ली गई है उपयोगिता प्रभाव पत्रजारी करना बाकी है ।
12.	विद्युत् सिंचाई योजना	2655-00	राशि उपयोग हो चुकी है कार्य भी पूर्ण है । आखरी किस्त नहीं चुकी है ।

— —

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 679 के भाग (2) व (3) में निर्दिष्ट सूची)

ज्यादा बाढ आ जाने के कारण निम्न मकान मालिकों के मकान बैठ गये और उनको हुए नुकसान तथा उनको दिये गये अनुदान की सूची :—

क्र० सं०	नाम मकान मालिक	नुकसान हुआ (रुपये)	अनुदान दिया गया (रुपये)
1	श्री भूरे खां	1500	200
2	श्री भूरा	1500	100
3	श्री नवो नुर	1500	200
4	सुश्री राधी बाई	1500	300
5	श्री बाला	1000	300
6	श्री गिरधारी	1000	250
7	श्री कंवरलाल पुत्र श्री भैरू	1000	100
8	श्री देवराम	1000	200
9	श्री कवंरलाल पुत्र श्री भैरू	1000	320
10	सुश्री भंवरी	1500	200
11	श्री बाबू	1500	220
12	श्री बाला पुत्र श्री नन्दा	1000	200
13	सुश्री नानू बाई	1000	250
14	श्री नन्दा	1000	50
15	श्री बागरु	500	35
16	सुश्री केशर बाई	500	50
17	श्री रामचन्द्र	1000	50
18	श्री कालू	800	100
19	श्री कासिम	1500	50
20	सुश्री जबरबाई	1500	50
21	श्री नाथू	1500	50
22	श्री कंवरलाल	1500	40

1	2	3	4
23	श्री भेरू	100	50
24	श्री कालू	100	40
25	श्री रामा	100	50
26	श्री पूरा	100	50
27	श्री महादेव	150	50
28	श्री किशन	200	100
29	श्री उघा	100	40
30	श्री पेमा	175	75
31	श्री नारायण	150	75
32	श्री सीताराम	200	100
33	श्री गणपत	100	40
34	श्री शंकर	200	100
35	श्री कन्हैयालाल	200	60
36	श्री रहमान	150	135
37	श्री पीरखां	200	100
38	श्री हजारी लाल	200	100
39	श्री पेमा	200	100
40	श्री देबीलाल	200	100
41	श्री सुक्खा	250	100
42	श्री मोटु	300	100
43	श्री किशन	200	75
34	श्री मांगीलाल	200	100
45	श्री देवी सिह	200	25
46	श्री शिवनारायण	250	100
47	सुश्री मोटा बाई	300	100
48	श्री देवा	150	87
49	श्री लक्ष्मण	150	75
50	श्री भंवरलाल	200	100

1	2	3	4
51	श्री चांद खां	200	65
52	श्री रामलाल	150	75
53	श्री हरकलाल	150	100
54	श्री नन्दा	200	75
55	श्री त्रिलोक चन्द	100	50
56	श्री करीमशाह	50	20
57	श्री भगवानराम	250	100
58	श्री गोकुलदास	150	50
59	श्री सीताराम	150	50
60	श्री मांगीलाल	200	50
61	श्री देवीलाल	250	100
62	श्री माणक चन्द	200	100
63	श्री रामदयाल	300	100
64	श्री रामनारायण	200	75
65	श्री सुक्खा	200	50
66	श्री रतन	100	50
67	श्री पन्नालाल	300	100
68	इमामी	300	100
69	श्री कालू	250	75
70	श्री राधाकिशन	300	100
71	श्री उधा	300	100
72	श्री रोडू	300	100
73	श्री पन्नालाल	300	100
74	श्री कालूसिंह	200	50
75	श्री लक्ष्मीनारायण	200	70
76	श्री नन्दा	150	50
77	श्री मांगीलाल	300	100
78	सुश्री मानबाई	125	50
79	श्री मुसब्बर खां	150	85

1	2	3	4
80	श्री मुर्तजा खां	150	85
81	श्री मुनफ्फर खां	250	100
82	श्री मांगीलाल	150	50
83	श्री मिट्ठू	300	101
84	श्री रामनारायण	300	100
85	श्री कन्हैयालाल	200	70
86	श्री मांगीलाल पुत्र रामनारायण तेली	200	70
87	श्री मोतीलाल	300	100
88	श्री पन्नालाल	300	100
89	श्री रामचन्द्र	300	100
90	श्री जसवन्तराव	300	100
91	श्री मांगीलाल	300	100
92	श्री जगन्नाथ	300	100
93	श्री जोध सिंह	200	75
94	श्री परमानन्द	300	100
95	श्री चांदमल	300	100
96	श्री सीताराम	300	100
97	श्री हरलाल	200	50
98	श्री बाबूलाल	200	50

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 413 के भाग (2) में निर्दिष्ट सूची)

-: सूची :-

माह	बान्या खेड़ी तालाब	झालावाड़ सूनेल सड़क
मार्च, 1969	419	-(दैनिक औसत)
अप्रेल, 1969	27	-
मई, 1969	1760	140
जून, 1969	1433	525
जुलाई, 1969	3279	774
अगस्त, 1969	-	304

———

Page No 118

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 681 के भाग (3) में निर्दिष्ट सूची)

राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों में राजस्थानी संस्कृति एवं इतिहास पाठों
एवम् विवरणों की सूची

क्र० सं०	पुस्तक का नाम	कक्षा	पाठ का विवरण
1	हिन्दी पाठमाला	2	पुष्कर राज
2	हिन्दी पाठमाला	4	1. फूलों और लहरों के साथ 2. आबू की यात्रा
3	हिन्दी पाठमाला	5	1. हमारे प्यारे राजस्थान 2. हरी तुम हरो जन की पीर 3 गाडिया लुहार राजस्थान की एक घुमक्कड जाति ।
4	हिन्दी पाठमाला	6	1. भाई की ममता 2. आ धरती गोरा धोरा री 3. डीग के सुरम्य उद्यानभवन 4. सोहराय
5	हिन्दी पाठमाला	7	1. अद्भुत बलिदान 2. रणथम्भोर
6	हिन्दी पाठमाला	8	1. पूजन 2. मुण्डमाल
7.	सामाजिक ज्ञान	4	अधिकतर पाठ राजस्थान की संस्कृति एवं इतिहास पर दिये गये हैं ।

ओ० प्र० सिंहल

सचिव,

राष्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तक मण्डल,

राजस्थान, जयपुर ।

राजस्थानी लेखकों की सूची जिनके लेख पुस्तकों में सम्मिलित हैं ।

क्र. सं.	नाम पुस्तक	कक्षा	पाठ का नाम	लेखक
1	हिन्दी	1	सम्पूर्ण पुस्तक	श्री उमाशंकर त्रिपाठी, बाल मन्दिर, जोधपुर
2	हिन्दी	2	सम्पूर्ण पुस्तक	श्री (डा.) सोमनाथ गुप्ता
3	हिन्दी	3		श्री सौभाग्यमल श्रीश्रीमाल प्रधानाध्यापक, राजकीय हायर सेकेन्ड्री स्कूल, माणक चौक, जयपुर ।
			1. जीवन भर दो	श्री सुधीर त्यागी, चौड़ा रास्ता, जयपुर ।
4	हिन्दी	4		श्री जवाहरलाल जैन खादी ग्रामोद्योग, शिवदासपुरा ।
			1. एवरेस्ट कीचोटी पर	श्री रामलाल सांवल,अलवर कालेज, अलवर ।
			2. धरती राजस्थान री	श्री सुमनेश जोशी, आयोजन कार्यालय, जयपुर ।
5	हिन्दी पाठमाला	5		श्रीमती सीताहांडा,लेक्चरार महारानी कालेज, जयपुर ।
			1. हाथ करघा उद्योग) 2. हमारी फसलें) 3. हमारी फसलें-2) 4. पौध घर की सैर)	डाक्टर रामचन्द्र महेन्द्र, गर्वनमेंन्ट कालेज, कोटा
			5. कोपल	श्री हरीनारायण किंकर, राजस्व मण्डल, जयपुर ।
			6. रंगों की माया	डा. सत्यप्रकाश पुरातत्व विभाग, जयपुर ।
			7. बनाये एक नया संसार	श्री जवाहरलाल जैन ,खादी ग्रामोद्योग शिवदासपुरा ।
			8. कुण जमीन रो धणी	श्री कन्हैयालाल सेठिया, सुजानगढ़ ।

Page No 120

क्र०सं०	नाम पुस्तक	कक्षा	पाठ का नाम	लेखक
6.	हिन्दी पाठमाला	6		श्री विपिन बिहारी बाजपेयी प्रधानाचार्य, टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, अजमेर
			1. श्रा धरती गोराधोरा री	श्री कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़
			2. विकासमान राजस्थान	श्री चन्द्रगुप्त वार्ष्णेय, मोती-सिंह भोमियों का रास्ता, जयपुर
			3. श्राश्रो देश बनाये	श्री दयालचन्द्र सोनी, देवाली उदपुर।
			4. मानव का विकास	डा. रामेश्वर गुप्ता, वन-स्थली विद्यापीठ,वनस्थली।
			5. वीरा रो विरदध	श्री नाथूदान मामोरिया, बांदरवाडा, पिछोलाघाट, उदयपुर
			6. डीग के सुरम्य उद्यान	श्रीमती सुशीला पारीक, सी-117 बापू नगर,जयपुर
			7. जीत या हार	श्री मदनमोहनशर्मा, द्वारा श्री हरीनाथ जी कामकान, झालावाड.
7.	हिन्दी पाठमाला	7		श्री डा. सरनामसिंह आचार्य, राजस्थान कालेज, जयपुर।
			1. बादली	ठाकुर चन्द्रसिंह, दुर्गापुरा जयपुर, ।
			2. पायल श्रोर पीपल	श्री कन्हैयालाल सेठिया, सुजानगढ़
			3. किसान	डा० सरनामसिंह
			4. रणथम्भौर	गोरीशंकर हीराशंकर श्रोझा द्वारा रामेश्वर श्रोझा, गव-र्नमेंन्ट कालेज, अजमेर
			5. गढमुक्तेश्वर का मेला	जगदीश कनक, जयपुर

क्र०सं०	नाम पुस्तक	कक्षा	पाठ का नाम	लेखक
			6. पुस्तकज्ञान औरव्यवहार	श्री एम.एल. सहल, आचार्य डिग्री कालेज, डीडवाना।
			7. विकासमान भारत	चन्द्रगुप्त वार्ष्णेय
			8. मानव का विकास	रामेश्वर गुप्त, वनस्थली
			9. तक्षशिला	श्री बालचन्दवैद्य, सुबोध कालेज जयपुर
			10. बालचर्य	प्रो.जसवन्तसिंह, जैन कालेज फालना
			11. सहकारी कृषि	बनवारीलाल शर्मा, सी-82 राजा पार्क, जयपुर
			11. पिपिलिका	शिवकुमार शुक्ल, राजस्थान कालेज, जयपुर
			13. प्रकृति चित्रण	डा०रामानन्द तिवाडी गका भरतपुर
			14. फल सरंक्षण	कुमारी चित्रलेखा सी-83 राजापार्क, जयपुर
			15. कैलाश यात्रा	श्री मक्खनलाल सहल, आचार्य गवर्नमेंन्ट कालेज, सरदार शहर
			16. हमारी विधानसभा	श्री प्रभूदत्त शर्मा पथिक प्राध्यापक, महाराजा कालेज, जयपुर।
			17. अन्तर्राविश्वविद्यालय	
			18. आत्मबल	कु०वीणा, 83 राजापार्क जयपुर।
8	हिन्दी पाठमाला	8		डा०के०एल०सहल, बिरला आर्ट कालेज, पिलानी
			1. विकासमान संसार	श्री चन्द्रगुप्त, वार्ष्णेय जयपुर।
			2. मानव का विकास	रामेश्वर गुप्त, वनस्थली
			3. क्षमा कीजिये	.त्रिभुवन चतुर्वेदी, आनन्द कुंज अलवर

क्र०सं०	नाम पुस्तक	कक्षा	पाठ का नाम	लेखक
			4. वीर जननी के हृदयोगार	बसन्तलालशर्मा, आर्ट कालेज पिलानी
			5. माता वेण सुनाये यूं	गनपतलाल स्वामी, अध्यापक कोठी स्कूल, पिलानी
			6. दुर्गादास	नारायणसिंह भाटी, चौपासनी, रिसर्च इन्सटीट्यूट जोधपुर
			7. छात्र संसद	गंगाप्रसाद शर्मा, प्रधानाध्यापक गवर्नमेंट हायरसैकेन्ड्री स्कूल जोबनेर
			8- चले आओ	डा0 सुधीन्द्र, विश्वविद्यालय जयपुर
			9, पन्द्रह अगस्त	डा0के. एल. सहल पिलानी
			10. पूजन	श्री श्यामनारायण पांडे उदयपुर
			11. सुख का स्वरुप	श्री हरीभाऊ उपाध्याय, हटूण्डी अजमेर

इसके अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीकृत पाठ्य पुस्तकों के लगभग समस्त लेखक राजस्थान के हो है।

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 667 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

सूची ग्राम तहसील सवाई माधोपुर जो कि ओलावृष्टि से फसल रबी सं० 2026 में नुकसान हुआ

क्रमांक	नाम ग्राम	कुल काश्त हुआ रकबा	नुकसान से प्रभावित रकबा
1.	पावेरा	1142	863
2.	नरवाड़ा	1688	393
3.	बन्धा	899	874
4.	टोरड़ा	24	21
5.	बनोटा	497	111
6.	सुनारी	798	798
7.	महु	614	614
8.	सीनौली	817	817
9.	मूरवाल	2250	1104
10.	करोवा	362	86
11,	जमूल खेड़ा	395	155
12.	जोला	795	548
12,	खेतपुरा	271	121
14.	आवलवाडा खुर्द	273	205
15.	तीन्दु	428	323
16.	कावड़	838	476
17.	शेरपुर	106	74
18.	कलारण कोरमंवर	2	2
19.	रामसिंहपुरा	159	159
20	माधोसिंहपुरा	48	43
21.	खुर्दपुरा	102	102
22.	भूरेडरा	109	108
23,	कुतलपुरा आटान	31	25

1	2	3	4
24.	चक चेनपुरा	32	32
25.	खिलचीपुरा	1185	1174
26.	गुमानखुर्द	464	240
27.	बच्चोरी	106	60
28,	करमोदा	423	423
29.	दूदरी	566	566
30.	लोघीपुरा	168	168
31.	मथुरापुरा	319	319
32.	आलनपुर	491	152
33,	ठीकला जटवाडा	441	423
34.	खेरदा	112	112
35,	रामडी	485	485
36,	चुडासी	745	745
37,	पचीपला	529	527
38.	हिम्मतपुरा	11	11
39.	करेला	279	275
40.	खेरडी कला	252	251
41.	खिदरपुरा	105	105
42.	डहकवा	1633	606
43.	बिलोणा	522	300
44.	धुनेश नकला	654	289
45.	इटावा	549	235
46.	खातुनकर्ला	534	534
44	लाडून खुर्द	287	287
48.	अन्डडू	345	345
49.	गोटडा	304	304

Page No 125

नुकसान ओलावृष्टि से माह फरवरी ७० तहसील, खण्डार

क्र. सं.	नाम ग्राम	खसरा नं० जिसमें नुकसान हुआ, कुल संख्या	रकबा कुल कुल बोया	रकबा नुकसान का
1.	गई कलां	83	227।।।1	56।।।1
2.	गोठरा	88	232)4	116)2
3.	कमोकरी	28	86।।।4	43।।1
4.	चक ईलापुरा	8	63।4	15।।।1
5.	बडोद	38	141।।1	38।4
6.	ओन क्लाल	28	97।।)4	27।।।3
7.	पावडी तोपखाना	25	56।।)1	15)3
8.	बानीपुरा	1	6)	3)

Page No 126

परिशिष्ट ७

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नों के उत्तर)

स्थगित प्रश्न

(६-४-७०)

सवाई माधोपुर जिले में ड्रग्स कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स

२४६. श्री रिद्धि चन्द पालीवाल (गंगापुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सवाई माधोपुर जिले में ड्रग्स कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत किन किन व्यक्तियों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी करौली द्वारा लाइन्सेस दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) क्या यह सच है कि अधिकांश लाइसेन्स होल्डरों द्वारा रेफरीजेटर दवाई रखने के लिए नियमानुसार रक्खे हुए नहीं हैं ? कृपया ऐसे लाइसेन्स होल्डरों की सूची भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सच है कि गंगापुर में आउट आफ डेट दवाइयों की बिक्री की जाती हैं ? यदि हां, तो क्या इन संबंध में कभी चैंकिंग किये गये ? अगर किये गये, तो कब कब किस किस ने और इसका क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(३) जी नहीं। ड्रग इन्सपेक्टर ने अपने निरीक्षण के अनुसार फर्मों के निरीक्षण करने पर एक फर्म को दोषी पाया गया। नियमानुसार उक्त फर्म को कारण बताओ (शोकाज) नोटिस दिया जा चुका है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट 8

(तारांकित प्रश्न संख्या 672 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक शिक्षा विभाग चूरू जिला, चूरू

1-6-66 से 28-3-70 तक राजकीय सेवाओं से निवृति एवं निधन होने वाले अध्यापको की सूची।

क्र0सं0	नाम अध्यापक व पद स्थान	सेवा निवृति तिथि
1	श्री समुद्रसिंह सा अ. रा0उच्च प्राथमिक वि0 नोपासर	1-7-66
2	,, रघुवीरशरण दास ,, ,, रजवाड	15-9-66
3	,, उदयचन्द चारण (सअ) रा0 मा0 विद्यालय, तारानगर	4-5-67
4	,, महरचन्द सैनी (स,अ) रा0 जागला उ0मा0विद्यालय चूरू	6-5-67
5	,, मालचन्न (स,अ) रा0 मा0 विद्यालय तारानगर.	9-5-67
6	,, मालचन्द (स,अ) रा० मा० विद्यालय तारानगर	1-1-67
7	,, भूरामल (स,अ) रा0 मा0 विद्यालय सरदारशहर	5-4-67
8	,, सुखदेव शर्मा (स,अ) रा0 मा० पाठशाला चूरू	1-7-67
9	,, ईश्वरदास (प्र०अ०) रा० प्रा० वि०. परोसठ	1-7-67
10	,, रामचन्द (स,अ) रा० मा० विद्यालय तारानगर	1-7-67
11	,, गिरधरशर्मा (स,अ) रा० उ० प्रा० वि० भीमसेर	1-7-67
12	,, जानकी लाल (स,अ) रा० प्रा० वि०नं.6 रतनाड	1-7:67
13	,, मन्शाराम (स,अ) रा० उ० प्राथिमक विद्यालय सोमाली	1-7-67
14	,, बुद्धमल भाटी (स,अ) रा० ,, ,, कानूता	1-7-67
15	,, लङ्गाराम स्वामी (स,अ) रा०मा०विद्यालय श्रीडूंगरगढ	1-7-67
16	,, उयदचन्द स्वामी (स,अ) रा० मा० वि न०2 तारानगर	1-7-67
17	,, हरनामसिंह (स,अ) रा० मा० वि० मपेटा	1-7-67
18	,, हनुमानप्रसाद (स,अ) रा० प्रा० वि० नं. छापर	1-7-67
19	,, राम भरोसे शर्मा (स.अ) रा०मा०वि० न. छापर	1-7-67
20	,, नन्दलाल प्रधानअध्यापक रा०प्रा०वि० नं. तारानगर	1-7-67
21	,, शिवनारायण (स,अ) रा०मा०वि० राजलदेसर	1-7-67

क०सं०	नाम अध्यापक व पद स्थान	सेवा निवृत्ति तिथि
22	,, रामदत्त शर्मा प्र० अ० रा० उ० मा० विद्यालय [illegible]गढ़	1-7-67
23	,, बालचन्द शर्मा (प्र.अ) रा० मा० विद्यालय जमेला	1-7-67
24	,, लोकमणी गुप्ता (स,अ) रा० मा0 विद्यालय जमेला	1-7-67
25	,, दुर्गा दत्त शर्मा (स,अ) पंचायत समिति राजगढ़	1-7-67
26	,, जगमाल सिंह (प्र,अ) पंचायत समिति तारानगर	1-7-67
27	,, मानराज (स,अ) रा०पी०जी0के0उ0मा0वि0सुजानगढ	15-11-67
28	,, मीनाराम (स,अ) रा0बी0एस0टी0सी. स्कूल सुजानगढ़	19-11-67
29	,, नन्दलालसिंह (स,अ) रा0मा0वि0सरदारशहर	4-7-68
30	,, नाथुलाल भूतपूर्व (स,अ) रा0उ0प्रा0विद्यालय सादुलपुर	22-10-68
31	,, चतुर्थीलाल (स,अ) रा0पी0सी0के0उ0मा0विद्यालय सुजानगढ	23-3-68
32	,, नवरंगराम शर्मा वि0अ0नि0 शिक्षा विभाग चूरू	11-12-68
33	,, दुर्गादत्त शर्मा (प्र,अ) रा0मा0वि0 हरपालु	1-10-68
34	,, रामेश्वर व्यास (प्र,अ) रा0मा0विद्यालय डूंगरगढ	1-1-68
35	,, नारायण दास स्वामी (स,अ) रा0मा0वि0तारानगर	6-6-68
36	,, कुन्जबिहारी शर्मा भूतपूर्व (स,अ) रा0 बाबला उ0मा0 वि0 चूरू	20-9-68
37	,, जयलाल भूतपूर्व (स,अ) पंचायत समिति, राजगढ़	27-4-68
38	,, प्यारेलाल गुप्ता (प्र,अ) रा0मा0वि0रतननगर	3-4-68
39	,, हरिशंकर शर्मा (प्र,अ) रा0मा0वि घुलवासर	30-9-69
40	,, झामनलाल (स,अ) रा0प्रा0वि0नं2 तारानगर	12-9-69
41	,, अमरनाथ स्वरूप (प्र,अ) रा0मा0वि0 सरदारशहर	22-6-69
43	,, भेरुदान चारण (प्र,अ) रा0उ0मा0वि0 राजास	14-3-69
44	,, मदनमोहन भूतपूर्व (स.अ) रा0मा0वि0 राजलदेसर	28-5-69
45	,, रामकुमारशर्मा (स,अ) रा0मा0वि0 भूतासर	31-12-68
45	,, सायरकुमारी (स,अ) रा0प्रा0वि0नं.7 रतनगढ़	7-3-69
46	,, मोहनलाल (स,अ) बानला उ0मा0वि0चुरु	28-5-69
47	,, माणकचन्द सोनी भूतपूर्व (स,अ) अ०मा०वि०छापर	21-1-70

चान्दमल जैन

विद्यालय निरीक्षक,

शिक्षा विभाग चूरू जिलाचूरू

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 714 के भाग (1) व (2) में निर्दिष्ट सूची)

सूची-'क'

उप-खण्ड के वर्ष 1969-70 के माहवारी आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

क्र0सं0	माह	बिक्रीकर
1-	अप्रेल 69	5,386-09
2-	मई 69	45,528-37
3-	जून 69	38,475-48
4-	जुलाई, 69	61,951-14
5-	अगस्त, 69	63,022-14
5-	सितम्बर, 69	28,622-86
7-	अक्टूबर, 69	39,672-16
8-	नवम्बर, 69	36,997-14
9-	दिसम्बर69	89,022-20
10-	जनवरी,70	67,272-85
11-	फरवरी, 70	88,785-79
12-	मार्च, 70	2,02,326-46
	योग :—	7,67,062-68

सूची 'ख'

31 मार्च, 1969 को केकडी उप खण्ड क्षेत्र में बिक्री कर राशि की बकाया की सूची

क्रमांक	नाम व्यापारी	बकाया राशि
2.	2.	3.
1	मं० अमरचन्द हीरालाल, केकडी	25-00

Page No 130

1	2	3
2	मै० मांगीलाल चांदकरण ,,	31-83
3	,, ,, ,,	154-00
4	,, गौरीशंकर बालकिशन, ,,	1,947-75
5	,, श्रीमती पार्वती देवी ,,	20-00
6	,, मांगीलाल चांदकरण ,,	64-00
7	,, पुखराज हीरालाल ,,	300-00
8	,, श्रीमती पार्वती देवी ,,	2-00
9	,, गौरीशंकर बालकिशन ,,	398-00
10	,, मांगीलाल चन्दकरण ,,	44-00
11	,, पुखराज हीरालाल ,,	152-00
12	,, बेली खां सट्टे वाला ,,	50-00
13	,, ,, ,,	10-00
24	,, अलादीन गफूरखां ,,	75-00
25	,, मांगीलाल चान्दकरण ,,	36-00
16	,, फूलचन्द मूलचन्द ,,	117-00
17	,, कपूरचन्द रांका ,,	100-00
18	,, फूलचन्द मूलचन्द ,,	118-00
19	,, माधोलाल कन्हैयालाल ,,	35-00
20	,, हीरालाल ओंकारमल ,,	20-06
21	,, फूलचन्द चान्दमल ,,	175-00
22	,, मगनीराम धुली राम बडली	2,237-00
23	,, मगनीराम धुलीराम बडली	25-00
24	,, माधोलाल कन्हैयालाल, केकडी	172-00
25	,, सहकारी हाट, पडावा	10-00
26	ग्राम सेवा सहकारी समिति, एकलडिया	16-00
27	,, ग्राम सेवा सहकारी समिति, एकलडिया	3-00
28	,, विजय वृत कृषि ऋण दात्री, केकडी	201-96
29	,, गोकुलचन्द भंवरलाल, सावर	0-09
30	,, विजय वृत कृषि ऋण दात्री, केकडी	5-00

Page No 131

1		2	3
31	,,	मुरलीधर छगनलाल. केकडी	5-00
32	,,	शान्तीलाल उगीया पूनिया	5-11
33	,,	भागचन्द राजेन्द्र खादेडा	0-81
34	,,	रिद्धकरण चान्दमल किराय	7-00
35	,,	प्रकाशचन्द दीपचन्द, बघेरा	8-00
36	,,	चन्दनमल मिश्रीलाल, नावसी	43-28
37	,,	जगदीश प्रसाद कैलाशचन्द, केकडी	5-00
38	,,	फूलचन्द सत्यनारायण. केकडी	42-00
39	,,	जीवनलाल अमोलकचन्द, चापानेरी	2-00
40	,,	सुवालाल रामस्वरुप केकडी	0-10
41	,,	मोतीलाल दिनेशकुमार केकडी	10-00
42	,,	गौतम प्रिन्टिग प्रेस. केकडी	0-01
		योग :-	6,564-00

———

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 722 के भाग (2) में निर्दिष्ट सूची)

सूची

तीन गाड़ियों के वजन को तोलने की मशीनें मैसर्स अवेरी कम्पनी आफ इण्डिया प्राईवेट लमिटेड बम्बई से जनवरी, 1957 में खरीदी थी। एवं उन मशीनों पर 11892-94 पैसे व्यय किये गये।

2. उक्त मशीने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर को जून, 1957 में कार्य में लेने हेतु भेजी थी।

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 408 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

सूची बकाया राशि को वर्ष 1968-69 एवं 1969-70

क्र,सं,	नाम जिला	1968-69	1969-70
1	अजमेर	शून्य	32,223-32
2	अलवर	शून्य	शून्य
3	बांसवाड़ा	शून्य	14,276-31
4	बाड़मेर	1,50,614—89	वर्ष 1968-69 व 1969-1970 का सम्मिलित है।
5	भरतपुर	शून्य	शून्य
6	भीलवाडा	शून्य	24,725-00
7	बीकानेर	592-90	1,50,287-45
8	बून्दी		
9	चित्तौड़गढ़		9511-00 वर्ष 1968-69 व69व70 का सम्मिलित है
10	चूरु		4,38,796-47-उपरोक्त
11	डूंगरपुर	पूर्व सूचना उपलब्ध नहीं है--	
12	गंगानगर	शून्य	397-23
13	जयपुर	256-25	10101-67
14	जैसलमेर		
15	जालोर	34,105-95	1,41,916-83
16	झालावाड़	शून्य	544-99
17	झुन्झनू		15,138-30
18	जोधपुर		1,25,231-96 अक्टुबर 68 से सितम्बर 69 तक
19	कोटा	शून्य	शून्य
20	नागोर		
21	पाली	शून्य	3,448-76

Page No 134

1	2	3	4
22	सवाई माधोपुर	शून्य	48-25
23	सीकर	शून्य	22,257-22 13788-12 के वितरण संबंधी सूचना प्राप्त नहीं है।
24	सिरोही	4,940-00	22,252-90
25	टोंक	895-00	43,845-40 चुकारे की कार्यवाही जारी है।
26	उदयपुर		62,401-00

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 457 के भाग (1) व (2) में निर्दिष्ट सूची)

उन राज्य कर्मचारियों की सूची जिन्हें वर्ष 1969 में कार क्रय हेतु ऋण दिये गये ।

क्र. सं.	नाम व पद	अग्रिम की राशि	स्वीकृति की तारीख	प्रार्थना पत्रों की तिथि
	नियुक्ति (क—५) विभाग			
1	श्री तुलसीराम शर्मा उपविधिप्रारुपकार	17500	22-2-69	
2	,, एस एल. जोशी उप सचिव	19,000	2-5-69	
3	,, मांगीलाल माथुर उप सचिव	18,400	8-5-69	
4	,, बी. एल. पान गड़िया उप सचिव	18,000	26-6-69	
5	,, एस. एल. प्रोहित उप विधि प्रारुपकार	17,670	22-7-69	
6	,, गोपेश्वर भट्ट उप सचिव	16,000	22-7-69	
7	,, .के .के जोशी विशिष्ट सचिव	20,000	22-9-69	
8	,, के. एस. रस्तोगी उप सचिव	20,000	24-9-69	
9	,, सी. एल. हुकमानी	10,000	24-9-69	
10	,, बी. मुदगल उप सचिव	4,500	29-4-69	
	नियुक्ति (क-१) विभाग			
1	,, गोविन्द जी मिश्रा अलवर	20,000	13-10-69	
2	,, मायाराम	10,000	31-10-69	
	जिलाधीश उदयपुर			
1	,, सी. बी. एम. गुप्ता अतिरिक्त जिलाधीश	18,500	-5-69	
2	,, पी. एम. भण्डारी कार्मशियल टेक्सेशन आफीसर	9,000	-8-69	
3	,, ललित बिहारी बक्षी सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर	20,000	-9-69	

जिलाधीश सवाईमाधोपुर

1	,, महेन्द्र सिंह यादव एस. डी. ओ.	6,500	1969

जिलाधीश जोधपुर

1	डा० एन. एल. शर्मा	18,000	10-7-69
2	डा० अमर विमल माथुर	16,000	8-7-69
3	डा० शिवकुमार	16,000	23-12-69
4	श्री प्रहलाद राय शर्मा डिप्टी वाणिज्य कर अधिकारी	8,000	2-9-69
5	,, डी. एल. माथुर हैड आफ इलैक्ट्रिक इन्जीनियर	12,000	9-9-69
6	,, एस. एल. पगोरिया अतिरिक्त जिलाधीश	12,600	29-9-69

निबन्धक उच्च न्यायालय

1	,, रणछोडदास गट्टानी भूतपूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश	20,000	20-5-69
2	,, कल्याण दत्त शर्मा	18,000	14-10-69

जिलाधीश जयपुर

1	डा० के, एन. शर्मा	15,000	7-5-69	10-4-69
2	श्री एस, एल. खन्ना चेयरमैन	14,000	7-5-69	26-9-68
3	डा० एस आर मेहता	15,000	7-5-69	11-4-69
4	डा० एस. एम. दुगड	13,000	9-5-69	19-4-69
5	श्री आर. सी. माथुर	17,500	13-5-69	29-4-69
6	डा० वृज मोहन शर्मा	18,000	14-7-69	17-7-68
7	श्री आर, जे. मजिठिया	13,800	16-7-69	9-7-69
8	,, जगदीश लाल माथुर	19,800	29-7-70	2-5-69
9	,, अजीतसिह मेहता	18,000	1-8-69	14-5-69
10	,, मुरारीलाल माथुर	12,870	1-9-69	29-4-69
11	डा० आर. पी. शारदा	18,000	6-10-69	2-1-67
12	श्री के, पी, माथुर	12,000	7-1-70	20-12-69

जिलाधीश गंगानगर

2	श्रीमती रामा कोचर	14,400	28-7-69
2	डा० अर्जुन सिंह गहलौत	9,600	22-1-69
3	श्री रतनकुमार गुप्ता	11,600	18-12-69

जिलाधीश अजमेर

1	डा० वाई डी, भारद्वाज	11,000	6-5-69
2	,, रतन चन्द माथुर	11,000	6-5-69
2	श्री शेर सिंह	12,000	3-12-69

जिलाधीश बीकानेर

1	श्री एस, डी, इन्डीया	16,200	11-9-69

(ख)

वर्ष १९६९ में आये हुए प्रार्थना पत्रों का विवरण

1	जिलाधीश	झालावाड़	2
2	,,	उदयपुर	5
3	,,	भरतपुर	1
4	,,	डूंगरपुर	1
5	,,	जालौर	1
6	,,	सवाई माधोपुर	1
7	,,	सीकर	
8	,,	पाली	2
9	,,	जोधपुर	6
10	,,	नागौर	5
11	,,	अलवर	3
12	,,	जयपुर	12
13	,,	गंगानगर	8
14	,,	टोंक	3
15	,,	अजमेर	22

16	नियुक्ति क-1 विभाग	3
17	नियुक्ति ।क-5 विभाग	10
18	निबन्धक उच्च न्यायालय	5
19	जिलाधीश झुन्झुनु	
20	जिलाधीश बीकानेर	5
	योग	95

(ग)

वर्ष १९६९ से पूर्व प्रार्थना पत्रों का विवरण

1	जिलाधीश	झालावाड़	2
2	,,	उदयपुर	20
3	,,	भरतपुर	1
4	,,	भीलवाड़ा	1
3	,,	कोटा	1
6	,,	सवाई माधोपर	1
7	,,	जोधपुर	3
8	,,	जयपुर	33
9	,,	गंगानगर	3
10	उच्च न्यायालय		8
11	,,	सीकर	9
12	,,	बीकानेर	14
		योग	96

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 471 के भाग (1) व (2) में निर्दिष्ट सूची)

तहसील जैतारण व रायपुर में रहे अधूरे सड़क कार्यों की सूची

क्र०सं०	सड़क का नाम	तहसील	कुल लम्बाई	किया गया कार्य जहां अधूरा है।	इस वर्ष स्वीकृत है या नहीं।	विशेष विवरण।
1	2	3	4	5	6	7
1	लाबीया ब्यावर रोड़	जैतारण	36 कि०मी०तक	26 कि. मी. से 36 कि. मी. से ग्रेवल करना	हां	26 कि. मी. से 36 कि मी. तक कटाई अधूरी गई संटल और अपील इसके किये जा रहे हैं। यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की लिस्ट में रहेगा।
2	जैतारण मेड़ता सिटी	,,	32 कि० मी०	शुरू से 8 कि. मी. कटाई हो चुकि और साइट पर मैटल 17 से 20 कि.मी. के योग को छोड़कर शेष भाग जो पड़ा हुआ है।	हां	इस वर्ष पूर्ण हो जाने की संभावना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की लिस्ट में रहेगा।

1	2	3	4	5	6	7
3	देवरिया फुलमाल पटवा रोड़	,,	30 कि० मी०	चूरु से 3 कि. मि. छोड कर शेष भाग ग्रेवल किया जा रहा है।	नहीं	—
4	वैराठिया बावरा रायपुर गोरी सड़क	रायपुर	12 कि०मी०	ग्रवेलिग व सी. डी, अभी अपूर्ण है।	हां	इसी वर्ष पूर्णहो जाने की आशा है।
5	छाविया से कुकी सड़क	जैतारण	25 कि०मी०	इसी वर्ष 25 कि. मी. व सेंटल के 4 कि. मी.	हां	इस वर्ष पूर्ण होजावेगी सार्वजनिक निर्माण विभाग की लिस्ट पर नहीं है।
6	रायपुर जैसा सेहा सड़क	रायपुर	26 कि०मी०	चूरु के 10 कि- मी- ग्रेवलिग या मिल का	हां	अधूरे कार्य को पूरा होंने तथा सी. डी. व्यय अभी वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है। यह सार्वजनिक निर्माण विभाग की लिस्ट में नहीं है।
7	सिगावडी समुशी वोराई सड़क	रायपुर	19 कि०मी०	ग्रेवल कुल से 6 कि. मी.	नहीं	
8	नया वाडिया से सुमेल और उससे बावरा तक मर्वो	रायपुर	12 कि०मी०	नया वाडिया से सुनेल तक पूर्ण	हां	—

1	2	3	4	5	6	7
9	या-सिया से भेरू सेजरा सड़क	रायपुर	9 कि०मी०	चूरु के 3 कि. मी. तक के ग्रेवल नहीं है ।	हां	इस वर्ष पूर्ण हो जाने की आशा है । सार्वजनिक निर्माण विभाग की लिस्ट में नहीं है ।
10	जैतारण से बुभारा कुशलपुरा सड़क	जैतारण	13 कि. मी.	अर्थ वर्क पूरी सडक का ग्रेवल चूरु के 8 कि. मि. हो ।	नहीं	
11	जैतारण से गिरोल	जैतारण	10 कि. मी,	अर्थ वर्क पूरी सडक पर ग्रेवल शुरु के 4 कि. मी. का ।	नहीं	
12	खेदडा से जैसाखेड़ा सड़क	रायपुर	32 कि. मी.	पूरी सड़क का ग्रेवल सड़क है पक्कीन हीं की गई ।	नहीं	
13	पीपालिया बोनारी सड़क	रायपुर	6 कि. मी.	अर्थवर्क पूर्ण ग्रेवल पीपालिया छोर पर 1 कि. मि. व दानोली छोर पर 2 कि. मी.	--	
14	जैतारण डोगरना सड़क वाया निवोल पालका	जैतारण	20 कि. मी.	सी. डी वकर्स नहीं लिये गये थे ।	हां	इस वर्ष पूरी हो जाने की संभावना है ।
15	जैतारण खेडा सड़क	जैतारण	13 कि. मी.	अर्थ वर्क पूर्ण मैटल 8कि. मी.	हां	इस वर्ष पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

1	2	3	4	5	6	7
16	बांद बूठीवास पलाण	रायपुर व जैतारण	23 कि. मी.	खेडा छोर पर कुछ ग्रेवलिंग शेष है ।	हां	इस वर्ष पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । सार्वजनिक निर्माण विभाग की मेंन्टेन्स लिस्ट पर नहीं है ।
17	बैराठिया कला आजियावास से रात तक	रायपुर	24 कि. मी,	अर्ध वर्क का ग्रेवल 6 कि०मी०	नहीं	–
18	नीमांच आकेली लाम्बा सड़क	रायपुर	8 कि. मी.	शुरु के 4 कि. मि. पर ग्रेवल हुआ है ।	नहीं	
19	जोधपुर ब्यावर सड़क समूखी बाई मास	रायपुर		सी. डी. वर्क्स और कनसोलीडेशन वर्क्स का काम बाकी है ।	हां	कार्य इस वर्ष पूर्ण हो जाने की संभावना है सार्वजनिक निर्माण विभाग की मेन्टेन्स लिस्ट पर होगा ।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 13 अप्रेल, 1970)

स्कम्भसंख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
3	18	लईनिग	लाइनिग
3	अन्तिम से 6	डिस्टीब्यूट्रोज	डिस्ट्रीब्यूट्रोज
3	,, 1	चके	चुके
5	13	एवं का	का एवं
7	1	प्लन्टेशन	प्लान्टेशन
7	अन्तिम से 13	नोर	नोर-
10	7	जी	की
11	4	फर	कर
11	अन्तिम से 6	मजर	मर्जर
13	शीर्ष	परसम	परसराम
15	6	दी	—
15	12	व	की
17	अन्तिम से 2	निकल	निकाल
20	,, 13	रजवी	राजवी
22	6	निधारित	निर्धारित
23	7	प्रिन्सिपलों	प्रिन्सिपलों के
23	10	सजन	सृजन
24	10	मामलों	मामले
27	11	श्री (वृजप्रकाश	(श्री वृजप्रकाश
51	15	ब्जार	बाजार
51	17	अया	आया
56	अन्तिम से 2	र	राज्य
66	,, 6	व्यस्कों	वयस्कों
66	,, 4	व्यस्कों	वयस्कों
69	8	जाने	जाने वाले
69	14	की ओर वह	की ओर वे
70	17	जा शोपस	जो शोप्स
70	अन्तिम से 8	वर्कस	वर्क्स
70	,, 8	सेवारय	सेवारत

(ख)

1	2	3	4
72	9	वाइंस के डी-?	वाइ्स के. पी. डी.
74	14	सनाव	चुनाव
77	3	डेप्यूटेशनपीरिड	डेप्यूटेशन पीरियड
77	6	अवेंगी	आवेंगी
78	12	सककार	सरकार
79	2	पुस्तकलय	पुस्तकालय
81	अन्तिम से 9	की	को
85	शीर्ष	जन	जैन
91	12	कर	करें
91	अन्तिम से 9	गट्ठों	गट्ठे
91	शीर्षक	-१३ अप्रेल,१९७-	-१३ अप्रेल, १९७०-
92	5	विभाग	—
94	13	अध्यक्षाय	अध्यक्षीय
95	अन्तिम से 12	रशन	राशन
128	,, 12	उपाध्क्ष	उपाध्यक्ष
131	,, 6	quite	quit
142	,, 11	मत्री	मंत्री
147	,, 6	क्लास	क्लॉज
151	,, 18	परम्पराए	परम्पराएं
152	,, 14	सेकेट्री	सेक्रेटरी
152	अन्तिम से 1	ग्रह	गृह
166	,, 9	रामान्द	रामानन्द
166	,, 4	- ।	हूं ।
167	,, 16	snch	such
167	,, 4	खा	रखा
167	,, 2	ऐक	एक
171	,, 4	एम्पनाइज	एम्पलाइज
171	,, 2	सविस	सर्विस
172	13	होन	हीन
173	,, 1	क ंडीशन्स	कन्डीशन्स से
174	अन्तिम से 13	अयोग्यतायं	अयोग्यताएं
175	,, 10	सुविाधाएं	सुविधाएं
183	,, 1	यशवन्तमिह	यशवन्तसिह
183	अन्तिम से 14	फोड़	करोड़

1	2	3	4
186	अन्तिम से 6	गोरंटी	गारंटी
189	2	लगू	लागू
190	11	संत्री	मंत्री
193	2	भीखा भई	भीखा भाई
193	12	चहता	चाहता
193	15	चार	'चार'
193	16	छः	'छः'
193	17	जिनमें से ····· अध्यक्ष हो	'जनमें से ·········· अध्यक्ष हो'
194	1	सरकार ·········· होग।	'सरकार ········ होगा।'
196	2	Baord	Board
197	11	महने	महीने
197	14	म्युनिसिपंटी	म्यूनिसिपैलिटी
198	17	सफललता	सफलता
199	4	(अस्वीकृति)	(अस्वीकृत)
199	8	(अस्वीकृति)	(अस्वीकृत)
199	11 व 12	श्री सभापति : खण्ड २८ — श्री रामानन्द अग्रवाल	
200	1	घरा	धारा
200	2	सेक्शन	सब-सेक्शन
200	अन्तिम से 13	श्री सभापति	—
201	2 व 6	श्री सभापति	—
202	अन्तिम से 1	"एट एनी टाइम	"एट एनी टाइम"
203	5	विस्थापित	प्रतिस्थापित
203	13, 14 व 15	प्रश्न यह है कि खण्ड ३२ को स्वीकार किया जाय। (स्वीकृत)	—
207	5	53,,	53,
207	14	51, 53,	51, 52, 53,
207	अन्तिम से 9	51, 53	51, 53, 53,
207	,, 1	श्री रामानन्द जो	श्री सभापति : श्री रामानन्द जी
209	14	बोड	बोर्ड

1	2	3	4
209	अन्तिम से 12	हालत तो	हालत हो तो
210	8	खण्ड ४०	खण्ड ४० में
210	अन्तिम से 9	dete	date
210	,, 8	grom	gorm
210	1	mbred	mbered
211	2	close	clause
211	5	every	every year
212	2	Contaning	Conaining
212	4	Goverment	Government
212	5	it to	it to be
212	अन्तिम से 14	admedment	amendment
213	4	उसके	उसको
213	7	कुठराघात	कुठाराघात
213	11	complanined	complained
214	अन्तिम से 3	shail	shall
215	3	bey—	bye--
231	अन्तिम से 1	राष्ट्रीकृत	राष्ट्रीयकृत
240	,, 16	25	15
240	,, 17	24	14
242	,, 4	लमिटेड	लिमिटेड
243	,, 12	69 व 70	69-70
243	4	क, सं,	क० सं०
245	4	क सं,	क० सं०
246	2	,,	श्री
247	10	श्रो	श्री
247	16	१६२६	१६६६
249	अन्तिम से 4	चुकि	चुकी
249	4	फूल लम्बाई	कुल लम्बाई
251	अन्तिम से 9	पक्कीन हीं	पक्की नहीं
252	,, 6	अर्ध	अर्थ
252	3	ओर	और